

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2018—ज्येष्ठ 18, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रकर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2018

क्र. ई-1-119-2018-5-एक.—इस विभाग के आदेश दिनांक 16 मई 2018 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 15 जिसके द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे (एसके 2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है के अनुक्रम में श्री राजे को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2018

क्र. ई-1-120-2018-5-एक.—श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे (2008), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर की सेवाएं तकनीकी

शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती सुरभि गुप्ता द्वारा अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर संचालक, संचालनालय, कौशल विकास, जबलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई.-5-1032-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008) कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 23 से 28 मई 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3915

(2) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग वर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1083-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग को दिनांक 4 से 15 जून 2018 तक, बारह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. ई-1-84-2018-5-एक.—श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012) संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (अति. प्रभार) को केवल उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। साथ ही उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. ई-1-122-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दीपक खाण्डेकर (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश (अति. प्रभार).	अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि. क. अ. -सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक, दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई.	—
3	डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000), सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर तथा कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	—
4	श्री नरेश पाल कुमार (2002), कलेक्टर, जिला शहडोल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	—
5	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (2002), अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल.	सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर (इस विभाग के आदेश दिनांक 16 मई, 2018 द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर की गई पदस्थापना को एतद्वारा निरस्त करते हुए.	—
6	श्री शेखर वर्मा (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.	—
7	श्री अशोक कुमार वर्मा (2004) कलेक्टर. जिला खरगौन.	कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	—
8	श्री राहुल जैन (2005), कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.
9	श्री अजय कुमार शर्मा (2005), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—
10	श्री आशकृत तिवारी (2006) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व) नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
11	श्री बी. एस. जामोद (2006), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	—
12	श्री नागरगोजे मदन विभीषण (2007), उप सचिव, मध्यप्रदेश, शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	—
13	श्री रामराव भोंसले (2007), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर.	—
14	श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला (2007), संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, इंदौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	—
15	सुश्री प्रियंका दास (2009) आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.	—
16	श्री अविनाश लवानिया (2009) कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
17	श्री अभिषेक सिंह (2009) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
18	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009), अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अपर प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (अति. प्रभार).	कलेक्टर, जिला शहडोल.	—
19	श्री शशिभूषण सिंह (2009), महाप्रबंधक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला खरगौन	—
20	श्री तरूण रांठी (2010), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अति. प्रभार).	—
21	श्री भास्कर लक्षकार (2010), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
22	श्री छोटेसिंह (2010), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	—
23	श्री बसंत कुर्रे (2010), अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर.	—
24	श्रीमती सरिता बाला ओम प्रजापति (2011), अपर संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	—

(2) श्री वी. एल. कांताराव (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त उद्योग एवं प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम का अतिरिक्त प्रभार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री राहुल जैन द्वारा संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल (अति. प्रभार) केवल आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्री अभिषेक सिंह द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जितेन्द्र सिंह राजे (एसके-2007), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (अति. प्रभार) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री शेखर वर्मा द्वारा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2008), संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (अति. प्रभार) केवल संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, भोपाल चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 21 मई से 2 जून 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 19, 20 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति साहित्य एवं दिनांक 22 से 29 जून 2018 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मई 2018

क्र. ई-1-122-2018-5-एक.—श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985), अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-123-2018-5-एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-122-2018-5-एक. दिनांक 21 मई, 2018 की तालिका-1 के अनुक्रमांक 13, जिसके द्वारा श्री रामराव भोंसले, भाप्रसे (2007), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपर आयुक्त (राजस्व), सागर संभाग, सागर पदस्थ किया गया है. एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-1-124-2018-5-एक.—मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह (भापुसे-2010), सेनानी 7वीं वाहिनी,

विसबल, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने की सहमति प्रदान की गई है, के अनुक्रम में अब उनकी सेवाएं जनसम्पर्क विभाग को सौंपते हुए श्री सिंह को अस्थायी रूप से संवर्गीय अधिकारी की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-125-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भागसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री शीलेन्द्र सिंह (2010), अपर कलेक्टर, जिला खरगौन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर.
2	श्री हरिसिंह मीणा (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा.

क्र. ई.-5-480-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन एवं आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा दिनांक 8 जुलाई से 5 अगस्त 2017 तक उन्तीस दिन तथा आदेश दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा दिनांक 6 अगस्त से 1 सितम्बर 2017 तक, सत्ताईस दिन तथा आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 2 से 23 सितम्बर 2017 तक, बाईस दिन कुल 96 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(2) श्री एम. गोपाल रेड्डी, भागसे द्वारा उपरोक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश को अर्द्ध-वैतनिक अवकाश में चिकित्सा आधार पर परिवर्तित कर, उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन के अनुक्रम में अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश), नियम, 1955 के नियम 19 के अंतर्गत पद 1 में उल्लेखित अवधियों के स्वीकृत अर्जित अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई.-5-945-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. एस. परमार, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 11 से 30 जून 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. परमार, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. परमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. परमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-968-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 जून 2018 एवं 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-951-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रविन्द्र सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल को दिनांक 7 से 15 जून 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रविन्द्र सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रविन्द्र सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रविन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 28 मई से 15 जून 2018 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 एवं दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2018

क्र. ई.-1-122-2018-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई 2018 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 12, जिसके द्वारा नागरगोजे श्री मदन विभीषण, भाप्रसे (.2007), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन की पदस्थापना उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर की गई है, में एतद्द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई.-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे., आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 31 मई से 4 जून 2018 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आशुतोष अवस्थी की अवकाश अवधि में आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अवस्थी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आशुतोष अवस्थी द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष अवस्थी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 7 से 14 मई 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-821-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर को दिनांक 4 से 15 जून 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 3 जून 2018 एवं 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-907-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., तत्कालीन अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर वर्तमान में कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 23 अप्रैल से 5 मई 2018 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-1064-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अक्षय कुमार सिंह, आयएएस., संचालक, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2018 द्वारा 21 से 31 मई 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित

अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 28 मई से 2 जून 2018 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई एवं 3 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-1065-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 मई से 2 जून 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दिनेश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1075-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल को दिनांक 23 मई से 6 जून 2018 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. विश्वनाथन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. विश्वनाथन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. विश्वनाथन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2018

क्र. ई-1-126-2018-पांच-एक.—श्री अमरपाल सिंह, भाप्रसे (2009), संचालनालय, सम्पदा संचालनालय तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-631-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय दुबे, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 26 से 28 मई 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री संजय बंदोपाध्याय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय दुबे द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय बंदोपाध्याय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते।

क्र. ई-5-867-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, सीहोर को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2018 द्वारा दिनांक 14 से 18 मई 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथौड़े की अवकाश अवधि में श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण पिथौड़े, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-908-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, (2007) कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 28 से 31 मई 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री क्षितिज सिंहल, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री क्षितिज सिंहल, कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. ई-5-817-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला ग्वालियर (वर्तमान में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल) को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2018 द्वारा दिनांक 4 एवं 8 जून 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 31 मई 2018 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त नगरीय प्रशासन तथा विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राहुल जैन द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. ई-5-901-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे (2002) सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 28 मई से 15 जून 2018 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16,17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्र. ई-5-1025-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को दिनांक 4 से 23 जून 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1079-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवपाल, भाप्रसे (2016) अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 21 मई से 15 जून 2018 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 मई एवं

16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवपाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिवपाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवपाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2018

क्र. ई-5-909-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एन. पी. डेहरिया, आयएएस., सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई द्वारा दिनांक 1 से 11 मई 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 1 से 5 मई 2018 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. ई-5-1008-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शमीम उद्दीन, आयएएस., संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 मई 2018 द्वारा दिनांक 1 से 5 मई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 1 से 8 मई 2018 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29, 30 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 मई 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनु तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 15 मार्च 2018 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रेनु तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनु तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., तत्कालीन कलेक्टर, जिला देवास (वर्तमान में आयुक्त,

नगर निगम, इन्दौर) को दिनांक 2 से 5 मई 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-1013-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा को समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018 द्वारा दिनांक 23 फरवरी से 9 मार्च 2018 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 10 से 16 मार्च 2018 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक"

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2018

क्र. एफ 1-44-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 5 से 12 जून 2018 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में इजराइल (जेरूसलम, हाइफा, तेल अवीव) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2018

क्र. एफ 1(ए)243-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स) मुख्यालय इन्दौर को दिनांक 2 से 15 जून 2018 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश, तथा दिनांक 16-17 जून 2018 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री वरूण कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मिलिंद कानस्कर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स) मुख्यालय इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री वरूण कपूर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री वरूण कपूर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2018

क्र. एफ 1(ए)155-93-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश गुप्ता, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्त/विशेष अभियान) ओएसडी संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्व विद्यालय, भोपाल को स्वयं का उपचार बोम्बे हास्पिटल मुम्बई में कराने हेतु दिनांक 14 से 15 मार्च 2018 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (गुप्त/विशेष अभियान) ओएसडी संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्व विद्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. एफ 1-46-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 26 जून से 6 जुलाई 2018 तक, अर्जित अवकाश अवधि में पति सहित यूरोप (Paris, Zurich, Innsbruck, Venice, Florence, Rome) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एस. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)191-91-ब-2-दो.—श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 18 जून से 13 जुलाई 2018 तक, तेईस दिवस अर्जित अवकाश, तथा दिनांक 16-17 जून 2018 के पूर्ववर्ती व दिनांक 14-15 जुलाई 2018 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, का चालू कार्य श्री एस. एम. अफजल, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पु. मु. भोपाल, द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य भार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

फा. क्र. 1895, 2089-इक्कीस-ब (दो), 2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती एन. व्ही. कान्द्रा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को मध्यप्रदेश राज्य में गठित विधि आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्णकालिक सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब(एक)1152.—(मेरिट क्र. 47), राज्य शासन श्री अनुज कुमार पिता श्री सुशील कुमार को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1978 है.

फा. क्र. 3(ए) 2126-इक्कीस-ब(एक)2547.—(मेरिट क्र. 48), राज्य शासन श्री मुकेश कुमार यादव पिता स्व. श्री रामाधार को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994

(यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 23 जनवरी 1974 है.

फा. क्र. 3(ए) 2071-इक्कीस-ब(एक)2567.—(मेरिट क्र. 23), राज्य शासन श्री आशुतोष कुमार झा पिता श्री अवधेश कुमार झा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला मधुबनी, बिहार है. उसकी जन्मतिथि 2 जनवरी 1977 है.

फा. क्र. 2611-2018-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम एवं वर्तमान पद	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश एस. सी./ एस. टी. (पी. ए.) एक्ट, टीकमगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा.

- | | | | |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री विजय चंद्रा, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. |
| 2 | श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अपर जिला न्यायाधीश, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना के साथ-साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर का प्रभार. | |
| 3 | डॉ. रमेश साहू, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, रायसेन. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर. | |

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

पंजी क्र. 2532-2018-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन कुमार सक्सेना, सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 2471-2018-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री ऋषिराज त्रिवेदी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, महू जिला इंदौर का त्याग-पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2018 अपरान्ह से स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

फा. क्र. 2156-इक्कीस-ब(दो).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथासंशोधित

F. No.2156-XXI-B (2).—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Vijay Chandra, Registrar (Vigilance), High Court, Madhya Pradesh as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date has assumes office.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

फा. क्र. 17 (ई) 08-2018-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश, एस. सी./एस. टी. (पी. ए.) एक्ट, नरसिंहपुर की सेवायें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2018

क्र. एफ-11-07-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य

शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र क्रमांक जो संरक्षण अधीन है	क्षेत्रफल (हे. मे.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	सागर	मालथौन	अटाकर्नेलगढ़	अटा का किला	ख. नं. 933	0.33	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 11 मई 2018

क्र. एफ-11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन मेमोरैंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर विवेक कुमार पोरवाल, आयुक्त तत्कालीन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री श्रीमन शुक्ला, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एस. रावत, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2018

क्र. 1135-1620-2018-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	होशंगाबाद	होशंगाबाद	श्री विजय कुमार पाठक, JMFC
2	जबलपुर	जबलपुर	श्रीमती अर्चना बोडे, JMFC
3	उमरिया	उमरिया	श्री सुधांशु सिन्हा JMFC

No. 1135-1620-2018-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hoshangabad	Hoshangabad	Shri Vijay Kumar Pathak, JMFC
2	Jabalpur	Jabalpur	Smt. Archana Bode, JMFC
3	Umariya	Umariya	Shri Sudhanshu Sinha JMFC

भोपाल, दिनांक 26 मई 2018

क्र. 1147-1652-2018-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम एवं प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)
1	सिंगरौली	1. श्रीमती आशा गुप्ता सदस्य (अनारक्षित) 2. श्री द्वारका प्रसाद तिवारी, सदस्य (अनारक्षित)
2	शिवपुरी	1. डॉ. अजय खेमरिया अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. श्रीमती सरला वर्मा आरक्षित सदस्य (महिला) 3. श्री अनुज दुबे सदस्य (अनारक्षित) 4. श्री रंजीत गुप्ता सदस्य (अनारक्षित) 5. श्री आलोक एम. इंदोरिया सदस्य (अनारक्षित)
3	बालाघाट	1. श्रीमती साधना शुक्ला अध्यक्ष (अनारक्षित) 2. डॉ. मोनिका मिश्रा आरक्षित सदस्य (महिला) 3. श्री मुकेश पाठक सदस्य (अनारक्षित) 4. श्रीमती मीना सक्सेना सदस्य (अनारक्षित) 5. श्रीमती फिरोजा खान सदस्य (अनारक्षित)
4	होशंगाबाद	1. श्रीमती श्वेता चौबे आरक्षित सदस्य (महिला) 2. श्री देवदत्त गौर सदस्य (अनारक्षित)

(1)	(2)	(3)
		3. श्री ताराकांत झा सदस्य (अनारक्षित)
		4. श्रीमती अनीता जाट सदस्य (अनारक्षित)
5	खण्डवा	1. श्रीमती अनिता शाह आरक्षित सदस्य (महिला)
		2. श्री अशोक कुमार मिश्रा सदस्य (अनारक्षित)
		3. श्रीमती शिल्पी राय सदस्य (अनारक्षित)
		4. श्रीमती माधुरी शर्मा सदस्य (अनारक्षित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

राजस्व वभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. एफ-1-5-2015-सात-6-689.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला मुरैना की तहसील मुरैना की सीमाएँ, उसमें से तहसील मुरैना के राजस्व वृत्त बामौर, बमरौली, नूराबाद एवं रिठौराकलों के पटवारी हल्का क्रमांक 70 से 117 तक (कुल 48 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बामौर, बमरौली, नूराबाद एवं रिठौराकलों के पटवारी हल्का क्रमांक 70 से 117 तक (कुल 48 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बामौर का सृजन करती है, जिसमें कुल 48 पटवारी हल्के होंगे तथा 95 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बामौर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2018

क्र. एफ-1-5-2015-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-5-2015-सात-6 दिनांक 1 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated the 1st June 2018

No. F. 1-5-2015-VII-6-689.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, alter the limits of Morena Tehsil of District Morena from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 70 to 117 (total 48 Halkas) of Revenue Circle Bamor, Bamrauli, Noorabad and Rithorakalan of Tehsil Morena and Creates a new Tehsil, Bamor, comprising of Patwari Halka No. 70 to 117 (total 48 Halkas), of Revenue Circle, Bamor, Bamrauli, Noorabad and Rithorakalan, in which the total Patwari Halkas shall be 48 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bamor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal. Secy.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 6-16/2018/सात/नजूल

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- भोपाल
मध्यप्रदेश

विषय:-भोपाल रियासत से संबंधित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30/04/1949 से संबंधित बिन्दुओं पर निर्देश।

1. भोपाल रियासत एवं भारत संघ के मध्य निषपादित मर्जर एग्रीमेन्ट दिनांक 30/04/1949 के अंतर्गत नवाब द्वारा निजी तौर पर धारित अचल संपत्ति आदि की एक अनुसूची तैयार की गयी थी। इस अनुसूची में उल्लेखित नवाब की निजी संपत्ति के अतिरिक्त भोपाल रियासत की अन्य समस्त संपत्तियां पूर्ववत शासन की संपत्तियां स्वयमेव शासन में वेष्टित हो गयी थी, किन्तु यह अन्यसंपत्तियां भी शासन के बजए परिवार के नाम पर दर्ज बनी रही।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लू पी 6054/2001 में याचिकाकर्ता द्वारा नवाब भोपाल के नाम पर धारित जो संपत्तियां सरकार की संपत्ति के रूप में मान्य की गई थीं, उनके अवैधानिक अन्तरण को रोकने और विधि अनुसार शासन का कब्जा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को यथोचित निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।
3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16/01/2002 के अनुसार - "Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Revenue, Vallabh Bhawan, Bhopal is directed to hold an enquiry in

the whole matter, find out why the property was not recorded in the name of State of MP and why action was not taken to protect it. Reply of the petition shall be filed by Principal Secretary, Department of Revenue, Govt. of MP under his affidavit along with the report, as directed above. The reply will also spell out the action taken in the matter. Further, respondent-1 is directed not to allow any sale, alienation, encroachment or interference with this property by any one and to take all actions that may be necessary by issuing orders to his officers".

4. उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 16/01/2002 के अनुपालन में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कार्यालय कलेक्टर (नजूल), भोपाल के पत्र क्रमांक 3394/नजूल/02, दिनांक 23/03/2002 के द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया था।

5. इसके पश्चात प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06/04/2002 में मर्जर एग्रीमेन्ट में उल्लिखित नवाब की व्यक्तिगत संपत्ति के अतिरिक्त कतिपय भूमियों को शासन की भूमि मान्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8 के अनुसार - "If this conclusion is upheld by the Hon'ble Court then the Government could take a decision about either re-entering the land (involving demolition etc.) or of settling the land on the persons presently in possession by levying the present prescribed premium, rent etc. In case any of the lands is open/vacant land, it should be reflected as Government property and allowed to remain as open land under Government ownership".

6. उक्त याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 31/08/2004 के अनुसार - "If there has been an illegal alienation of the Government property, it is for the Government to take appropriate steps to redeem the same. Thus, the rights of the third parties whether, trespassers or not, cannot be decided in this writ petition much less in the petition filed as Public Interest Litigation. We are, therefore, of the considered view that parties should be left free to seek relief in the appropriate Forum provided by law. The State is, therefore, left free to

take recourse to such action as is permissible in law to recover its property if the same has been encumbered, encroached or otherwise alienated."

7. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01/स्व. निग./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग./2007-08, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में दर्ज किये गये। इसके अतिरिक्त 109 प्रकरणों को विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है।
8. कलेक्टर, भोपाल के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 370/लिटि/एफ/2017, दिनांक 24/03/2017 द्वारा नवाब भोपाल से संबंधित 13 ग्रामों की भूमियों के संबंध में हस्तांतरण, विक्रय एवं अन्य प्रकार के अंतरण तथा भूमि के किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन को प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करने के पुनः निर्देश जारी किए गए।
9. अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-
 - i. कलेक्टर, भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के हस्तांतरण, विक्रय, अंतरण तथा स्वत्व परिवर्तन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3394/नजूल/2002 दिनांक 23.03.2002 तथा आदेश क्रमांक 370/लिटि/एफ/2017 दिनांक 24.03.2017 माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WP 6054/2001 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16.01.2002 के अनुपालन में जारी किये गये थे, जबकि दिनांक 31.08.2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, अतः कलेक्टर भोपाल के उक्त दोनों आदेशों को निष्प्रभावी माना जाए।
 - ii. कलेक्टर, भोपाल द्वारा 8 ग्रामों से संबंधित भूमियों के प्रकरण क्रमांक 01/स्व. निग./2007-08 से लगायत 08/स्व. निग./2007-08, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत स्वयमेव निगरानी में, मात्र खसरा प्रविष्टि के आधार पर दर्ज किये गये हैं, जबकि संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निगरानी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के संबंध में ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5996 माह मार्च, 2017 में प्रस्तुत किये गये उत्तर के अनुसार 109 प्रकरणों को राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनर्विलोकन में लिया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसी सभी भूमियों के मामलों में, जिनके विवरण परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं तथा जो आज भी भू-अभिलेखों में निजी दर्ज हैं (उन भूमियों को छोड़कर जिन पर शासकीय अस्पताल, शासकीय गेस्ट हाउस, शासन के निकायों/उपक्रमों आदि के अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण हो चुके हैं अथवा जो सार्वजनिक उपयोग में हैं), भू-अभिलेखों में यथोचित संशोधन रोके नहीं जाएँ।

- iii. मर्जर एग्रीमेंट से संबंधित भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों (सिविल/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि) में लंबित प्रकरणों में कण्डिका (i), (ii) में उल्लेखित उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश से परामर्श कर शासन का यथोचित पक्ष समर्थन किया जाए।
 - iv. जिन प्रकरणों में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि पर शासन का दावा प्रस्तुत किया गया है, उनमें शासन के हित में दृढ़ पक्ष समर्थन किया जाए।
11. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 का अंश भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

ग्राम बेहटा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	1/1 में से	0.033	37	6/1 में से	0.036	73	9/3/3	0.049
2	1/1 में से	0.028	38	6/1 में से	0.012	74	9/3/4	0.093
3	1/2/1	0.025	39	6/1 में से	0.036	75	9/3/5/1 में से	0.044
4	1/2/2	0.025	40	6/2	0.012	76	9/3/5/2/1	0.049
5	1/3/1	0.109	41	6/3/1 में से	0.117	77	9/3/5/2/2 में से	0.024
6	1/3/2/1	0.053	42	6/3/2/1	0.057	78	10/1	0.004
7	1/3/2/2	0.069	43	6/3/2/2	0.065	79	10/2	0.037
8	1/3/3क	0.101	44	6/3/3 में से	0.137	80	10/3/1	0.073
9	1/3/3ख	0.101	45	6/3/3 में से	0.089	81	10/3/2	0.073
10	1/3/4क	0.101	46	6/3/4	0.004	82	10/3/3	0.045
11	1/3/4ख	0.101	47	6/3/5/1	0.093	83	10/3/4/1	0.020
12	1/3/5	0.198	48	6/3/5/2	0.053	84	10/3/4/2/1	0.045
13	1/3/6/1	0.053	49	6/3/5/3/1	0.008	85	10/3/4/2/2 में से	0.216
14	1/3/6/2/1	0.101	50	6/3/5/3/2/1	0.004	86	10/3/4/2/2 में से	0.045
15	1/3/6/2/2/1	0.036	51	6/3/5/3/2/2 में से	0.053	87	11/1/1	0.020
16	1/3/6/2/2/2	0.214	52	7/1/1	0.133	88	11/1/2/1	0.202
17	1/3/6/2/2/3 में से	0.124	53	7/1/2	0.145	89	11/1/2/2	0.028
18	1/3/6/2/2/3 में से	0.101	54	7/1/3/1	0.121	90	11/1/2/3/1	0.028
19	4 में से	0.117	55	7/1/3/2	0.025	91	11/1/2/3/2/1	0.065
20	5/1 में से	0.113	56	7/2/1	0.040	92	11/2/1 में से	0.008
21	5/1 में से	0.121	57	7/2/2/1	0.101	93	11/2/1 में से	0.012
22	5/2, 6/1 में से	0.032	58	7/2/2/2	0.057	94	11/2/2/1	0.020
23	5/2 में से	0.028	59	7/2/2/3 में से	0.040	95	11/2/2/3/1	0.008
24	5/2 में से	0.020	60	8/1/2/1	0.012	96	11/2/2/3/2/1	0.028
25	5/3 में से	0.069	61	8/1/2/2	0.053	97	11/2/2/3/2/2	0.028
26	5/3 में से	0.072	62	8/1/2/3/2	0.065	98	12/1	0.004
27	5/4/1	0.069	63	8/1/2/3/3 में से	0.055	99	12/2/1	0.036
28	5/4/2	0.073	64	8/1/1 में से	0.012	100	12/2/2/1	0.096
29	5/5 में से	0.101	65	8/1/1 में से	0.028	101	12/2/2/2	0.057
30	5/5 में से	0.137	66	8/2/2/1	0.069	102	12/2/2/3/1	0.065
31	5/6/1	0.045	67	8/2/2/2/2 में से	0.022	103	12/2/2/3/2 में से	0.213
32	5/6/2	0.049	68	8/2/2/2/2 में से	0.046	104	13/1	0.008
33	5/6/3/1	0.121	69	9/1 में से	0.024	105	13/2 में से	0.712
34	5/6/3/2/1	0.057	70	9/1 में से	0.037	106	15/1/1	4.240
35	5/6/3/2/2	0.277	71	9/2	0.012	107	15/1/2 में से	0.016
36	6/1 में से	0.061	72	9/3/2	0.093	108	15/1/2 में से	0.026

109	15/1/2 में से	0.025	145	48/1	0.749	181	131/2	0.328
110	15/1/2 में से	0.026	146	48/2	0.061	182	132/1	0.267
111	15/2	0.049	147	49/1/2 में से	0.559	183	133क/1	0.142
112	15/3	0.101	148	49/2/2	0.161	184	133ख	0.198
113	19/1/2/2	2.772	149	49/2/3	0.040	185	133ग	0.388
114	19/2/1/2, 23/1	0.401	150	50	0.433	186	134	0.077
115	19/4, 20/1	1.376	151	57	0.049	187	135	0.057
116	21	1.846	152	99, 226/102	0.130	188	136	0.166
117	22/1	3.084	153	100	0.036	189	137	0.146
118	23/2	0.049	154	101	0.081	190	138	0.032
119	25/2/2	0.040	155	102/1	0.109	191	139	0.061
120	26/1	0.809	156	102/2	0.494	192	140	0.028
121	27/1/1/1	4.338	157	105	0.036	193	141	0.049
122	27/1/1/2	0.081	158	106	0.077	194	142	0.020
123	27/1/1/2/1क-1	0.239	159	107	0.061	195	143	0.032
124	27/1/1/2/2क-1	0.114	160	108	0.069	196	144	0.028
125	27/1/1/2/3क-1	0.133	161	110	0.073	197	145	0.049
126	27/1/1/2क-2	0.146	162	111	0.036	198	146	0.081
127	27/1/1/2क-3	0.146	163	112	0.073	199	150 में से	0.040
128	27/1/1/2क-4	0.146	164	113	0.012	200	151	0.129
129	27/1/1/2क-5	0.146	165	116	0.089	201	152	0.101
130	27/1/1/2क-6	0.146	166	117	0.243	202	153	0.142
131	28/2/2	0.344	167	118	0.024	203	154क	0.081
132	30/2/2	0.162	168	119	0.040	204	190/115	0.109
133	32/2/2क	0.162	169	120	0.057	205	193/27/1/2	0.202
134	32/2/2ख	0.065	170	121	0.024	206	193/27/2	0.203
135	32/2/2 में से	0.036	171	122	0.045	207	223/15	1.073
136	32/2/2ग	0.036	172	123 क	0.008	208	224/133	0.789
137	32/2/2घ	0.065	173	123 ख	0.008	209	225/102	0.024
138	33/1	0.008	174	123 ग	0.020	कुल किला - 209		41.158
139	44	0.704	175	124	0.032			
140	45	0.413	176	125	0.077			
141	46/1	0.267	177	129/1 में से	0.429			
142	46/2	0.336	178	129/2 में से	0.024			
143	47/1	0.020	179	130/1 में से	0.275			
144	47/2	0.640	180	131/1	0.073			

ग्राम लाऊखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (है.मे)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (है.मे)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (है.मे)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	94-120, 121, 126/2/3/1	0.105	33	113/1/1/2	0.797	65	129/2/1/2	0.004
2	94-120, 121, 126/3/2/1	0.097	34	113/1/1/3	0.053	66	133/2	0.081
3	94-120, 121, 126/3/2/2	1.842	35	113/1/1क	0.299	67	216/1/2	0.275
4	100-101/2/1क	1.608	36	113/1/1ख	0.194	68	216/2/2	0.016
5	100-101/2/1ख	0.561	37	113/1/1ग	0.105	69	222/1	0.527
6	102/2/1	0.348	38	113/1/1घ	0.231	70	222/2	0.032
7	102/2/2	0.128	39	113/1/1ङ	0.299	71	225-226/2/1/1	0.121
8	103, 104, 105/2/1/1क	0.112	40	113/1/1च	0.024	72	225-226/2/1/2	0.591
9	103, 104, 105/2/1/1ख	0.289	41	113/1/2	0.045	73	230/3	0.036
10	103, 104, 105/2/1/2	0.607	42	114/1/1/1	0.640	74	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/1	0.027
11	103, 104, 105/2/2	1.780	43	114/1/1/2	0.567	75	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/2	3.923
12	109, 116/2, 117/2	0.454	44	114/1/2ख	0.299	76	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/1/2/2	0.008
13	109, 116/2, 117/1/1क	1.132	45	114/1/2ग	0.105	77	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/3	0.032
14	109, 116/2, 117/1/1ख	0.025	46	114/1/2घ	0.105	78	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/4	0.028
15	109, 116/2, 117/2/1/2	0.789	47	115/1/1क	0.405	79	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/5	0.053
16	109, 116/2, 117/1/3	0.304	48	115/1/1ख	0.028	80	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/6	0.053
17	110/1/1	0.498	49	115/1/1ग	0.420	81	(237, 238, 239, 240, 241, 242)/1/2/2/7	0.028
18	110/1/2/1	0.383	50	115/1/2	0.385	82	238/2/1/1, 239, 240, 241, 242	0.202
19	110/1/2/2	0.717	51	115/1/3	0.234	83	238/2/1क, 239, 240, 241, 242	0.049
20	110/1/3	0.526	52	116/1/1	0.202	84	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.053
21	110/1/4	0.405	53	116/1/1/1क	0.282	85	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.121
22	110/1/5	0.101	54	116/1/1/1ख	0.020	86	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121
23	111/1	0.036	55	116/1/1/1ग	0.045	87	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.121
24	111/2	0.600	56	116/1/1/1घ	0.045	88	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121
25	112/1/1क	1.866	57	116/1/1/2/1	0.202	89	238/2/1ज, 239, 240, 241, 242	0.121
26	112/1/1ख	0.506	58	116/1/1/2/2	1.117	90	238/2/1झ, 239, 240, 241, 242	0.121
27	112/1/2	0.081	59	116/1/1/3	0.296	91	238/2/1ञ, 239, 240, 241, 242	0.121
28	112/1/3क	0.020	60	118/1/1	0.421	92	238/2/1ट, 239, 240, 241, 242	0.121
29	112/1/3ख	0.162	61	118/1/2	0.069	93	238/2/1ड, 239, 240, 241, 242	0.121
30	112/1/3ग	0.020	62	118/2	0.409	94	238/2/1ढ, 239, 240, 241, 242	0.121
31	112/2	0.154	63	119	0.450	95	238/2/1ण, 239, 240, 241, 242	0.121
32	113/1/1/1	0.433	64	122/1	0.461	96	238/2/1त, 239, 240, 241, 242	0.190

97	238/2/1ण, 239, 240, 241, 242	0.121	124	250	0.121	151	94/2/2/6, 120-121-126	0.016
98	238/2/1न, 239, 240, 241, 242	0.121	125	252/2/1	1.685	152	94/2/2/7, 120-121-126	0.010
99	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.121	126	252/2/2	0.045	153	94/2/2/8, 120-121-126	0.010
100	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.121	127	273/1/2	0.206	154	94/2/2/9, 120-121-126	0.010
101	238/2/1च, 239, 240, 241, 242	0.121	128	275/2/9	0.049	155	94/2/2/10, 120-121-126	0.010
102	238/2/1ज, 239, 240, 241, 242	0.121	129	276/2/9	0.109	156	94/2/2/11, 120-121-126	0.285
103	238/2/1झ, 239, 240, 241, 242	0.121	130	277/2/9/2	0.105	157	94/2/2/12, 120-121-126	0.014
104	238/2/1ख, 239, 240, 241, 242	0.061	131	297/207/2	0.283	158	94/2/3/1, 120-121-126	0.105
105	238/2/1ग, 239, 240, 241, 242	0.061	132	299/222	0.073	159	94/2/3/5, 120-121-126	0.082
106	238/2/1घ, 239, 240, 241, 242	0.061	133	301/236/2	0.514	160	94/2/3/6, 120-121-126	0.020
107	238/2/1ङ, 239, 240, 241, 242	0.061	134	302/24/2	0.049	161	94/2/4, 120-121-126	0.113
108	234/2/13क	0.150	135	308/111/1	0.425	162	94/2/4/2, 120-121-126	0.101
109	244/1क	1.874	136	308/111/2	0.833	163	94/2/4/3, 120-121-126	0.101
110	244/1ख	0.014	137	83/1/1/ग, 89, 130, 131, 132	0.089	164	94/2/4/4, 120-121-126	0.101
111	244/2	0.028	138	92/1/1	0.321	165	94/2/4/5, 120-121-126	0.101
112	244/3	0.012	139	92/1/1/2	0.299	166	94/2/4/6, 120-121-126	0.101
113	245/2क	0.040	140	92/1/2	0.028	167	94/2/4/7, 120-121-126	0.101
114	245/2ख	0.284	141	92/2	0.069	168	94/2/4/8, 120-121-126	0.141
115	245/3ख	0.263	142	92/2/1, 93/क	0.057	169	94/2/4/9, 120-121-126	0.020
116	246/2	0.174	143	93/ख/1	0.026	170	94/2/4/10, 120-121-126	0.141
117	247/2/1, 248/1/2	0.084	144	93/ग/1	0.089	171	94/2/4/11, 120-121-126	0.012
118	247/2/3, 248/1/3	0.036	145	94/2/1क, 120-121-126	0.117	172	94/2/4/12, 120-121-126	0.117
119	247/2, 248/1	0.749	146	94/2/1ख, 120-121-126	0.502	173	94/2/4/13, 120-121-126	0.101
120	247/2, 248/2	0.089	147	94/2/2, 120-121-126	0.109	174	94/2/4/14, 120-121-126	0.407
121	248/2/1क	0.417	148	94/2/2/3, 120-121-126	0.008	175	94/2/4/15, 120-121-126	0.019
122	248/2ख	0.011	149	94/2/2/4, 120-121-126	0.004	176	94/2/4/16, 120-121-126	0.011
123	249	0.360	150	94/2/2/5, 120-121-126	0.008	177	94/2/5, 120-121-126	0.012
178	94/2/5/1, 120-121-126	0.016	210	128/1/2	0.064	242	231/1/2/1	0.016
179	94/2/6/1, 120-121-126	0.222	211	128/1/3/1	0.029	243	231/1/2/2	0.016
180	94/2/6/2, 120-121-126	0.223	212	128/1/3/2	0.093	244	231/1/2/3	0.053
181	94/2/7, 120-121-126	0.166	213	128/1/4	0.149	245	232/2/1	0.004
182	94/2/8, 120-121-126	0.010	214	128/1/5/1	0.121	246	232/2/2	0.045
183	94/2/9, 120-121-126	0.010	215	128/1/5/2	0.013	247	232/2/3	0.101
184	113/2	0.061	216	128/1/6/1	0.077	248	232/2/4	0.013
185	116/1/2	1.854	217	128/1/6/2	0.073	249	232/2/5	0.092
186	123/1/1	0.020	218	133/2	0.089	250	232/2/6/3	0.097
187	123/1/2	0.150	219	134/2	0.028	251	234/1/1	0.093
188	123/2/1	0.013	220	207/2	0.817	252	234/1/2	0.053
189	123/2/2क	0.033	221	208	0.235	253	234/1/3	0.202
190	123/2/2ख	0.021	222	209/2	0.482	254	234/1/3/1	0.016
191	124/1/1क	0.020	223	210/2	0.388	255	234/1/3/3	0.112
192	124/1/1ख	0.012	224	212/1/2	0.283	256	234/2/13क	0.150
193	124/1/1ग	0.174	225	213/2	0.377	257	254ख	0.255
194	124/2/1क	0.016	226	215/2	0.008	258	255/ख	0.741
195	124/2/2/1	0.024	227	217/1/1, 218	1.130	259	256/ख	0.862
196	124/2/2क	0.004	228	217/1/2, 218	0.089	260	257/ख	0.206
197	124/2/2ख	0.016	229	217/218/2/1	0.637	261	260/2/62/2/2	4.321
198	124/2/2ग	0.036	230	217/218/2/2	0.637	262	261	1.598
199	124/2/2घ	0.032	231	217/218/2/3	0.396	263	264/1	0.016
200	124/2/2ङ	0.024	232	217/218/2/4	0.006	264	295/260	0.474
201	124/2/2च	0.020	233	221	0.417	265	297/207/1	0.251
202	124/2/2छ	0.012	234	223	0.413			
203	127/1/1	0.511	235	224/2/1/1	0.301		कुल किला -265	70.853
204	127/1/1ख	0.117	236	224/2/2क	0.132			
205	127/1/2	0.561	237	224/2/2ग	0.223			
206	127/2	0.154	238	224/2/2घ	0.018			
207	128/1/1क/1	0.018	239	224/2/2ङ	0.243			
208	128/1/1क/2	0.007	240	224/2/3	0.607			
209	128/1/1ख	0.093	241	231/1/1	0.077			

ग्राम हलालपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.में)
1	2	3	1	2	3
1	78	0.024	41	80/1/ख/2	1.531
2	79/1/1	0.101	42	80/2	0.315
3	79/1/1/5/4/10/1/2	0.101	43	80/3	0.319
4	79/1/1/5/1	0.101	44	80/4	0.646
5	79/1/1/5/2	0.101	45	80/5	0.643
6	79/1/1/5/3	0.101	46	80/6	0.786
7	79/1/1/5/4	0.101	47	80/7	0.752
8	79/1/1/5/4/1	0.101	48	81	0.328
9	79/1/1/5/4/2/1	0.101	49	82/1/1	0.101
10	79/1/1/5/4/2/2	0.101	50	82/1/2	0.101
11	79/1/1/5/4/2/3	0.101	51	82/1/3	0.101
12	79/1/1/5/4/2/4	0.101	52	82/1/4	0.041
13	79/1/1/5/4/2/6	0.101	53	82/1/5	0.077
14	79/1/1/5/4/2/7	0.101	54	82/1/6/1	0.405
15	79/1/1/5/4/2/8	0.101	55	82/1/6/2, 82/1/6/3, 82/1/6/4, 82/1/6/5, 82/1/6/6/1	0.749
16	79/1/1/5/4/2/9	0.101	56	82/1/6/6/2	0.060
17	79/1/1/5/4/2/11	0.101	57	82/2	0.101
18	79/1/1/5/4/2/12	0.101	58	83, 84/2, 85/2/1/1, 86, 87/1/1, 120/84/2	3.358
19	79/1/1/5/4/2/13	0.101	59	84/1/1	0.061
20	79/1/1/5/4/5	0.101	60	84/1/2	0.101
21	79/1/1/5/4/10/1/2	0.101	61	84/1/3	0.101
22	79/1/1/5/4/10/1/4	0.165	62	84/1/4	0.024
23	79/1/1/5/5/1	0.101	63	83, 84/2, 85/2/1/1, 86, 87/1/1, 120/84/1	4.662
24	79/1/1/5/5/2	0.101	64	85/2/1/2, 86	0.089
25	79/1/1/5/5/3	0.101	65	85/2/2, 86	0.061
26	79/1/2	0.101	66	85/2/3, 86	0.067
27	79/1/3	0.101	67	85/2/4, 86	0.067
28	79/1/4	0.101	68	85/2/5, 86	0.067
29	79/1/5/4/2/10/1/1	2.672	69	85/2/6, 86	0.101
30	79/2/1/2/क/1	0.345	70	85/2/7, 86	0.101
31	79/2/1/2/क/2	0.411	71	87/1/2	0.101
32	79/2/1/2/ख	0.093	72	87/2/1	1.013
33	79/2/1/2/ग/1	1.853	73	87/2/2	0.210
34	79/2/1/2/ग/2	0.150	74	87/2/3	0.384
35	79/2/1/2/ग/3	0.133	75	87/3	1.356
36	79/2/1/ख	0.183	76	88/1	0.607
37	79/2/2/क	0.121	77	88/2	0.161
38	79/2/2/ख	1.093	78	89/1	0.247
39	80/1/क	1.731	79	89/2, 89/3	0.073
40	80/1/ख/1	0.200		कुल किता - 79	31.868

ग्राम-बोरवन

स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)	स.क्र.	खसरा क्रमांक	रकवा (हे.में)
1	2	3	1	2	3
1	14/2 में से	0.466	34	16/3 में से	0.012
2	14/2 में से	0.021	35	16/3 में से	0.123
3	14/2 में से	0.021	36	16/3 में से	0.041
4	14/2 में से	0.129	37	16/3 में से	0.016
5	14/2, 15/3/1/1 में से	0.008	38	16/3 में से	0.011
6	14/2, 15/3/3	0.068	39	16/3 में से	0.162
7	14/2, 15/3/1/2	0.023	40	16/3 में से	0.162
8	14/2, 15/3/1/3	0.025	41	16/3 में से	0.162
9	14/2 में से	0.299	42	16/3 में से	0.162
10	14/2	0.008	43	16/3 में से	0.162
11	15/2 में से	0.150	44	16/3 में से	0.162
12	15/2 में से	0.097	45	16/3	1.064
13	15/2 में से	0.097	46	16/4 में से	0.152
14	15/2 में से	0.150	47	16/4/2/1	0.159
15	15/2/1 में से	0.077	48	16/4/2/2	0.020
16	15/2/3/1क	0.018	49	16/4/2/3	0.020
17	15/2/3/2क	0.006	50	16/4 में से	0.165
18	15/2/3ख	0.018	51	19/1/1	0.150
19	15/2/2	0.149	52	16/4/क2	0.315
20	15/3/1 में से	0.231	53	16/4ग	0.129
21	15/3/1 में से	0.011	54	16/4घ	0.133
22	15/3/1 में से	0.014	55	16/4ख	0.032
23	15/3/1 में से	0.035	56	16/4क/मि-1, 19/1/1/1	0.733
24	15/3/1 में से	0.012	57	16/4 में से	0.099
25	15/3/1 में से	0.012	58	16/4/1	0.051
26	16/1 में से	0.150	59	16/4/2	0.048
27	16/1/1	0.318	60	16/फ/6	0.154
28	16/1/2	0.023	61	16/ब	0.198
29	16/2 में से	0.129	62	19/1/1	0.150
30	16/2 में से	0.321	कुल किता - 62		8.885
31	16/2 में से	0.348			
32	16/2 में से	0.352			
33	16/2 में से	0.152			

क्रमांक एफ 6-48/2014/सात/नजूल

भोपाल, दिनांक 1/4 मई 2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त
मध्य प्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश।

विषय:- नजूल के स्थायी पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थायी पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया।

--0--

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के लिये समय-समय पर जो स्थाई पट्टे जारी किये गये हैं, उनकी अवधि का अवसान हो जाने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं हो सका है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें नवीनीकरण के प्रकरण विचाराधीन हैं किन्तु स्थाई पट्टों की शर्तों का उल्लंघन/अपालन के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है और ना ही ऐसी भूमियों पर पट्टावधि का अवसान हो जाने के परिणामस्वरूप पुनर्प्रवेश (re-entry) की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे मामलों में पट्टेदार निरंतर ऐसी भूमि का उपभोग कर रहा है, दूसरी ओर स्थाई पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने के कारण कतिपय पट्टेदार जो अपने पट्टे के भू-खंड को विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित करना चाहते हैं वे भी अंतरण नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही भू-भाटक के रूप में शासन को होने वाली निरंतर आय भी अवरूद्ध है।

अतएव समय-समय पर जारी किये गये स्थाई पट्टे, चाहे ऐसे पट्टे तत्कालीन विधि अधिनियम/नियम/परिपत्र के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी के द्वारा दिये गये हों, विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-48/2014/सात/नजूल दिनांक 11.07.2014 एवं समय-समय पर तत्संबंधी जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए स्थाई पट्टों के

नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (1) भूमि आबंटन के सभी प्रकरणों में स्थाई पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के मामलों में इस परिपत्र के अनुसरण में नवीनीकरण एवं उल्लंघन के शमन (compound) के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर 'प्राधिकृत अधिकारी' होंगे।
- (2) पट्टेदार स्थाई पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।
- (3) ऐसे मामलों में जहां स्थाई पट्टे की अवधि के अंतिम वर्ष में उप कंडिका (2) के अनुसार नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया जाता है:-

- (क) प्राधिकृत अधिकारी पट्टावधि के अवसान होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किये गये नवीनीकरण के आवेदन पर पट्टा नवीनीकरण योग्य पाये जाने पर विलम्ब के लिये शमन राशि अधिरोपित करेगा।
- (ख) विलम्ब के लिये अधिरोपित शमन राशि नियत किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्रकरण के पट्टे की शर्तों के उल्लंघन/अपालन का परीक्षण करते हुए नवीनीकरण के लिये अग्रसर होगा।

- (4) प्राधिकृत अधिकारी ऐसे स्थाई पट्टों के विषय में जिनकी अवधि का अवसान हो चुका है, के नवीनीकरण के लिये इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में परीक्षण करते हुए स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकेगा।
- (5) प्राधिकृत अधिकारी पट्टे के नवीनीकरण के लिये नजूल अधिकारी/तहसीलदार नजूल के माध्यम से स्थल निरीक्षण उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा:-

- (क) पट्टेदार द्वारा वार्षिक भू-भाटक जमा किया गया है और उस पर कोई बकाया शेष नहीं है। यदि शेष है तो कब से और वर्तमान तक बकाया राशि का विवरण।
- (ख) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है, यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन या अपालन पाया जाता है तो उल्लंघन या अपालन का विवरण।
- (ग) भू-खंड का उपयोग विचारण के समय प्रचलित विकास योजना (मास्टर प्लान) में नियत प्रयोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं।

- (घ) यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में भू-खंड के पूर्ण या अंश भाग, जिसका भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया है, के क्षेत्रफल का नजरीं नक्शा सहित विवरण।
- (ङ) पट्टेदार द्वारा पट्टे की अवधि के दौरान किसी शर्त के उल्लंघन/अपालन किये जाने पर ऐसे उल्लंघन/अपालन के मामले में सक्षम प्राधिकार से शमन स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं। यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विवरण।
- (च) ऐसा अन्य कोई बिन्दु जिसे प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे।
- (6) उपरोक्तानुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर यदि प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि स्थाई पट्टे की शर्त का कोई उल्लंघन/अपालन नहीं हुआ है या शमन स्वीकृत हो चुका है और पट्टेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी आगामी तीस वर्ष की अवधि के लिये पट्टे का नवीनीकरण करेगा:
- परन्तु पट्टे का नवीनीकरण करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी वार्षिक भू-भाटक को पुनर्निर्धारित करेगा जो पट्टे पर अंतिम निर्धारित भू-भाटक का छः गुना होगा।
- (7) स्थाई पट्टों की विभिन्न शर्तों में से किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/अपालन प्रतिवेदित होने/पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करेगा।
- (8) प्राधिकृत अधिकारी परिपत्र की संलग्न अनुसूची अनुसार शमन राशि लेकर पुनर्प्रवेश (re-entry) के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामलों का निराकरण कर सकेगा।
- (9) कंडिका (8) में उल्लेखित अनुसूची के लिये 'एक वर्ष' से तात्पर्य छः माह या अधिक की अवधि होगा।
- (10) कंडिका (8) की अनुसूची के सरल क्रमांक 6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:-
- (क) आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भू-खंड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ-साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा:-
- (एक) ट्यूशन कार्य हेतु किया जाता है; अथवा

(दो) सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी जैसे कुटीर उद्योग हेतु किया जाता है, तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जायेगा:

परन्तु संरचना या उसके किसी भाग का उपयोग कोचिंग क्लासेस जैसे कार्य हेतु अथवा बुटीक, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय के लिये उपयोग किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जायेगा।

(ख) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भू-खंड पर निर्मित संरचना को यदि आवासीय प्रयोजन के लिये किराए पर दिया जाता हो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा:

परन्तु संरचना के सम्पूर्ण अथवा अंश भाग का उपयोग गेस्ट हाउस अथवा होस्टल के रूप में किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा।

(ग) पट्टे की वैधता अवधि में अथवा पट्टे नवीनीकरण उपरांत यदि पट्टेदार, पट्टे के किसी अंशभाग या पूर्ण पट्टे का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य हेतु परिवर्तन करना चाहता है, और ऐसा उपयोग परिवर्तन नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिसूचित संबंधित नियोजन क्षेत्र के स्वीकृत " विकास योजना " (Development Plan) में अनुमत है, तो पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी को इस बाबत अनुमोदित पूर्ण ले-आउट प्लान एवं मास्टर प्लान में उक्त भूमि के उपयोग की सक्षम स्वीकृति के प्रमाण के साथ आवेदन करेगा तथा प्राधिकृत अधिकारी संतुष्टि उपरांत इन निर्देशों के साथ संलग्न अनुसूची की कण्डिका - 6 में वर्णित अनुसार प्रीमियम व भू भाटक निर्धारित करते हुए राशि जमा होने के उपरान्त उपयोग परिवर्तन स्वीकृत कर सकेगा।

परन्तु यह और कि इस कण्डिका के अधीन स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की लिखित अनुमति होने पर पट्टे की शर्तों को उस सीमा तक संशोधित माना जावेगा।

(11) पट्टे की शर्तानुसार भू-खंड में यदि अनुमत आकार से अधिक क्षेत्रफल पर मूल प्रयोजन हेतु निर्माण किया गया है और ऐसे निर्माण के संबंध में स्थानीय नगरीय निकाय की इस बाबत लिखित अनुमति प्राप्त की गई है अथवा

शमन कर दिया गया हो तो पट्टे की ऐसी सुसंगत शर्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

- (12) कंडिका (8) में उल्लेखित के सिवाय पट्टे में अंकित किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की दशा में अथवा शमन राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अथवा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी पट्टा नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण 06 माह में किया जाएगा। निराकरण में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी। पुनर्प्रवेश उपरांत पारदर्शी तरीके से नीलामी द्वारा भूमि का निवर्तन करते हुए पट्टे पर दी जायेगी।
- (13) ऐसे मामलों में जिनमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो चुकी है और विधिवत पट्टे के अंतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, उत्तराधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम यथास्थिति उत्तरजीविता या वसीयत के आधार पर पट्टे के अंतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा। अंतरण के पूर्व देय बकाया राशि एवं शमन राशि के भुगतान उपरान्त ही अंतरण स्वीकार्य होगा। पट्टे के अंतरण होने के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु पट्टे के अंतरण उपरांत छः माह की अवधि के भीतर पट्टे के नवीनीकरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा अन्यथा पुनर्प्रवेश हेतु विधिक कार्यवाही की जाएगी।

- (14) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टेदार द्वारा भू-खंड का विक्रय, दान या अन्यथा अंतरण किया गया है, किन्तु पट्टे के अंतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, अंतरिती द्वारा पट्टे के अंतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा। अंतरण के पूर्व देय बकाया राशि एवं शमन राशि के भुगतान उपरान्त ही अंतरण स्वीकार्य होगा। पट्टे के अंतरण के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु पट्टे के अंतरण उपरांत छः माह की अवधि के भीतर पट्टे के नवीनीकरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा अन्यथा पुनर्प्रवेश हेतु विधिक कार्यवाही की जाएगी।

- (15) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि अवसान के बाद नवीनीकरण कराए बिना ही भू-खंड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा नवीनीकरण चाहे जाने पर इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तदक्रम में अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएगा।
- (16) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि के अवसान होने के बाद तीस वर्ष या उससे भी अधिक की अवधि बीत चुकी है, इस परिपत्र के अन्य प्रावधानों के अध्यक्षीन रहते हुए मूल पट्टा की अवसान तिथि को तीस वर्ष के लिये कल्पित नवीनीकरण मान्य करते हुए तदक्रम में आगामी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा।
- (17) शर्त उल्लंघन के प्रकरणों में शमन राशि जमा किए जाने की सूचना देने के एक माह के अंदर शमन राशि जमा करना होगा एवं प्रकरण के निराकरण के उपरान्त एक माह के अंदर नवीन पट्टा तैयार कर विधिवत पंजीयन कराना होगा। पट्टा नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए 06 माह की समय-सीमा का निर्धारण किया जाता है।
- (18) यह परिपत्र 31 मार्च 2017 के पूर्व जारी किये गये स्थाई पट्टों के संबंध में प्रभावशील होगा।
- (19) ऐसे मामलों में, जिसमें स्थाई पट्टों की अवधि दिनांक 31/03/2017 के पूर्व समाप्त हो चुकी है तथा पट्टे की शर्त के उल्लंघन / अपालन की स्थिति निर्मित हो रही है, इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष तक आवेदन किये जा सकेंगे एवं प्राप्त आवेदनों का निराकरण परिपत्र जारी होने की दिनांक से 02 वर्ष की समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

नज़ूल पट्टे नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन/अपालन हेतु अनुसूची

स.क्र.	शर्त उल्लंघन/अपालन का स्वरूप	शमन राशि
1.	पट्टा अवधि अवसान के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में विलंब माफी के लिये (पट्टा अवधि अवसान से आवेदन के दिनांक तक के वर्षों हेतु।)	प्रत्येक चूक वर्ष के लिए आवेदन के दिनांक को लागू गार्डलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का 0.01 प्रतिशत राशि
2.	पट्टा अवधि के अवसान होने की तिथि को कुल देय भू-भाटक की राशि जमा नहीं किये जाने के मामले में।	देय बकाया राशि, देय बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं बकाया राशि के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति
3.1	पट्टे की अवधि के दौरान निर्माण हेतु उल्लेखित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए एक बार तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि निर्माण करने हेतु प्रदान करते हुए।	शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश दिनांक को लागू गार्डलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत राशि।
3.2	कंडिका 3.1 के अनुसार प्रदत्त अतिरिक्त अवधि की समाप्ति एवं पट्टा अवसान के मध्य की अवधि में निर्माण करने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए।	शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश दिनांक को लागू गार्डलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत राशि।
3.3	पट्टा अवधि अवसान होने के उपरांत निर्माण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में पट्टे का नवीनीकरण करने पर पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन कर एक बार पुनः तीन वर्ष की अवधि निर्माण हेतु प्रदान करते हुए।	बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि और उक्त अनुसार संगणित प्रब्याजि पर प्रयोजन अनुसार भू-भाटक। टीप - 1 :- आवासीय हेतु भू-भाटक 5 प्रतिशत एवं व्यवसायिक हेतु भू-भाटक 7.5 प्रतिशत।
4.1	अंतरण की प्रतिबंधित अवधि के भीतर तथा/अथवा बिना समुचित अनुमति प्राप्त किये दान अथवा विक्रय द्वारा या अन्यथा (उत्तरजीविता के आधार पर नामांतरित को छोड़कर) भू-खंड अंतरित किये जाने की दशा में।	अंतरण दिनांक को लागू गार्डलाइन के आधार पर और यदि तत्समय गार्डलाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छोट के आधार पर संगणित मूल्यांकन का 0.5 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज। टीप - 1 :- अंतरणीय पट्टे के मामले में ही शमन स्वीकृत किया जायेगा। अन्य मामलों में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
4.2	मूल आवंटी की मृत्यु होने पर वैध वारिसों के नाम सम्पत्ति के हस्तांतरण / नामांतरण की स्थिति में।	एक मुश्त रूपये 2,000/-

5.1	पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भू-खंड का इस प्रकार अंतरण/अभिहस्तांकन किये जाने पर जिससे कि उत्तर जीविता के आधार पर भू-खंड का विभाजन होता हो अथवा भू-खंड के एकाधिक विभाजन किये जाने की दशा में प्रत्येक विभाजन हेतु	एक मुश्त रूपये 2,000/- टीप -1 - ऐसे प्रकरणों में तभी शमन किया जाएगा जबकि तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत भू-खंड का विभाजन अनुज्ञेय हो।
5.2	पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भू-खंड का इस प्रकार अंतरण/अभिहस्तांकन किये जाने पर जिससे कि भू-खंड का विभाजन होता हो अथवा भू-खंड के एकाधिक विभाजन किये जाने की दशा में प्रत्येक विभाजन हेतु (उत्तर जीविता के मामलों को छोड़कर)	अंतरण दिनांक को लागू गाइडलाइन के आधार पर और यदि तत्समय गाइडलाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छंट के आधार पर संगणित मूल्यांकन का 0.5 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज।
6.	यदि प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय है तो ऐसे मामलों में पट्टे में उल्लेखित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की दशा में।	वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल के संगणित बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि लेकर और उक्त प्रब्याजि राशि का 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक नियत करते हुए। टीप - 1 :- परिवर्तित प्रयोजन के लिये आदेश की दिनांक को प्रचलित वर्ष की गाइड लाइन के आधार पर प्रब्याजि एवं भू-भाटक की गणना मान्य होगी। टीप - 2 :- वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल से तात्पर्य है भू-खंड का वह अंश जिसका प्रयोजन परिवर्तन किया गया है। टीप - 3 :- परिवर्तित क्षेत्रफल के अलावा शेष क्षेत्रफल के लिये मूल प्रयोजन अनुसार नियत भू-भाटक का छः गुना किया जाकर निर्धारण किया जाएगा।
7.	प्रयोजन परिवर्तन के ऐसे मामले में जिनमें शर्त उल्लंघन का नोटिस दिये जाने पर परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग बंद कर भू-खण्ड का मूल प्रयोजन में उपयोग किये जाने की दशा में।	एक मुश्त रूपये 20,000/-

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2018

क्र. बी-बी-8-8-2018-चौदह-2.— भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2018 एवं रबी वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

स्केल ऑफ फायनेंस (ऋणमान) खरीफ वर्ष 2018 (राशि रु. में)

क्र.	जिला	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	अरहर (तुअर)	ज्वार	कोदो कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उडद	बैठक दिनांक
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	26250	21000	26250	14000	0	24500	12200	13100	0	14300	0	21000	21000	16-3-2018
2	बालाघाट	32550	21700	16254	20300	0	25025	0	9450	26040	0	0	12250	12250	22-2-2018
3	खरगोन	0	0	28000	25000	10000	30000	15000	0	22000	0	51000	18000	18000	16-3-2018
4	शिवपुरी	36000	0	30000	25000	18000	24000	18000	0	36000	14000	0	24000	24000	20-3-2018
5	गुना	24000	18000	33000	20000	0	0	12600	0	20000	14000	0	14000	20000	22-2-2018
6	सिंगरोली	40860	30855	37734	29856	23923	30410	23920	15803	34120	23597	42454	21328	21735	5/3/2018
7	रीवा	26880	18988	33600	12600	7735	23625	7735	9450	0	14000	0	21000	21000	31-3-2018
8	विदिशा	56700	56000	32000	22100	0	21900	21000	0	22000	0	0	22000	22000	19-3-2018
9	झाबुआ	20000	0	35000	26000	15000	25000	19000	0	16200	0	50000	20800	25000	22-5-2017
10	पन्ना	37500	20000	28000	20000	0	30000	12000	0	31500	22400	0	20000	20000	19-2-2018
11	छिन्दवाडा	27000	16000	21500	26000	16000	38000	16000	15000	31000	22000	30000	20000	19000	27-3-2018
12	मुरैना	43474	0	34340	32074	24300	32500	28150	0	45250	20800	0	23600	23600	22-3-2018
13	मन्दासौर	0	0	54000	30000	20000	30000	30000	0	30000	25000	40000	30000	30000	7/3/2018
14	अनूपपुर	26250	21000	26250	14000	0	24500	12200	13100	0	14300	0	21000	21000	16-3-2018
15	सागर	30000	25000	30000	25000	0	22000	17000	0	22000	17000	0	22000	22000	20-3-2018
16	खण्डवा	30000	0	40000	30000	24000	35000	25000	0	35000	24000	50000	25000	25000	22-3-2018
17	इन्दौर	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24-3-2018
18	ग्वालियर	38000	0	20000	16000	16000	29400	16600	0	15000	14400	0	22400	21800	27-3-2018
19	सीधी	40860	30855	37734	29856	23923	30411	23923	15803	34120	23597	42454	21328	21735	27-2-2018
20	नरसिंहपुर	28000	0	25000	20000	0	28000	20000	0	16000	13000	0	15000	15000	19-2-2018
21	सिवनी	33000	27000	26000	24200	0	30000	14500	8700	25200	15000	0	18000	19300	28-10-2017
22	श्यामपुर	43474	0	34340	32074	24300	32500	0	0	0	20800	0	0	23600	22-3-2018

क्रं.	जिला	धान सिंचित	धान अंसिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	अरहर (तुअर)	ज्वार	कोदो कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	उडद	बैठक दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	छतरपुर	43200	28000	38000	23000	23000	24000	23000	0	38600	21800	0	24200	21800	12/3-2018
24	जबलपुर	36000	25000	30000	20000	0	25500	11000	0	0	0	0	0	0	27-3-2018
25	बैतूल	28000	0	34400	28000	0	30000	16000	12000	28000	16000	42000	21000	21000	21-12-2017
26	धार	0	0	30000	24000	0	25000	15000	0	20000	0	50000	20000	20000	17-7-2017
27	बडवानी	0	0	28000	25000	10000	30000	15000	0	22000	0	51000	18000	18000	16-3-2018
28	रुज्जैन	0	0	47000	25000	4000	25000	40000	0	0	0	40000	25000	25000	18-12-2017
29	मडला	30000	24500	28000	22000	0	20000	0	15000	0	15000	0	20000	20000	26-3-2018
30	अशोकनगर	30000	20000	32000	20000	0	0	18375	0	20000	14000	0	21000	21000	9/1/2018
31	भोपाल	40000	40000	33000	23000	0	32000	22000	0	0	0	0	23000	23000	16-1-2018
32	कटनी	36000	25000	30000	20000	0	25500	11000	0	0	0	0	25000	25000	27-3-2018
33	दमोह	32000	22000	27000	18000	0	24000	20000	0	20000	15000	0	22000	22000	29-12-2017
34	बुरहानपुर	30000	0	40000	30000	24000	35000	25000	0	35000	24000	50000	25000	25000	22-3-2018
35	रायसेन	42000	30000	18500	18800	0	31900	0	0	28000	0	0	19500	19200	28-3-2018
36	डिण्डोरी	30000	24500	28000	22000	0	20000	0	15000	0	15000	0	20000	20000	28-3-2018
37	उमरिया	26250	21000	26250	14000	0	24500	12200	13100	0	14300	0	21000	21000	16-3-2018
38	हरदा	40000	25000	35000	24000	0	34000	24000	0	0	0	0	24000	24000	31-3-2018

स्केल ऑफ फायनेंस (ऋणमान) रबी वर्ष 2018-19 (राशि रु. में)

क्र.	जिला	गेंहू सिंचित	गेंहू असिंचित	चना	राई-सरसो	अलसी	मसूर	बैठक दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शहडोल	28000	20000	18500	20000	15000	20000	16-3-2018
2	बालाघाट	24290	12145	23100	14000	15750	12250	22-2-2018
3	खरगोन	35000	—	35000	—	—	—	16-3-2018
4	गुना	45000	24000	30000	21000	11000	16000	22-3-2018
5	सिंगरोली	42150	31535	32500	30125	27237	27621	5/3/2018
6	रीवा	29138	19950	39200	16800	17640	18480	31-3-2018
7	विदिशा	35000	26300	34000	12300	13200	20600	19-3-2018
8	पन्ना	40000	18500	29000	28000	11200	21000	19-2-2018
9	छिन्दवाडा	30000	21000	30000	24000	23000	23000	27-3-2018
10	मुरैना	41700	—	31670	31528	—	—	22-3-2018
11	अनूपपुर	28000	20000	18500	20000	15000	20000	16-3-2018
12	सागर	30000	21000	25000	20000	18000	23000	20-3-2018
13	खण्डवा	42000	—	30000	—	—	35000	22-3-2018
14	इन्दौर	50000	—	50000	—	—	—	24-3-2018
15	ग्वालियर	30800	—	27600	23800	—	19200	27-3-2018
16	सीधी	41785	31037	29917	31244	27237	28457	27-2-2018
17	नरसिंहपुर	28000	—	27000	—	—	25000	19-2-2018
18	श्यामपुर	41700	—	31670	31528	—	—	22-3-2018
19	छतरपुर	32500	29000	27000	20000	22000	22000	12/3/2018
20	जबलपुर	36000	25000	34000	20000	20000	21700	27-3-2018
21	बैतूल	35000	25000	30000	30000	22000	25000	21-12-2017
22	बडवानी	35000	—	35000	—	—	—	16-3-2018
23	उज्जैन	47000	—	47000	20000	—	30000	18-12-2017
24	मंडला	26000	20000	23500	12000	10000	17000	26-3-2018
25	अशोकनगर	35000	22000	30000	18000	10000	21000	9/1/2018
26	भोपाल	40000	24000	30000	21000	—	26000	16-1-2018
27	दमोह	32000	18000	32000	—	14000	22000	29-12-2017
28	बुरहानपुर	42000	—	30000	—	—	35000	22-3-2018
29	रायसेन	31000	21000	30800	22400	15960	26700	28-3-2018
30	डिण्डोरी	26000	20000	23500	12000	10000	17000	28-3-2018
31	उमरिया	28000	20000	18500	20000	15000	20000	16-3-2018
32	हरदा	40000	29500	34000	—	23000	27000	31-3-2018

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 7 सन् 2010) की धारा 68 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वनसंरक्षक, उप वनसंरक्षक, सहायक वनसंरक्षक, वन रेंजर और मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के समकक्ष पदश्रेणी के अधिकारियों को, जिन्होंने सहायक वनसंरक्षक हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, क्रमशः उनकी अधिकारिता (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी) में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अधीन अपराध के प्रशमन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

एफ-25-57-2018-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57-2018-दस-3, दिनांक 21 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 21st May 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the Indian Forest (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2009 (7 of 2010), the State Government, hereby, empowers Conservator of Forest, Deputy Conservator of Forest, Assistant Conservator of Forest, Forest Ranger and equivalent rank officers of Madhya Pradesh Rajya Van Vikas Nigam, who have passed the departmental examination of Assistant Conservator of Forest, to exercise the power to compound the offence under the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) in their jurisdiction (Territorial/Wildlife) respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Capt. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक-एफ-85/2017/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को धारण में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यथा घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-21° 53' 16" से N-21° 53' 55" उत्तर अक्षांश तथा

E-74° 51' 55" से E-74° 53' 22" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, जो आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

क्र.	तहसील	बड़वानी		वनमण्डल		बड़वानी		सीमाओं का विवरण
		पटवारी हलका क्र.	ग्राम/सरक्षित वनखण्ड	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि सरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दि.	वन परिक्षेत्र	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	सिलावद	19	सिलावद	36.000	बैडी	डी-1204-1653-	11-6-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 34 तक, खसरा क. 334/2, 330/330/1, 332, 339, 338, 431, 422, 423 एवं 426 की सीमाएं.
				10.000	बैडी	दस-3-2004/		पूर्व:-मुनारा क. 34 से 45 तक, खसरा क. 458, 455/1, एच 455/2.
				10.000	पहाड	दिनांक 03-6-2004		दक्षिण:-मुनारा क. 45 से 92 तक, खसरा क. 441, 440, 323, 322, 349/2, 319, 313, 314, 318 एवं 308 की सीमा।
				56.000	बैडी			पश्चिम:-मुनारा क.-92 से 96 एवं 1 तक, खसरा क. 1/15, 1/17, 321 एवं ग्राम तोगडा की सीमा.
				28.006				(आंतरिक सीमाएं) खण्ड-1
								उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 334/1 की सीमा.
								पूर्व:- मुनारा क. 2 से 3 तक, खसरा क. 334/1 की सीमा.
								दक्षिण:-मुनारा क. 3 से 4 तक, खसरा क. 334/1 की सीमा.
								पश्चिम :- मुनारा क.-4 एवं 1 तक, खसरा क.

उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 3 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.
पूर्व:- मुनारा क. 2 से 3 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.	पूर्व:- मुनारा क. 3 से 7 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
दक्षिण:-मुनारा क. 3 से 4 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.	दक्षिण:-मुनारा क. 7 से 10 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
पश्चिम :- मुनारा क.-4 एवं 1 तक, खसरा क. -438/1 सीमा.	पश्चिम :- मुनारा क.-10 से 12 एवं 1 तक, खसरा क.-438/1 सीमा.
खण्ड-7	खण्ड-8
उत्तर:-मुनारा क. 1 से 3 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 438/1 की सीमा.
पूर्व:- मुनारा क. 3 से 7 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	पूर्व:- मुनारा क. 2 से 9 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
दक्षिण:-मुनारा क. 7 से 10 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	दक्षिण:-मुनारा क. 9 से 15 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
पश्चिम :- मुनारा क.-10 से 12 एवं 1 तक, खसरा क.-438/1 सीमा.	पश्चिम :- मुनारा क.-15 से 18 एवं 1 तक, खसरा क.-438/1 सीमा.
खण्ड-9	खण्ड-10
उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
पूर्व:- मुनारा क. 2 से 9 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	पूर्व:- मुनारा क. 2 से 9 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
दक्षिण:-मुनारा क. 9 से 15 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	दक्षिण:-मुनारा क. 9 से 15 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.
पश्चिम :- मुनारा क.-15 से 18 एवं 1 तक, खसरा क.-438/1 सीमा.	पश्चिम :- मुनारा क.-15 से 18 एवं 1 तक, खसरा क.-438/1 सीमा.
खण्ड-10	
उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 515/1 की सीमा.

Bhopal, the 28th May 2018

No.-F-25-85/17/10-3 : In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby :-

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between **N-21° 53' 16'' TO N-21° 53' 55''** North Latitude and **E-74° 51' 55'' TO E-74° 53' 22''** East Longitude
- specified in the.

- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsi - BARWANI

Forest Division - BARWANI
Forest Range - BARWANI

No.	RF Forest Block	Patwari Taluka No.	Village/Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number & Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Silawad	19	Silawad/	-	334/1 438/1 515/1 योग	36.000 10.000 10.000 56.000	Badi Badi The mountain	D-1204-1653- X-3-2004/ Dated 3-6-2004	1-1-6-2004	North- Pillar No. 1 to 34, Boundaries of Kh. No. 334/2, 330/1, 332, 339, 338, 431, 422, 423 & 426 East- Pillar No. 34 to 45, Boundary of Kh. No. 458, 455/1 & 455/2 South- Pillar No. 45 to 92 Boundary of Khasra no. 441, 440, 323, 322, 349/2, 319, 313, 314, 318 & 305. West- Pillar No. 92 to 96 & 1, Boundary of Kh. No. 315, 1/17, 321 & Village Tangda
			Raichuli PF Block Silawad Compartment no. 341	-	349/1	28.000	Badi			(Internal Limits) OF BLOCK-1 North- Pillar No. 1 to 2, Boundary of Kh. No 334/1 East- Pillar No. 2 to 3 Boundary of Kh. No 334/1 South- Pillar No. 3 to 4, Boundary of Kh. No 334/1 West- Pillar No. 4 & 1 Boundary of Kh. No 334/1

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-87/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पट्ट भूमि और वनभूमि जो

1- वनखण्ड N-22°0'59.519" से N-22°0'44.300" उत्तर अक्षांश तथा E-75°1'37.386" से E-75°02'15.200" पूर्व देशांश,

2- वनखण्ड N-22°0'39.740" से N-22°0'35.680" उत्तर अक्षांश तथा E-74°59'35.560" से E-74°59'41.890" पूर्व देशांश,

के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला - बड़वानी वनमण्डल - बड़वानी
तहसील - बड़वानी वन परिक्षेत्र - बड़वानी

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पट्टवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	1	22	तलवाड़ा बुजुर्ग / तलवाड़ा बुजुर्ग संरक्षित वन खण्ड	5	6	7	8	9	10	11
					12/1/1	19.402	शासकीय पहाड़	एफ-25-161-2016-दस-3 दिनांक 23-03-2017	07-04-2017	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड वन कक्ष क्रमांक-338 का मुनारा क्र. 05 एवं मुनारा क्रमांक-1 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा, पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 12 से 30 तक की कृत्रिम वन सीमा, दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्र. 30 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड क्रमांक-338 के मुनारा क्रमांक-06 तक, पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड क्रमांक-338 का मुनारा क्र. 6 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग					19.402				

2	लोन्सरा बुजुर्ग	लोन्सरा बुजुर्ग / लोन्सरा बुजुर्ग संरक्षित वन खण्ड	51/1क	1.467	शासकीय बड़ी	एफ-25-161- 2016-दस-3 दिनांक 23-03-2017	07-04-2017	उत्तर :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क. 08 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा, पूर्व :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क. 10 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा, दक्षिण :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क. 11 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा, पश्चिम :- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क. 04 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।
	योग	कुल योग :-		1.467 20.869				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018.

एफ-25-87-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-87-2017-दस-3, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 28th May 2018

- No.-F-25-87/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-
 Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest.
- (1) This Forest Block Line between **N-22° 0' 59.519" TO N-22° 0' 44.300" North Latitude and E-75° 1' 37.386" TO E-75° 02' 15.200"** East Longitude specified in the.
- (2) This Forest Block Line between **N-22° 0' 39.740" TO N-22° 0' 35.680" North Latitude and E-74° 59' 35.560" TO E-74° 59' 41.890"** East Longitude specified in the.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Barwani to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI

Forest Division - BARWANI

Tehsil -BARWANI

Forest Range - BARWANI

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Khasra		Village/ PF Block	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
			Old	New						
1	Talwada Bujurg "A"	22	-	12/1/1	Talwada Bujurg / PF Block - Talwada Bujurg	Government Hill	No. F-25-161-2016-X-3 Date 23-03-2017	07-04-2017	North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 of Compartment No. 338 to Pillar No. 1 to 12 of Protected Forest Block. East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 30 of Protected Forest Block. South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 30 to 46 & Pillar No. 06 of Compartment No. 338. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 05 of Compartment No. 338 of Protected Forest Block.	
Total										19.402

2	Lonsara Bujurg	21	Lonsara Bujurg/ PF Block - Lonsara Bujurg	-	51/1/(K)	1.467	Government Hillock	No. F-25-161- 2016-X-3 Date 23-03-2017	07-04-2017	North- Artfical Forest from Pillar No. 8 to 10 of Protected Forest Block. East- Artfical Forest from Pillar No. 10 to 11 Forest Block. South- Artfical Forest from Pillar No. 11 to 4 of Protected Forest Block. West- Artfical Forest from Pillar No. 4 to 8 of Protected Forest Block.	Boundary Boundary Boundary Boundary
	Total		Grant Total			1.467					
						20.869					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Capt. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-88/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड

- (1) N- 21° 54' 22'' से N-21° 54' 36'' उत्तर अक्षांश तथा E-74° 50' 14'' से E-74° 50' 34'' पूर्व देशांश के मध्य स्थित है,
- (2) N- 21° 54' 32'' से N-21° 54' 54'' उत्तर अक्षांश तथा E-74° 50' 34'' से E-74° 51' 15'' पूर्व देशांश के मध्य स्थित है,
- (3) N- 21° 51' 42'' से N-21° 53' 56'' उत्तर अक्षांश तथा E-74° 50' 36'' से E-74° 51' 10'' पूर्व देशांश के मध्य स्थित है,

को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

क्र.	जिला तहसील	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा पुराना	खसरा कमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद्	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दि.	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	वनमण्डल वन परिक्षेत्र	
										बड़वानी पाटी	बड़वानी पाटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	सीमाओं का विवरण
1	सिपाही दुवाली 'अ'	15	सिपाही दुवाली संरक्षित वन खण्ड सिपाही दुवाली 'अ' कक्षा क.-पी. 342	-	218/1	17.526	बैडी	जी.-1204-1653- रस-3-2004/ दिनांक 03-6-2004	11-6-2004	11	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 14 तक, खसरा क. 119,120,121/2, 128/2, 131/1 एवं 131 की सीमा. पूर्व:-मुनारा क. 14 से 18 तक, नाला एवं 217 की सीमा. दक्षिण:-मुनारा क. 18 से 33 तक, खसरा क. 224, 225/1 एवं 226 की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-33 एवं 1 ग्राम धमरियों की सीमा. (आंतरिक सीमाएं) खण्ड-1 उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. पूर्व:- मुनारा क. 2 से 3 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. दक्षिण:-मुनारा क. 3 से 4 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. पश्चिम :- मुनारा क.-4 एवं 1 तक, खसरा क. -218/1 सीमा. खण्ड-2 उत्तर:-मुनारा क. 1 से 2 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. पूर्व:- मुनारा क. 2 से 3 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. दक्षिण:-मुनारा क. 3 से 4 तक, खसरा क. 218/1 की सीमा. पश्चिम :- मुनारा क.-4 एवं 1 तक, खसरा क. -218/1 सीमा.

2	सिपाही दुवाली 'ब'	15	सिपाही दुवाली संरक्षित वन खण्ड सिपाही दुवाली 'ब' कक्ष क्र.- पी.343	-	134/1	39.663	पहाड	डी.-1204-1653- दस-3-2004/ दिनांक 03-6- 2004	11-6-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 18 तक, खसरा क. 101/2, 100, 99, 85, 83, 204, 205, 202/4, 206, 207, 208, 209, 216 एवं 217 की सीमा। पूर्व:-मुनारा क. 18 से 20 तक, ग्राम होलगांव की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क. 20 से 35 तक, खसरा क. 137,199/1,194/1,134/5,206/2, 215 एवं 133 की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-35 एवं 1 तक नाला
3	सिपाही दुवाली 'स'	15	सिपाही दुवाली संरक्षित वन खण्ड सिपाही दुवाली 'स' कक्ष क्र.-पी. 344	-	430/1	27.177	ना.का.च.	डी.-1204-1653- दस-3-2004/ दिनांक 03-6- 2004	11-6-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 9 तक, खसरा क. 250/2, 258, 370, 330/1 एवं 331 की सीमा। पूर्व:-मुनारा क. 9 से 10 तक, खसरा क.-488 की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क. 10 से 14 तक, खसरा क. 430/1 का शेष भाग। पश्चिम:-मुनारा क.-14 से 18 एवं 1 खसरा क. -435, 432 एवं 250/1 की सीमा
	कुल योग					84.366				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

एफ-25-88-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-88-2017-
दस-3, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 28th May 2018

No.-F-25-88/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between (1) N- 21° 54' 22" TO N-21° 54' 36" North Latitude and E-74° 50' 04" TO E-74° 50' 34" East Longitude
(2) N- 21° 54' 32" TO N-21° 54' 54" North Latitude and E-74° 50' 34" TO E-74° 51' 51" East Longitude
(3) N- 21° 53' 42" TO N-21° 53' 56" North Latitude and E-74° 50' 36" TO E-74° 51' 10" East Longitude

specified in the.

- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Pati to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

Forest Division - BARWANI

District - BARWANI

Forest Range - PATI

Tehsil -PATI

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number & Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sipahi duwali "A"	15	Sipahi duwali/PF Block Sipahi duwali-"A" Compartment no. 342	-	218/1	17.526	Badi	D-1204-1653-X-3-2004/ Dated 3-6-2004	11-6-2004	North- Pillar No. 1 to 14, Nala Boundaries of Kh. No. 119, 120, 121/2, 128/2, 131/1 & 131 East- Pillar No. 14 to 18, Boundary Nala & Kh. No. 217 South- Pillar No. 18 to 33 Boundaries of Khasra no. 224,225/1&226 West- Pillar No. 33 & 1, Boundary of Village Dhamariya (Internal Limits) BLOCK-1 North- Pillar No. 1 to 2, Boundary of Kh. No 218/1 East- Pillar No. 2 to 3 Boundary of Kh. No 218/1 South- Pillar No. 3 to 4, Boundary of Kh. No 218/1 West- Pillar No. 4 & 1 Boundary of Kh. No 218/1

		BLOCK-2											
2	Sipahi duwali "B"	15	Sipahi duwali/PF Block Sipahi duwali-"B" Compartment no. 343	-	134/1	39.663	The mountain	D-1204-1653-X-3-2004/ Dated 3-6-2004	11-6-2004	North- Pillar No. 1 to 2, Boundary of Kh. No 218/1 East- Pillar No. 2 to 3 Boundary of Kh. No 218/1 South- Pillar No. 3 to 4, Boundary of Kh. No 218/1 West- Pillar No. 4 & 1 Boundary of Kh. No 218/1	No		
3	Sipahi duwali "C"	15	Sipahi duwali/PF Block Sipahi duwali-"B" Compartment no. 344	-	430/1	27.177	Not worth crnoi	D-1204-1653-X-3-2004/ Dated 3-6-2004	11-6-2004	North- Pillar No. 1 to 9, Boundary of Kh. No 250/2, 258, 370, 330/1 & 331 East- Pillar No. 9 to 10, Boundary Kh. No 488 South- Pillar No. 10 to 14 Boundary of Remaining Part of Khasra no. 430/1 West- Pillar No. 14 & 18, Boundary of Kh. No. 435,432 & 250/1	No		
Grand Total											84.366		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Capt. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-90/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-21° 55' 47" से N-21° 56' 08" उत्तर अक्षांश तथा E-75° 16' 29" से E-75° 17' 07" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	3	4	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	वनमण्डल - बड़वानी - राजपुर		
					पुराना	नया					सीमाओं का विवरण		
1	2	18	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ठान			ठान/ संरक्षित वनखण्ड ठान कक्ष क.-पी. 325	-	9/1/1/11 104/1/1	22.897 22.675	बैडी चरनाई	डी-563-656- दस-3-2004/ दिनांक 09-3-2004	26-3-2004	उत्तर:-मुनारा क. 1 से 4 तक, ग्राम रेलवा खुर्द एवं सांगवी की सीमा पूर्व:-मुनारा क. 4 से 36 तक, खसरा क. 243 ग्राम सांगवी एवं नाला (खसरा क.-106) की सीमा। दक्षिण:-मुनारा क. 36 से 49 तक, खसरा क. 104/1/1, का शेष खसरा क.102/2, 102/1 एवं 9/2 की सीमा। पश्चिम:-मुनारा क.-49 से 61 एवं 1 तक, खसरा क.-9/2, खसरा क. 9/1/1/1/11 का शेष भाग 9/1/1/3 एवं 8/2 की सीमा।		
	योग						45.572						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

एफ-25-90-2017-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-90-2017-दस-3, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 28th May 2018

No.25-90/2017/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government

hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between **N- 21° 55' 47'' TO N-21° 56' 08''** North Latitude and **E-75° 16' 29'' TO E-75° 17' 07''** East Longitude specified in the.

(B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsil - RAJPUR

Forest Division - BARWANI
Forest Range - RAJPUR

No.	RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Than	18	Than/ PF Block	-	9/1/1/11	22.897	Badi	D-563-656- X-3-2004/ Dated 9-3-2004	26-3-2004	North- Pillar No. 1 to 4, Boundary of Village Relwa khurd & Sangvi. East- Pillar No. 4 to 36, Boundary of Kh. No. 243, Village Sangvi & Nala (Khasra No. 106) South- Pillar No. 36 to 49, Boundary Rem. Part of Kh No. 104/1/1, 102/2, 102/1, 9/2 West- Pillar No. 49 to 61 & 1, Boundary of Kh No. 9/2, Remaining Part of Khasra No. 9/1/1/11, 9/1/1/3 & 8/2.
						45.572				
Total										

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Capt. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक-एफ-25-96/2017/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

- (क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड N-21° 56' 38" से N-21° 57' 03" उत्तर अक्षांश तथा E-75° 00' 05" से E-75° 00' 33" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।
(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़वानी को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हे.के.टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	वनमण्डल वन परिक्षेत्र	बड़वानी राजपुर	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	भाभी	1	भाभी/ संरक्षित वनखंड भाभी कक्ष क.- पी. 333	-	190/1 192	30.659 9.841	पहाड़ ना.का.व.	डी.132-206- दस- 3-2004/ दिनांक 21-1-2004	30-1-2004	उत्तर-मुनारा क. 1 से 10 तक, खसरा क.- 190/1 का शेष भाग 189, 188 185, 181/2 की सीमा। पूर्व-मुनारा क. 10 से 13 तथा खसरा क.- 190/1 का शेष भाग एवं नाला एवं खसरा क्रमांक 193/1 की सीमा। दक्षिण-मुनारा क.13 से 14 तक। ग्राम गोठानिया की सीमा। पश्चिम-मुनारा क.-14 से 15 एवं 1 तक ग्राम सजवानी एवं नाला सीमा।		
	योग					40.500						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2018

एफ-25-96-2017-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-96-2017-दस-3, दिनांक 28 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 28th May 2018

No. F-25-96/2017/10-3 : In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby: -

- (A) Declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block Line between N- 21° 56' 38" TO N-21° 57' 03" North Latitude and E-75° 00' 05" TO E-75° 00' 33" East Longitude specified in the.
- (B) Appoints Sub-Divisional Officer, Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - BARWANI
Tehsil - RAJPUR

Forest Division - BARWANI
Forest Range - RAJPUR

No.	Reserve Forest Block	Patwari Haika No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bhami	1	Bhami /PF Block Bhami-Comp.No. P-333	-	190/1	30.659	The mountain	D-132-206-X-3-2004/ Dated 21-1-2004	30-1-2004	North- Pillar No. 1 to 10, Boundaries of Remaining part of Kh. No. 190/1 & Kh No. 189, 188, 185, 181/2 East- Pillar No. 10 to 13, Boundaries of Remaining Part of Kh. No. 190/1, Nala & Kh No. 193/1 South- Pillar No. 13 to 14, Boundary of Village Gothaniya. West- Pillar No. 14 to 15 & 1, Boundary of Village Sajwani & Nala
						40.500				
Total										

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Capt. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-अ-82-17-18-210-भू-अर्जन-18

नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2018

संशोधित सार्वजनिक सूचना

प्रकरण में पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 18.05.2018 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की सीमा रेखाओं में परिवर्तन किये जाने से पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना में अंकित भूमियों के अर्जन के साथ-साथ निम्न भूमियों का अर्जन भी किया जा रहा है। इस कारण संशोधित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है।

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी प्लांट में कोल आपूर्ति के लिये रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन के साथ ही रेलवे स्टेशन व्यवसायिक रूप में भी संचालित होगा, जहाँ पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होने से आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी एवं एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से नियमित विद्युत उत्पादन के लिये कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है व रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु क्रासिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा जिससे परियोजना से नियमित रूप से विद्युत उत्पादन होने से देश व प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो सकेगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|--------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गाडरवारा |
| 3. ग्राम | : रतनपुरा |

4. प.ह.न. : 133
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल पूर्व में : 4.301 हे.
 6. वर्तमान में प्रकाशित क्षेत्रफल : 1.084 हे०
 7. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल : 5.385 हे०

अनुसूची 2

क्र०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	राहुल वल्द मनोहर ब्रा० सा० मनकवारा	भू-स्वामी	46, 47	0.073
2	सोबरन सिंह वल्द रामप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	भू-स्वामी	62/1	1.011
3	प्रेमवाई जोजे सोबरन सिंह ब्रा. सा० मनकवारा	भू-स्वामी	62/2	
	कुल			1.084

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट समूह महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-17-18-211-भू-अर्जन-18

प्रकरण में पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 18.05.2018 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की सीमा रेखाओं में परिवर्तन किये जाने से पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना में अंकित भूमियों के अर्जन के साथ-साथ निम्न भूमियों का अर्जन भी किया जा रहा है। इस कारण संशोधित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है।

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रॉसिंग स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी प्लांट में कोल आपूर्ति के लिये रेल लाइन निर्माण के लिये क्रॉसिंग स्टेशन के साथ ही रेलवे स्टेशन व्यवसायिक रूप में भी संचालित होगा, जहां पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होने से आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी एवं एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से नियमित विद्युत उत्पादन के लिये कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है व रेल लाइन निर्माण के लिये क्रॉसिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु क्रॉसिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा जिससे परियोजना से नियमित रूप से विद्युत उत्पादन होने से देश व प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो सकेगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|--------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रॉसिंग स्टेशन निर्माण |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गाडरवारा |
| 3. ग्राम | : बरांझ |

4. प.ह.न. : 133
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल पूर्व में : 8.781 हे.
 6. वर्तमान में प्रकाशित क्षेत्रफल : 0.769 हे.
 7. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल : 9.550 हे.

अनूसूची 2

क्रं०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	जितेन्द्र वल्द रामजी प्रसाद कौरव सा० बरांझ	भू-स्वामी	148	0.769
	कुल			0.769

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट समूह महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-17-18-212-भू-अर्जन-18

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी प्लांट में कोल आपूर्ति के लिये रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण के साथ ही रेलवे स्टेशन व्यवसायिक रूप में भी संचालित होगा, जहां पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होने से आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी एवं एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से नियमित विद्युत उत्पादन के लिये कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है व रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु क्रासिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा जिससे परियोजना से नियमित रूप से विद्युत उत्पादन होने से देश व प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो सकेगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गाडरवारा |
| 3. ग्राम | : मनकवारा |
| 4. प.ह.न. | : 132 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 1.186 हे. |

अनुसूची 2

क्र०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	हरिशंकर वल्द जीवन लाल किरार सा० देह	भू-स्वामी	25/1	0.660
2	बाबूलाल वल्द जीवन लाल किरार सा० देह	भू-स्वामी	25/3	
3	बाबूलाल वल्द जीवन लाल किरार सा० देह	भू-स्वामी	26/1	0.526
	कुल			1.186

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक—एफ भोपाल दिनांक —एफ 16—15(7)—2014—सात—शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16—15—(8)—2014—सात—शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू—अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट समूह महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 8 मई 2018

क्र. 32-अ-82-16-17-5789.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चिखली खुर्द	0.039	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
	बापुराव वल्द डेबु संतु पिता डेबु मारोती महादेव, सहदेव वल्द सीताराम, सिन्धु पिता सीताराम चन्द्रभान, राजु वल्द भगवान, सुमीत्रा पिता भगवान गीता बेवा सुरेश राहुल ना.बा.वल्द सुरेश वली मां गीता, गणेश, दिनेश वल्द अजाबराव भुरो पिता अजाबराव भागरती बेवा अजाबराव मखू पिता बारक्या जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	295	0.935	0.039
	योग			0.039

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 33-अ-82-16-17-मौजा कामथ-5792.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे० में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कामथ	0.199	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	सावन्या वल्द राधेलाल जाति पंवार सानिक देह भूमि स्वामी	9/6	0.446	0.004
2	विश्वपालसिंह वल्द नत्थूसिंह रघुवंशी मनमोहनसिंह वल्द छोटेसिंह रघुवंशी पप्पु वल्द छोटेसिंह साकिन मोरखा भैयालाल वल्द शिवबा जाति मेहरा पता निवासी ग्राम छिन्दी भूमि स्वामी	10/1	0.817	0.171
3	कुंजबिहारी मोहनलाल, जुगलकिशोर वल्द रतनलाल कमला पिता रतनलाल जाति तेली पता सा. मुलताई	32/2	0.247	0.022
4	करुणा जौ. सुभाष प्रीती जौ राजेश जाति कुन्बी सा. मुलताई	33/5	0.744	0.002
योग			2.254	0.199

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

प्रकरण क्रमांक 4-अ-82-16-17-5794.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	उमरीजागीर	0.209	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	शम्भू व. नानूराम निवासी उमरीजागीर	26	1.238	0.001
2	बाबू चैतराम व. कुंवरलाल, नैना, शांता पिता कुंवरलाल, बिसराम व. गेंदलाल, मिठ्ठनबाई बेवा . गेंदलाल, पुर्णबाई बेवा भैयालाल, भीम, प्रमोद व. भैयालाल, रूकमणी, ज्योति पिता भैयालाल	27	1.242	0.015
3	सुंदरलाल व. तेजीलाल निवासी उमरीजागीर	28	1.242	0.038
4	लक्ष्मण व. लटकिया निवासी खेड़ली	30/1	0.809	0.155
योग				0.209

- 1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 37-अ-82-16-17-मौजा भिलाई-5796.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०अ०)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	भिलाई	0.150	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेलवे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	बेलाबाई पिता रोच्या सा. हेटीखापा, मैनी पिता रोच्या सा. एनस रेखाबाई पिता रोच्या सा. जौलखेड़ा रमेश रूपेश पिता श्यामू उमा शारदा नर्मदा पिता श्यामू सा. भिलाई	111	0.555	0.004
2	बेबी बेवा चिन्तामन, अनिल, संजय पिता चिन्तामन सीमा, मीना पिता चिन्तामन, छोटेलाल, रामराव वल्द जगला सा. मुलताई चैत्या वल्द पतिराम सा.परमंडल	107	3.315	0.115
		108	0.170	0.031
योग				0.150

1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेलवे लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 34-अ-82-16-17--5798.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	थावरिया	0.240	उप मुख्य अभियन्ता निर्माण मध्य रेल्वे अजनी नागपुर (महा.) एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी-नागपुर तीसरी लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे
1	2	3	4	5
1	कृष्णराव वल्द दमडू चंदना, इंदूबाला पिता दमडू कमला पिता दमडू बुन्दा पिता गोपाल यादोराव वल्द लंगड़ा शोभा बाली कंचू पिता सुखदेव जान्या, भीमा, नंदू पिता कशो शकून ललीता, भूरा प्रमिला पिता केशो अनिता बेवा भैयालाल जयराम ना.बा.वल्द भैयालाल कंचना अचना पिता भैयालाल जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	48	0.138	0.064
2	बाया बेवा माधोराव राकेश, नत्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	49	0.105	0.021

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
3	बाया बेवा माधोराव राकेश, नल्थू वल्द माधोराव, सुशीला कुसुम पिता माधोराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	50/1	0.018	0.002
4	संतोष, कृष्णा वल्द शेषराव अनिता पिता शेषराव, अंजू बेवा साहेबराव अशोक राजू पिता साहेबराव छया, माया पिता साहेबराव साकिन चिखली खुर्द	50/2	0.018	0.002
5	वारूल बेवा पंजाबराव महादेव वल्द पंजाबराव, सुनिता गीता पिता पंजाबराव बाबूराव वल्द जिजोबा गुन्ता बेवा डोमा वात्या जगन वल्द डोमा सुमन बेवा कचरू पंचफुला ना. बा. पिता कचरू वली मा सुमन धर्मून्द्र, जितेन्द्र वल्द कृषक साकिन चिखलीखुर्द	50/3	0.069	0.008
6	राजाराम वल्द तीमा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/1	0.151	0.005
7	रूपराव, यादोराव, सुरेश वल्द कास्या राधो किसनी कमला पिता कास्या पिखी बेवा कास्या जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/2	0.152	0.006
8	संतोष वल्द भैया जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/3	0.076	0.002
9	रामराव, रामचन्द्र उर्फ चन्द्रमान वल्द श्यामा जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/4	0.152	0.005
10	गया बेवा पंजाबराव अर्चना बेवा अनिल जिया ना.बा.वल्द अनिल वली मां अर्चना, मनीष वल्द पंजाबराव, मनीषा, मीना, लीना पिता पंजाबराव जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	51/5	0.076	0.002
11	रामराव वल्द आनंदराव, बुधराव नान्ही बेवा भद्दू, ओमप्रकाश यशवंतराव संतोषराव, भीमराव वल्द भद्दू सुमन ललीता संध्या पिता भद्दू जाति कुन्बी साकिन चिखलीखुर्द	53/1	0.453	0.025

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
12	पंजाबराव, साहेबराव, गणपतराव भोजराव, भोजराव वल्द रामा कलाबाई पिता रामा साकिन पारडसिंगा	61/1	2.225	0.017
13	श्यामराव वल्द पांडू साकिन चिखलीखुर्द	62	3.264	0.043
14	कमला बेवा उमराव राजू उर्फ राजेश, मुकेश वल्द उमराव, उमा रेखा गीता पिता उमराव	63	1.772	0.038
योग				0.240

1- तीसरी रेल्वे लाईन हेतु, उपरोक्तानुसार हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर सूचना दी जा रही है।

प्रकरण क्रमांक 3-अ-82-16-17--5800.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	हमलापुर	1.526	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	ओमप्रकाश, किशोर, नरेन्द्र, नरेश व. रतनलाल, पुष्पा, शांता पिता रतनलाल, संदीप व. ओमकार, अनिता पिता ओमकार, सरस्वती पति ओमकार निवासी बैतूल गंज	274	0.938	0.230
2	रामू, फतन व. जयराम, ओमकार, प्रकाश, किशोर, नरेश, मुन्ना, पुष्पा व. रतन, फुन्दा पिता रतन निवासी बदनूरढाना	275/3	0.822	0.101
3	तुलसीराम, राकेश, राजेश व. भग्गू, लक्ष्मीनाराण व. भग्गू, लीला, रेवती पिता भग्गू	275/1	0.821	0.121
4	अनिता व. वीरनसिंह निवासी घाट पिपरिया	268 /1	2.873	0.128
5	विनय सिंह व. दीपचंद रघुवंशी निवासी सोनेगाँव	276/2	2.023	0.064
6	योगेश सिंह व. दीपचंद ठाकुर निवासी बैतूल गंज	276/1	1.235	0.046
7	अरुण चंद्र व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी हमलापुर	266	5.731	0.324
8	गणेश राम व. छोटेलाल निवासी हमलापुर	264/1	0.001	0.001
9	सैयद आजम अली व. हुजब्वर अली निवासी हमलापुर	264/2 264/3	1.417 0.606	0.163 0.068
10	जैबूनिन्सा जौ. सैयद जफरअली निवासी किदवई वार्ड बैतूल	264/4	0.809	0.106
11	सुभाष व. चंद्रमूल अवस्थी निवासी बैतूल	296	0.522	0.121
12	सतीश पिता रतनलाल निवासी हमलापुर ग्राम नौकर	295	2.351	0.053
योग				1.526

1. चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 6-अ-82-16-17--5801.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	चकोरा	0.149	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	सुनीता बाई जौ. भवानीदास निवासी कालापाठा बैतूल	4/2	0.809	0.149
योग				0.149

- 1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-16-17--5804. —चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	केलापुर	0.867	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ व. रतन निवासी भैंसदेही	95	0.421	0.122
2	रतन व. छोटेलाल निवासी केलपुर	96	0.704	0.152
3	भूरू व. शिवबक्स निवासी खेड़ली	97/1	1.032	0.143
4	जशोदा जौ. सुखनंदन निवासी भैंसदेही	97/2	0.405	0.109
5	मल्लू व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/1	0.479	0.132
7	शिवदयाल व. नौकेलाल निवासी उमरी	98/3	0.971	0.048
8	सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी निवासी उमरी जागीर	99	1.536	0.161
योग				0.867

1. चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 8-अ-82-16-17-5805.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	भैंसदेही	0.657	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	गुठानी व. किसनलाल निवासी भैंसदेही	132/1	0.303	0.100
2	नत्थू व. बिसनलाल निवासी भैंसदेही	132/2	0.076	0.028
3	बाबूलाल, सुकू, लुटूराम, रेखाराम, ख्यलीराम व. दल्लू नौसी बेवा दल्लू निवासी भैंसदेही	137	0.308	0.072

4	देवमन व.रामलाल	138/1	0.202	0.084
5	रामकली जौ. सुखदेव निवासी भैंसदेही	138/2	0.405	0.083
		138/3	0.203	0.069
6	दमयन्ती जौ. कल्लूसिंग, मालती जौ. लल्लूसिंग रघुवंशी निवासी भैंसदेही	140	0.554	0.221
योग				0.657

- 1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्रकरण क्रमांक 9-अ-82-16-17-5808.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची 1 के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची—1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बाजपुर	0.778	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र कुमार व. लक्ष्मीनारायण निवासी बैतूलगंज	1	1.967	0.282
2	सददू व. किसनलाल निवासी रावनबाड़ी	2	1.299	0.234
3	हकीमुद्दीन व. अब्दुल हुसैन, हुसैना बी बाई वेवा असिफ हुसैन, मोईज भाई अली असगर खॉ व. आसिफ हुसैन, मुस्ताफा हुसैन व. दाउद भाई निवासी बैतूल	4	0.295	0.262
योग				0.778

- 1 चूंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 15 मई 2018

पृ. क्र. 01-अ-82-17-18-पत्र क्रमांक 187-भू-अर्जन-18.—चूंकि समुचित को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एमटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी प्लांट में कोल आपूर्ति के लिये रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन के साथ ही रेलवे स्टेशन व्यवसायिक रूप में भी संचालित होगा, जहां पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होने से आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी एवं एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से नियमित विद्युत उत्पादन के लिये कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है व रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु क्रासिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा जिससे परियोजना से नियमित रूप से विद्युत उत्पादन होने से देश व प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो सकेगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गाडरवारा |
| 3. ग्राम | : रतनपुरा |
| 4. प.ह.न. | : 133 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 4.301 हे. |

अनुसूची 2

क्र०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	कौशल्या वाई पत्नि हरकिशन लुहार निवासी बरांझ	भू-स्वामी	57/3	0.531
			57/4	0.639
			57/6	0.484
			58/1	0.375
2	राममनोहर वल्द बद्रीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	भू-स्वामी	58/2	0.224
3	मनोज कुमार वल्द सुदामा प्रसाद कौरव निवासी बरांझ	भू-स्वामी	58/3	0.291
			61/2	0.016
4	अशोक कुमार वल्द बद्रीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	भू-स्वामी	59	0.121
			61/1	0.012
5	नन्ही वाई जोजे बद्रीप्रसाद ब्रा० सा० मनकवारा	भू-स्वामी	61/3	0.101
			61/4	0.405
6	शुभम उर्फ राजदीप , सत्यम पिस० संतोष कौरव सा० मनकवारा	भू-स्वामी	70/1	0.729
7	कल्यान सिंह वल्द संतोष कौरव सा० मनकवारा	भू-स्वामी	70/3	
			70/4	
			70/5	
8	रवीन्द्र वल्द विजय सिंह कौरव निवासी बरांझ	भू-स्वामी	70/6	
9	प्रशांत कुमार वल्द विजय सिंह कौरव सा० मनकवारा	भू-स्वामी	71/1	0.065
			71/2	0.308
	कुल			4.301

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

* राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.— एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.—2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट समूह महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-17-18-पत्र क्रमांक 189-भू-अर्जन-18.—चूंकि, समुचित को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एमटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना, में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये क्रासिंग स्टेशन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी प्लांट में कोल आपूर्ति के लिये रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन के साथ ही रेलवे स्टेशन व्यवसायिक रूप में भी संचालित होगा, जहां पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होने से आस-पास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी एवं एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना से नियमित विद्युत उत्पादन के लिये कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है व रेल लाइन निर्माण के लिये क्रासिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु क्रासिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकेगा जिससे परियोजना से नियमित रूप से विद्युत उत्पादन होने से देश व प्रदेश में बिजली की कमी दूर हो सकेगी। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त

परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम : एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के टेक ऑफ के लिये कासिंग स्टेशन निर्माण
2. भूमि का विवरण
 1. जिला : नरसिंहपुर
 2. तहसील : गाडरवारा
 3. ग्राम : बरांझ
 4. प.ह.न. : 133
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 8.781 हे.

अनूसूची-2

क्र०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	महेन्द्र सिंह वल्द मरदन सिंह कौरव सा० देह	भू-स्वामी	149/1, 150/1	0.591
2	सत्यनाराण वल्द हल्के कौरव	भू-स्वामी	224/1	0.380
3	सोबरन सिंह वल्द हरप्रसाद कौरव सा० देह	भू-स्वामी	226/1	0.482
			224/2	0.142
			225/2	0.032
			227/3-6-7-8	0.049
			202/4-5-6-7	0.008
4	ममता वाई पत्नि सोबरन सिंह कौरव	भू-स्वामी	224/8	0.130
5	सिंचाई विभाग नलकूप की नाली	भू-स्वामी	224/5	0.004
6	रमेश वल्द हरप्रसाद सा० देह	भू-स्वामी	226/3	0.008
7	औंकार उर्फ रामजी वल्द कोमल सिंह कौरव सा० देह	भू-स्वामी	227/4	0.154
8	अतर सिंह आ० गुन्धीलाल सुमनवाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह	भू-स्वामी	227/5	0.154
9	सत्तावाई पत्नि गोविंद पारधी सा० देह	भू-स्वामी	201/1	0.243
10	देवकी नंदन वल्द तेज सिंह कौरव सा० मेहराखेडा	भू-स्वामी	201/2-5	0.441

11	अम्मा वाई पत्नि श्यामलाल पारधी सा० देह	भू-स्वामी	201/3	0.433
12	सुमन वाई पत्नि अतर सिंह पारधी सा० देह	भू-स्वामी	201/4	0.202
13	रवीन्द्र सिंह वल्द पीताम्बर कौरव सा० देह	भू-स्वामी	230/1	0.405
14	गम्भीर सिंह वल्द शीतल प्रसाद कौरव सा० देह	भू-स्वामी	232	0.271
			235	0.797
15	अशोक वल्द श्यामलाल कौरव सा० देह	भू-स्वामी	236/1	0.466
			236/2	0.522
			241	0.182
16	बैजनाथ वल्द गजराज सिंह कौरव सा० देह	भू-स्वामी	242	0.348
			240	0.041
17	जगमोहन संजीत पिंस० भाईजी कौरव सा० देह	भू-स्वामी	243/1	0.753
18	पवन कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सरोज वाई पत्नि पवन कुमार कौरव	भू-स्वामी	243/2,	0.729
			243/3	
			244/1	
			244/2	
19	आशीष कुमार वल्द अनिल कुमार कौरव	भू-स्वामी	244/5	0.049
			244/2	0.162
			246/2	0.299
20	परषोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव	भू-स्वामी	244/4	0.304
	कुल			8.781

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट समूह महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 18 मई 2018

प. क्र. 3841-भू-अर्जन-2018.—(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गणेशपुरा सिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम गुलखेड़ी, गणेशपुरा एवं भोजपुर के लिए पाल, डूब एवं वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

गणेशपुरा सिंचाई परियोजना की पाल, डूब एवं वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि ग्राम गणेशपुरा, गुलखेड़ी एवं भोजपुर

ग्राम - गुलखेड़ी		तहसील - खिलचीपुर		जिला राजगढ़
क्रं.	कृषक का नाम व पिता /- पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	कुल प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	गेंदालाल पिता चिमना, बापूलाल, प्रभूलाल पिता हिरालाल मु. बदाम बैवा कालूसिंह मु धापूबाई बैवा हिरालाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	9/1 ✓	0.063	0.063 ✓
		9/4 ✓	0.266	0.266 ✓
		11/1 ✓	0.711	0.711 ✓
		51/1 ✓	0.385	0.050 ✓
		78/46 ✓	0.138	0.024 ✓
	योग	5	1.563 ✓	1.114 ✓
	नं			

2	नन्दा पिता देवा जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/3 ✓	0.290	0.290 ✓
		11/2 ✓	0.232	0.160 ✓
		77/46/1 ✓	0.036	0.012 ✓
	योग	3	0.558 ✓	0.462 ✓
3	मांगीलाल, शंकर पिता रामसिंह जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/6 ✓	0.177	0.177 ✓
		योग	1	0.177 ✓
4	गिरधारी आ० भागीरथ जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	13/2/2 ✓	0.260	0.100 ✓
		9/5 ✓	0.177	0.177 ✓
		11/3 ✓	0.360	0.150 ✓
	योग	4	0.797 ✓	0.427 ✓
5	पूरसिंह, रमेश पिता भंवरलाल जाति लोडा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/2 ✓	0.063	0.063 ✓
		9/7 ✓	0.178	0.120 ✓
		योग	2	0.241 ✓
6	दुल्हेसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	7/1 ✓	0.200	0.200 ✓
		8/1/1 ✓	0.059	0.059 ✓
		योग	2	0.259 ✓
7	भंवरलाल, नारानसिंह पिता रूपसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूस्वामी	50 ✓	0.077	0.050 ✓
		8/1/4 ✓	0.088	0.088 ✓
		7/4 ✓	0.133	0.133 ✓
योग	3	0.298 ✓	0.271 ✓	
8	रामचन्द्र पिता अमरसिंह, हरिसिंह पिता गेंदालाल जाति लोडा नि.ग्राम भू स्वामी	46/7 ✓	1.267	0.610 ✓
		योग	1	1.267 ✓
9	गोवर्धन पिता प्यारसिंह जाति लोडा नि.ग्राम भू स्वामी	46/8/2 ✓	0.634	0.584 ✓
		योग	1	0.634 ✓
10	बालुसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	7/2 ✓	0.200	0.200 ✓
		योग	1	0.200 ✓
11	सुल्तानसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	7/3 ✓	0.200	0.200
		योग	1	0.200
	कुल योग	24 ✓	6.194 ✓	4.487 ✓

(2) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गणेशपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
1	2	3	4	5
12	अमरसिंह आ.कालू जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	11/2 ✓	0.278	0.130 ✓
		39/19/2 ✓	0.443	0.443 ✓
	योग	2	0.721 ✓	0.573 ✓

13	मेहताब आ.कालू जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	11/1 ✓	0.277	0.012 ✓
		16 ✓	0.304	0.304 ✓
	योग	2	0.581	0.316 ✓
14	कंवरलाल,प्यारसिंह आ.कनीराम जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	18	0.696	0.550 ✓
	योग	1	0.696 ✓	0.550 ✓
15	पूरसिंह रमेश पिता भंवरलाल, गिस्धारी पिता भागीरथ मांगीलाल, शंकर पिता रामसिंह, मु.भूलीबाई बैवा रामसिंह हि. 1/2 नंदा पिता देवा गेंदा पिता चिमनालाल, बादामबाई बैवा डालूसिंह बापूलाल प्रभूलाल पिता हिरालाल, धापूबाई बैवा हीरा हि.2/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	25 ✓	0.125	0.125 ✓
		26 ✓	1.088	1.088 ✓
	योग	2	1.213	1.213 ✓
16	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल, कालू मोरसिंह छगनसिंह पिता कंवरलाल जाती लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/4 ✓	2.059	2.059 ✓
	योग	1	2.059	2.059 ✓
17	भेरूसिंह, बजेसिंह पिता भंवरलाल देवीबाई बैवा भंवरलाल, पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल, कालू, मोरसिंह, छगनीसिंह पिता कंवरलाल लोडा निग्राम भूस्वामी	39/5/2/1 ✓	0.230	0.100 ✓
	योग	1	0.230 ✓	0.100 ✓
18	हीरालाल, गंगाराम पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/5/2/2 ✓	0.100	0.050 ✓
		15 ✓	0.328	0.328 ✓
	योग	2	0.428	0.378 ✓
19	बजेसिंह आ. भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/107/1/2 ✓	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253 ✓	0.253 ✓
20	करणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	22/2 ✓	0.225	0.225 ✓
		39/1/2 ✓	0.045	0.045 ✓
	योग	2	0.270 ✓	0.270 ✓
21	करणसिंह पिता बापूलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/3 ✓	0.304	0.304 ✓
	योग	1	0.304 ✓	0.304 ✓

1	2	3	4	5
22	देवबाई बैवा भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/19/1 ✓	0.821	0.821 ✓
		39/109 ✓	1.202	1.000 ✓
	योग	2	2.023 ✓	1.821 ✓
23	केसर पत्नि भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/24 ✓	0.125	0.125 ✓
		योग	1	0.125 ✓
24	रंगलाल मुकेश रामबाबू पिता मोती जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/107/2 ✓	0.253	0.253 ✓
		39/105/2 ✓	0.126	0.126 ✓
		14/2/2 ✓	0.068	0.040 ✓
	योग	3	0.447 ✓	0.419 ✓
25	भैरूलाल, कंवरलाल, बिजेसिंह आ. भंवरलाल, देवबाई बैवा मोतीलाल बापूलाल पिता देवसिंह मु. भुरी बैवा देवसिंह हिरालाल, जगन्नाथ पिता गेंदालाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	14/1 ✓	0.057	0.037 ✓
	योग	1	0.057 ✓	0.037 ✓
26	हरिबगस पिता प्यारसिंह लोडा नि ग्राम भू स्वामी	17/1 ✓	0.416	0.416 ✓
		39/66/2 ✓	0.310	0.310 ✓
	योग	2	0.726 ✓	0.726 ✓
27	सजन दत्तक पुत्र कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	17/2 ✓	0.416	0.416 ✓
		39/19/3/2 ✓	0.633	0.633 ✓
	योग	2	1.049 ✓	1.049 ✓
28	मोतीलाल, बापूलाल पिता देवसिंह मु. भुरीबाई बैवा देवसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	19/1 ✓	0.100	0.075 ✓
		39/52 ✓	0.077	0.077 ✓
	योग	2	0.177 ✓	0.152 ✓
29	जगन्नाथ पिता गेंदा लोडा नि.ग्राम भूस्वामी	19/2 ✓	0.163	0.100 ✓
		39/105/1/1 ✓	0.168	0.168 ✓
		22/3 ✓	0.225	0.225 ✓
योग	3	0.556 ✓	0.493 ✓	
30	दयाराम पिता अमरसिंह जाति लोडा नि.ग्राम भूस्वामी	20 ✓	0.316	0.316 ✓
		39/66/1 ✓	0.285	0.285 ✓
		39/108 ✓	0.065	0.065 ✓
योग	3	0.666 ✓	0.666 ✓	

1	2	3	4	5
31	रतनसिंह,आ.फतेहसिंह नाराणी बैवा फतेसिंह लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21 ✓	0.862	0.862 ✓
	योग	1	0.862 ✓	0.862 ✓
32	भेरूसिंह,बजेसिंह पिता भंवरलाल देवीबाई बैवा भंवरलाल, पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू,मोरसिंह,छगनसिंह पिता कंवरलाल लोडा निग्राम भूस्वामी	22/1 ✓	0.145	0.145 ✓
		39/5/2/1 ✓	0.230	0.100 ✓
		39/105/3 ✓	0.126	0.126 ✓
	योग	3	0.501 ✓	0.371 ✓
33	गोरधन पिता प्यारसिंह जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/19/3/1 ✓	0.632	0.632 ✓
	योग	1	0.632 ✓	0.632 ✓
34	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बैवा कंवरलाल रामलाल,कालू मोरसिंह छगलसिंह पिता कंवरलाल जाती लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/40 ✓	0.632	0.632 ✓
	योग	1	0.632 ✓	0.632 ✓
35	भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/107/1/1 ✓	0.757	0.757 ✓
		39/1/1 ✓	0.020	0.020 ✓
	योग	2	0.777 ✓	0.777 ✓
36	कंचनबाई पति बापूलाल बरदीबाई पति मोतीलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/1/1 मे से	0.745 ✓	0.530 ✓
		39/63/2 मे से	0.356 ✓	0.260 ✓
	योग	2	1.101 ✓	0.790 ✓
37	विजयसिंह , भंवरलाल दल्लूबाई पति कंवरलाल नि ग्राम भू स्वामी जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/1/2 मे से	0.373 ✓	0.373 ✓
		39/63/2/2 मे से	0.339 ✓	0.200 ✓
	योग	2	0.712 ✓	0.573 ✓
38	बजेसिंह आ. भंवरलाल दल्लूबाई पति कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/63/3 ✓	0.967	0.967 ✓
	योग	1	0.967 ✓	0.967 ✓
39	बापुलाल पिता देवीसिंह हीरालाल पिता गेंदा जाति लोडा नि.ग्रा.	39/63/2/1 ✓	0.203	0.100 ✓
	योग	1	0.203 ✓	0.100 ✓

1	2	3	4	5
40	हीरालाल, गंगाराम, जगन्नाथ पिता गेंदा, भेरूलाल, विजयसिंह पिता भंवरलाल मु. देवबाई बेवा भंवरलाल, मु. पार्वतीबाई, दल्कुबाई बेवा कंवरलाल, रामलाल कालु मोरसिंह, छगनसिंह पिता कंवरलाल, मोतीलाल, बापुलाल, पिता देवसिंह, मु. भुरीबाई बेवा देवसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/72 ✓	0.012	0.012 ✓
	योग	1	0.012 ✓	0.012 ✓
	कुलयोग	49	18.980 ✓	17.220 ✓

(3) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम भोजपुर की निजी भूमि प्रभावित होने से

ग्राम - भोजपुर		तहसील - खिलचीपुर		जिला राजगढ़
क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
41	हीरालाल गंगाराम आ. गेन्दा जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूराजस्व 0/24	1030/2/2 ✓	0.065	0.065 ✓
		1031/3 ✓	0.250	0.250 ✓
	योग	2	0.315 ✓	0.315 ✓
42	बापूलाल आ. देवीसिंह जाति लोडा पता नि. ग्राम गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्व	1031/1 ✓	0.250	0.250 ✓
	योग	1	0.250 ✓	0.250 ✓
43	मोतीलाल पिता देवीसिंह जाति तंवर पता नि. गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्व	1031/2 ✓	0.083	0.083 ✓
		1032 ✓	0.178	0.178 ✓
	योग	2	0.261 ✓	0.261 ✓
44	अमरसिंह पिता कालु जाति लोडा पता नि. गणेशपुरा भूमि स्वामी भूराजस्व	1033/1 ✓	0.247	0.247 ✓
	योग	1	0.247 ✓	0.247 ✓

1	2	3	4	5
45	गंगाराम पिता गेन्दालाल जाति लोडा पता निग्राम गणेशपुरा भूमि स्वामी भूरजस्व	1033/2	0.247	0.247
	योग	1	0.247	0.247
	कुल योग	7	1.320	1.320
	महायोग	80	26.494	23.027

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 3842-भू-अर्जन-2018.—(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गणेशपुरा सिंचाई परियोजना तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम गुलखेडी, गणेशपुरा एवं भोजपुर के लिए पाल, डूब एवं वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

सुआहेडी सिंचाई परियोजना की पाल, डूब एवं वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि ग्राम सुआहेडी, कुशलपुरा, सुरजपुरा एवं बारोल				
(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम सुआहेडी की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	कुल प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	दयाराम पिता कालू जाति लोडा नि.ग्राम	118/1 ✓	0.085	0.085 ✓
	योग	1	0.085 ✓	0.085 ✓
2	रामसिंह पिता भेरू जाति लोडा नि.ग्राम	84/2 ✓	0.429	0.150 ✓
	योग	118/2 ✓	0.085	0.040 ✓
	योग	2	0.514	0.190 ✓
3	मन्ना पिता रामा लोडा नि. कुशलपुरा	120/1/2 ✓	0.400	0.400 ✓
	योग	1	0.400	0.400 ✓
4	मांगीलाल, पूरीलाल, मानसिंह पिता देवीराम लोडा नि. कुशलपुरा	120/1/1 ✓	0.445	0.310 ✓
	योग	1	0.445	0.310
5	मानसिंह पिता देवीराम लोडा नि. कुशलपुरा	122/1 ✓	0.668	0.496 ✓
	योग	1	0.668	0.496 ✓
6	जयसिंह पिता किशोर लोडा नि.ग्राम	127/1 ✓	0.988	0.988 ✓
	योग	107 ✓	0.684	0.684 ✓
	योग	2	1.672	1.672 ✓
7	मु. धापुबाई बेवा हरला, बापुलाल, करणसिंह, कन्हैयालाल पिता हरला लोडा नि.ग्राम	105/1 ✓	0.934	0.934 ✓
	योग	106/1 ✓	1.164	1.164 ✓
	योग	2	2.098	2.098 ✓
8	उन्मैद मदन चंदा पिता भारमल भंवरीबाई बेवा भारमल जाति लोडा निग्राम	127 ✓	1.137	1.100 ✓
	योग	1	1.137	1.100 ✓
9	पांचू पिता रोडजी जाति लोडा नि.ग्रा.	129/1 ✓	1.024	1.024 ✓
	योग	1	1.024	1.024 ✓

1	2	3	4	5
10	किशन पिता खेमा लोडा जाति नि.ग्राम	129/2'	0.506	0.506
	योग	1	0.506	0.506
11	मांगीलाल, देवीराम पिता मन्ना जाति लोडा नि कुशलपुरा	207/117 ✓	1.023	1.023 ✓
	योग	1	1.023	1.023 ✓
12	किशन, बीरम पिता छीतर धापुबाई पुत्री मेहताब जाति अजा. नि.ग्राम	109/2 ✓	0.340	0.340 ✓
	योग	1	0.340	0.340 ✓
13	चन्दा पिता गोपी गोरा पुत्री गोपी जाति चमार नि.ग्र.	109/3 ✓	0.352	0.352 ✓
	योग	1	0.352	0.352
14	बीरम पिता हरिसिंह लोडा नि.ग्राम	291/64 ✓	0.166	0.166 ✓
		295/64	0.150	0.150 ✓
	योग	2	0.316	0.316 ✓
15	सरदार, रामनारायण पिता भूरा कस्तुरबाई बेबा भूरा, भंवरलाल, चम्पालाल पिता देवा सोनीबाई, पांछीबाई, पिता देवा जाति लोडा नि.ग्र	293/109 ✓	0.340	0.340 ✓
		257/64 ✓	0.251	0.251 ✓
	योग	2	0.591	0.591 ✓
16	अमरा, लक्ष्मण पिता देव्या जाति लोडा नि.ग्र.	159/1 ✓	0.700	0.600 ✓
	योग	1	0.700	0.600 ✓
17	जगन्नाथ, सांवलाल, दोलतराम, मोहनलाल, अमरसिंह पिता प्यारजी जाति लोडा नि.ग्र	311/64/1 ✓	0.227	0.190 ✓
		315/64 ✓	0.368	0.260 ✓
		283/64/1 ✓	0.607 ✓	0.207 ✓
	योग	3	1.202	0.657 ✓
18	किशन, मोडसिंह पिता हीरालाल, लोडा नि.ग्राम	174 ✓	1.089	0.810 ✓
	योग	1	1.089	0.810 ✓
19	पूरीलाल, शंकरलाल पिता अमरसिंह लोडा नि.ग्र.	106/2 ✓	0.759	0.759 ✓
		106/3 ✓	0.380	0.380 ✓
	योग	2	1.139	1.139 ✓
20	रामचन्द्र पिता धूरीलाल लोडा नि.ग्र	133 ✓	0.684	0.300 ✓
	योग	1	0.684	0.300 ✓
21	धूरीलाल, मन्ना, रतन पिता रामा लोडा नि.ग्राम	317/117 ✓	0.340	0.340 ✓
	योग	1	0.340	0.340 ✓
22	लालसिंह, गेदालाल, बापूलाल पिता भंवरलाल देवली बेबा भंवरलाल, धुल्या, मांगीलाल, शंकरलाल पिता पेमा, झालीबाई पुत्री पेमा, अमरीबाई पुत्री नान्या, पूरीलाल, शंकरलाल, पिता अमरसिंह, सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह, गिरधारी पिता गोपाल, प्रभुलाल पिता नान्या लोडा नि.ग्राम	80/1 ✓	0.870	0.140 ✓
		80/2 ✓	0.761	0.253 ✓
	योग	2	1.631	0.393 ✓

1	2	3	4	5
23	मांगीलाल पिता गोपीलाल लोडा नि.ग्रा	79 ✓	0.340	0.200 ✓
		156 ✓	0.239	0.025 ✓
	योग	2	0.579	0.225 ✓
24	देवसिंह पिता रामा हि.1/2 लालचन्द पिता नाथु मांगीबाई पुत्री नाथु लोडा नि.ग्राम	104 ✓	0.684	0.200 ✓
	योग	1	0.684	0.200 ✓
	कुलयोग	27 ✓	19.219 ✓	15.167 ✓

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम कुशलपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

25	मांगीलाल पिता श्रीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/3 ✓	1.350	1.350 ✓
	योग	1	1.350	1.350 ✓
26	गोपीलाल पिता कंवरीया जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/4 ✓	1.000	0.850 ✓
	योग	1	1.000	0.850 ✓
27	बीरम पिता गोपीलाल जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/1/5 ✓	1.575	1.575 ✓
	योग	1	1.575	1.575 ✓
28	प्रभुलाल पिता देवा जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/2/5 ✓	1.000	0.800 ✓
	योग	1	1.000	0.800 ✓
29	भेरु पिता प्यारा जाति अ.जा. नि.ग्रा	1/2/4 ✓	1.555	1.555 ✓
	योग	1	1.555	1.555 ✓
30	दोलतराम पिता कालू अ.जा. नि.ग्रा.	1/2/9 ✓	1.676	1.676 ✓
	योग	1	1.676	1.676 ✓
31	गंगाराम पिता किशनलाल, कालू पिता गोपीलाल मु. पूरीबाई बेवा गोपीलाल लोडा नि.ग्रा.	90/1 ✓	0.303	0.280 ✓
		106/1 ✓	1.308	0.058 ✓
	योग	2	1.611	0.338 ✓
32	बापुलाल पिता देवीराम लोडा नि.ग्राम	90/3 ✓	0.304	0.304 ✓
		106/2 ✓	0.436	0.436 ✓
	योग	2	0.740	0.740 ✓
33	पूरा पिता हीरा लोडा नि.ग्राम	205/1 231/1	0.749	0.749 ✓
	योग	2	0.749 ✓	0.749 ✓
34	मांगीलाल पिता घीसा, कस्तुरीबाई, धापुबाई, लीलाबाई पिता घीसा मु. मोत्या बेवा घीसा अ.जा. नि.ग्रा	213/1 ✓	0.821	0.225 ✓
	योग	1	0.821	0.225 ✓
35	पूरा पिता किशना, दोला, रमेश न.बा.सर. माता सरदारबाई बेवा कालू मानसिंह मांगीलाल पिता श्रीया अ.जा. नि.ग्राम	160/1/1 ✓	0.470	0.160 ✓
		83 ✓	0.190	0.190 ✓
	योग	2	0.660	0.350 ✓

1	2	3	4	5
36	रामचन्द्र शिव पिता रोडा प्रेमबाई पुत्री रोडा मुधापुवाई बेवा रोडा जाति लोडा नि.ग्राम	161/1 ✓	0.631	0.253 ✓
		270/1 ✓	0.012	0.012 ✓
	योग	2	0.643	0.265 ✓
37	कालू चंदा पिता देवीराम जाति लोडा नि.ग्राम	108 ✓	0.518	0.259 ✓
	योग	1	0.518	0.259 ✓
38	नन्दा, हजारी पिता धूल्या, जगदीश, नारायण पिता अमरसिंह मु.प्रेमबाई बेवा अमरसिंह जाति लोडा नि.ग्राम	269/1 ✓	0.024	0.024 ✓
	योग	1	0.024	0.024 ✓
39	मांगीलाल पिता मेरू लोडा नि.ग्राम	248/1/2 ✓	0.174	0.174 ✓
	योग	1	0.174	0.174 ✓
40	मांगीलाल, पूरीलाल मानसिंह पिता देव्या, भंवरबाई, शांतिबाई पुत्रीया देव्या, लोडा नि.ग्राम	87 ✓	0.352	0.115 ✓
	योग	1	0.352	0.115 ✓
	कुलयोग	21 ✓	14.448 ✓	11.045 ✓

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम सुरजपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
41	कालू पिता श्रीलाल जाति लोडा नि.ग्रा	13 ✓	0.178	0.178 ✓
	योग	1	0.178	0.178 ✓
42	रूपा पिता अमरा हि. 1/3 प्रभुलाल, वीरमलाल पिता भंवरलाल हि. 1/3 कंवरलाल पिता देवा हि. 1/3 जाति लोडा नि.ग्रा	40 ✓	0.202	0.202 ✓
	योग	1	0.202	0.202 ✓
43	अमरसिंह पिता भारमल, गोराबाई, कंचनबाई बेवा मांगीलाल जाति लोडा नि.ग्रा	22/1 ✓	0.197	0.050 ✓
		27/1 ✓	0.182	0.125 ✓
		41/1 ✓	0.057	0.057 ✓
		42/1 ✓	0.220	0.012 ✓
	योग	4	0.656	0.244 ✓
44	चौधमल, हजारीलाल, प्रेमबाई, अनारीबाई पिता हीरालाल जाति लोडा नि.ग्रा	22/2 ✓	0.196	0.050 ✓
		27/2 ✓	0.182	0.125 ✓
		41/2 ✓	0.056	0.056 ✓
		42/2 ✓	0.221	0.012 ✓
	योग	4	0.655	0.243 ✓

1	2	3	4	5
45	अमरसिंह पिता भारमल, गोराबाई, कंचनबाई बेवा मांगीलाल चौधमल, हजारी, प्रेमबाई, अनारीबाई पिता हीरालाल लोडा नि.ग्रा	23	0.012	0.012
	योग	1	0.012	0.012
46	मांगीलाल अमरसिंह पिता भारमल, मीराबाई बेवा भारमल हीरालाल पिता हरलाल हि. 1/2 देवीलाल मानसिंह पिता किशोर 1/2 गोपीलाल पिता किशोर, भवरलाल पिता प्यारा जाति लोडा नि.ग्रा.	28	0.012	0.012
		29	0.255	0.255
	योग	2	0.267	0.267
	कुलयोग	13	1.970	1.146

(1) सुआहेडी जलाशय में ग्राम बारोल की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
47	कालु, किशना गोरीलाल पिता उदा जाति लोडा नि. ग्राम भूस्वामी	147/299	0.381	0.006
48	नन्दराम, सुरेश, घनश्याम, मानी पिता रुधनाथ जाति कुम्हार नि.ग्राम	157/228	0.320	0.040
49	रोडीबाई, देवबाई पुत्री अमरा रामसिंह, गिरधारी पिता अमरलाल जाति धोबी नि.ग्राम. भूस्वामी	157/242	0.279	0.028
	योग	3	0.980	0.074
	महायोग	64	36.617	27.432

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 10 मई 2018

क्र. 22अ-82-17-18.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आयुक्त सागर के पत्र क्रमांक 112/एक-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.18 को अनुमोदन किया जा चुका है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम परियोजना

(2) भूमि का विवरण

जिला : सागर
तहसील : सागर
ग्राम : बेरखेरी खुर्द
पट.ह.नं.- : 48
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 7.34 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	कमल कुमार बल्द सुंदरलाल जैन	भूमिस्वामी	60/2	0.34	0.15	—
2	दिनेश पिता मदनलाल पटेल	भूमिस्वामी	61/1	0.23	0.10	—
3	कुन्दनलाल पिता पूरनलाल	भूमिस्वामी	61/2	0.10	0.08	—
4	शैलेश कुमार पिता रामशंकर	भूमिस्वामी	62	0.85	0.76	कुआ-1, बांसभिर-1, युकेलि20, कोहा-1, सागौन-3, बेल-1, बेरी-4, नीबू-2, आवला-1, अनार-3, अमरुद-6
5	गुलाबरानी बेबा मूलचंद मुंशीलाल, मनोहर, राजाराम बल्द ना.बा.परसराम पिता मूलचंद, लीलाबाई, मीनाबाई, बतीबाई, ममताबाई, गुडडी पुत्री मूलचंद	भूमिस्वामी	63	0.10	0.04	सागौन-1, नीबू-2, अमरुद-3
5	मन्नू पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	64	0.08	0.06	कच्चा कबेलू-3, पीपर-1, नीबू-7, अमरुद-5, आवला-1, बेरी-2
7	राजू पिता मूलचंद	भूमिस्वामी	65	0.08	0.06	अमरुद-9, नीबू-4, रामकरौदा-1

8	कोसाबाई, बडीबाई पुत्री, गोवर्धन सेवक झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्दावन हरिराम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप	भूमिस्वामी	67	0.36	0.35	पीपर-1, बमूरा-1, बांसभिर-4, बेल-1, बेरी-2, नीबू-2, अमरुद-5
9	अंजू पत्नि सुनील कुमार	भूमिस्वामी	68	0.23	0.23	बमूरा-1, बेरी-1
10	पार्वती पुत्री हरीराम	भूमिस्वामी	74	0.39	0.39	ऊमर-1, बमूरा-2, बेरी-1
11	माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग	भूमिस्वामी	69	0.08	0.08	बेल-1
12	मु.शरीफमु.इस्लाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	70	0.08	0.08	आम-1, अमरुद-4
13	मु.रईस पिता मु. शरीफ	भूमिस्वामी	77	0.12	0.03	इमली-2, बांसभिर-1, बेरी-2, आम-1, नीबू-1
14	मु.शरीफ मु.इसलाम बल्द ताज मुहम्मद	भूमिस्वामी	78/1	0.01	0.01	नीम-1
15	लक्ष्मीनारायण, मदन पिता हल्के	भूमिस्वामी	78/2	0.09	0.03	नीम-1, बांसभिरा-1
16	अतुल कुमार पिता मुन्नालाल	भूमिस्वामी	81/1	0.25	0.25	बमूरा-3, पीपर-1, बेरी-2
17	श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	81/2	0.10	0.10	बेरी-2
18	अमृतलाल शेरसिंह दीनदयाल बाबू राजाभैया पिता नत्थूसिंह शिवरानी बेबा नत्थूसिंह	भूमिस्वामी	82	0.44	0.44	नीम-1, इमली-1, बेरी-1, अमरुद-5, नीबू-2
19	तुलसीराम, श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई	भूमिस्वामी	83	0.73	0.73	-
20	जितेन्द्र बा.महेश, राजकूमारी, मालती ना.बा.पि.प्रभू बलि जितेन्द्र पिता प्रभू	भूमिस्वामी	85	0.20	0.20	रेंजा-1, ऊमर-1
21	गंगाराम पिता प्रताप यादव	भूमिस्वामी	79/1	0.10	0.07	नीम-1
22	धनीराम पिता मोहनसींग घोषी	भूमिस्वामी	84	1.62	1.62	नीम-2, ऊमर-2, रेंजा-1, रुसल्ला-1
		भूमिस्वामी	86	0.72	0.72	बेरी-1, ऊमर-1
		भूमिस्वामी	78/3	0.01	0.01	-
		भूमिस्वामी	87	0.73	0.73	रेजा-2, ऊमर-1, बमूरा-1, बेरी-1
	Total		79/2	0.02	0.02	-
			22	8.06	7.34	

अर्जित भूमि पर स्थित मकानों का विवरण

स.क्र.	भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम	मकानधारक का नाम एवं पिता पति का नाम	ख. नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मकान का विवरण
1	राजू पिता मूलचंद	हरिशंकर पिता प्यारेलाल	65	(12.10x3.15) (12.10x3.15)	कच्चा कबेलू पक्का मकान
2	मन्नू पिता मूलचंद	मुंशी पिता मूलचंद	64	(9.90x7.00)	कच्चा कबेलू
3	कोसाबाई, बडीबाई पुत्री गोवर्धन, सेवक झल्लू ब्रजेश पिता वृन्दावन, रामप्यारी अनीता, चंद्रबती पुत्री वृन्दावन प्रेमरानी बेबा विन्दावन हरिराम पिता गोवर्धन बबलू हेमराज पिता प्रताप	शासकीय सामुदायिक भवन	67	(7.90x6.40)	पक्का मकान
4	माखन हीरालाल प्रकाश माधव राजा पिता शंकरसींग मीना पुत्री शंकरसींग पार्वती बेबा शंकरसींग	माखन पिता शंकरसींग	70	(4.20x12.90) (6.10x12.00) (9.80x4.15)	पक्का मकान कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू
5	पार्वती पुत्री हरीराम	कुसमरानी पति हरीराम यादव	69	(3.70x5.00) (10.85x2.90) (8.70x2.80)	टिनशेड कच्चा कबेलू कच्चा कबेलू

5	तुलसीराम, श्रीराम, हरगोविन्द पिता नन्हेभाई	तुलसीराम पिता नन्नेलाल यादव	84	(10.40x9.30)	पक्का मकान
				(4.40x7.30)	कच्चा कबेलू
				(10.40x3.00)	टिनशेड
				(3.60x7.40)	कच्चा कबेलू
				(3.00x3.00)	पक्का मकान
7	मु.शरीफ मु.इसलाम बल्द ताज मुहम्मद	मु.रईस पिता मु. शरीफ	78/2	(7.10x4.35)	टिनशेड
				(10.10x4.10)	कच्चा कबेलू
				(7.00x3.30)	कच्चा कबेलू
				(4.00x3.00)	कच्चा कबेलू
8	लक्ष्मीनारायण, मदन पिता हल्के	रामकिशन पिता हल्के यादव	81/1	(3.80x6.20)	कच्चा कबेलू
9	शैलेश कुमार पिता रामशंकर	हरिशंकर बल्द प्यारेलाल	62	(9.40x8.25)	टिनशेड

प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में ग्राम— सिलेरा पट.हल्का नं 48 तहसील सागर जिला सागर की भूमि खसरा नं. 182 रकवा 1.39 हे. एवं खसरा नं. 184 रकवा 3.61 हे. कुल 5.00 हेक्टे. भूमि चिन्हित की गई है।

परियोजना हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा अपने पत्र क्रमांक-112/एफ-स.अ./2018 सागर दिनांक 06.04.2018 द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का अनुमोदन किया जा चुका है जिसका सार निम्नानुसार है—

- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (8) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।
- (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (11.8) यथेचित पंचायत घर
- (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (11.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (12) विस्थापित कुटुंबों को 30*30 वर्गफुट का आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा धारा 16(3) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा 03 माह रहेगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 11/06/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर मुख्यालय सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 65अ-82-16-17.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : सींगना
 4. पट.ह.नं.- : 131
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.592 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शंकरसींग वल्द कमोदसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302	1.610	0.148	0	
2	उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/1	0.660	0.016	0	
3	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/1	1.220	0.036	0	
		भूमिस्वामी	336/2	0.300	0.036	0	
4	उत्तम पिता मनु सिंह सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/3	0.380	0.036	बबूल-1 बेरी-1	
5	दामोदर पिता प्रहलाद उत्तम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	1.260	0.080	0	
6	प्रकाश पिता बंशी साकिन बिलहरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/1	0.510	0.044	नीम-1 बेरी-1	
7	प्रकाश, देवेन्द्र वीरेन्द्र धर्मेन्द्र पिता बंशी, मीनू पिता वंशी, फूलाबाई वेवा वंशी साकिन बिलहरा	भूमिस्वामी	341/2	1.210	0.068	महानीम-2 बबूल-1 रंजा-1 बेरी-1	
8	बारेलाल बल्द ब्रजा हल्का पिता घासी साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/1	0.540	0.016	0	
9	केशाराम पिता दुर्जन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/2	0.630	0.060	0	

10	शिवराज पिता रूपसीग जमना मानसीग पिता हल्कू श्यामरानी बेवा हल्कू मुरलीधर कुन्तीबाई पिस. गनेश कमलरानी बेवा गनेश पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	355	1.850	0.064	0
11	भागीरथ पिता हरी सीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/1	1.260	0.028	0
12	राजाराम बल्द लल्लू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/2	0.410	0.028	0
13	नरबदा पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/3	0.200	0.028	0
14	हल्लेभाई पिता भागीरथ चढ़ार साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365/4	0.600	0.028	रेंजा-3 गुपार-1
15	गजराजसीग पिता गनेशसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	366	0.600	0.052	बेरी-3 आंवला-1
16	उदयभानु पिता लखन सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	389	0.800	0.020	बबूल-1 रेंजा-2
17	गजराजसीग पिता खिलनसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	390	0.820	0.173	शोबदूल-1 नीम-2 रेंजा-2 बबूल-1
18	सरोजरानी बेवा विन्द्रावन कमलेश माधव नावा. पिता विन्द्रावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्द्रावन, गीताबाई कुवरबाई पिता विन्द्रावन वली माँ सरोजरानी बेवा विन्द्रावन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/1	1.090	0.006	0
19	कमलेश माधव नावा बल्द विन्द्रावन गीताबाई कुवरबाई नाबालिग पुत्री विन्द्रावन वली आज्ञा गजराज, वल्द खिलान साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	391/2	0.550	0.006	0
20	गनेसप्रसाद पिता बटदूलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	392	1.470	0.173	खेर-1 बेरी-2
21	रमेश पिता लखन सीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/1	1.370	0.084	रेंजा बेरी-1
22	कृष्णकुमार पिता लखन सीग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/3	1.370	0.084	बेरी-1
23	दिनेश सीग नावा. वल्द व वली कृष्णासीग वल्द लखनसिंह साकिन बदौना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/4	1.370	0.084	बबूल-2
24	सुहागरानी पति रामलाल साकिन बाछलोन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	417	1.410	0.186	रेंजा-1
25	दरयावसीग पिता अजीता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	418	0.720	0.008	0
योग:-			26	24.210	1.592	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/06/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 27अ-82-17-18-5750.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(2) के तहत आपत्तियों के परीक्षण एवं जांच उपरांत समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1) परियोजना का नाम	:	कड़ान मध्यम परियोजना
(2) भूमि का विवरण	:	
जिला	:	सागर
तहसील	:	सागर
ग्राम	:	लालपुरा
पट.ह.नं.-	:	48
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	65.05 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1.	राजेन्द्र, सुरेन्द्र, सचिन, वीरेन्द्र बल्द मुन्नालाल	भूमिस्वामी	2	8.94	8.10	बेरी-10
2.	सुधारानी जोजे माधव मुरारी	भूमिस्वामी	13 67	0.99 0.18	0.24 0.02	आवला-3 आवला-2
3.	बलराम सिंह पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	15 17	1.08 0.24	0.63 0.24	आवला-2, आम-2, बेरी-4, महुआ 4, साज-5, जामुन-1 -
4.	रामसींग पिता मोहनसींग	भूमिस्वामी	16 18	1.18 2.64	1.10 2.64	- बहेरा-1, बेरी-4
5.	राजेन्द्र बल्द मन्नुलाल	भूमिस्वामी	21/1	0.40	0.40	अमरुद-1, बेरी-6
6.	अजयसिंह पिता विश्वनाथसिंह घोषी गुरुगोविन्द्रसिंह वार्ड सागर	भूमिस्वामी	21/2 30/1	0.60 3.38	0.60 3.38	अमरुद-1, बेरी-6 बेरी-2
7.	भगतसींग बल्द बलराम घोसी	भूमिस्वामी	23 38 40/1	0.57 1.09 0.32	0.57 1.09 0.32	बेरी-4, नीम 1 बेरी-3 बेरी-4

8.	कृष्णाबाई पत्नि बलराम घोषी	भूमिस्वामी	24	0.07	0.07	बेरी-3
			39	0.43	0.43	बेरी-2
			41	0.40	0.40	इमली-1
9.	घासी पिता परमलाल	भूमिस्वामी	27	0.24	0.24	बेरी-2
10.	गंगाराम, बबलू, हेमराज बल्द प्रताप शकुन गुडडी पिता प्रताप	भूमिस्वामी	28/1	0.34	0.34	अमरुद-2, आवला-1 कैथ-2, बेरी-4 बांस भिरे-2, साज-1, सागौन-40
			35/1	0.84	0.84	बेरी-3
11.	हेमराज पिता प्रताप	भूमिस्वामी	28/2	0.33	0.33	नींबू-1, बेरी-3, बांसभिरे-3, रतनजोत-1
			35/2	0.85	0.85	बेरी-2
12.	शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के	भूमिस्वामी	29	0.47	0.47	बेरी-2
13.	सुरेश कुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	30/2	3.00	3.00	बेरी-10
14.	सुनील कुमार पिता कन्हैयालाल	भूमिस्वामी	30/3	3.00	3.00	बेरी-8
15.	रामकिशन, मदन, छोटेलाल पिता हल्के, शीलरानी बेबा हल्के, गंगाराम, बबलू हेमराज पिता प्रताप शकुन, गुडडीबाई पुत्री प्रताप, तुलासीराम, श्रीराम, हरगोविन्द्र पिता नन्हे, पार्वती पि. नन्हे सा. बेरखेरीखुर्द	भूमिस्वामी	32	0.60	0.60	बेरी-11
16.	तुलसीराम पिता नन्हे	भूमिस्वामी	33	1.76	1.76	बेरी-4
17.	शीलरानी बेबा हल्के, रामकिशन, छोटेलाल पिता हल्के	भूमिस्वामी	34	1.43	1.43	बेरी-5
18.	धनीराम बल्द मोहनसींग	भूमिस्वामी	36	1.16	1.16	बेरी-6, नीम-1
19.	उभयसिंह बालकिशन, मानकलाल, चंद्रभान, महेन्द्र, राजेन्द्र पिता घासीराम, मालती, अनीता, कुक्का पुत्री घासीराम	भूमिस्वामी	37	0.91	0.91	बेल-1, बेरी-4
20.	उमारानी पत्नि आँमकारसिंह	भूमिस्वामी	40/2	0.39	0.39	बेरी-5
			43/2	1.60	1.60	बेरी-2, नीम-1
21.	शैलेन्द्र बल्द आँमकारसिंह	भूमिस्वामी	43/1	0.12	0.12	बेरी-6
			46/2	0.51	0.51	बेरी-4, रंजा-1, बमूरा-1
			48	0.38	0.38	बेरी-4
22.	सरस्वतीबाई पत्नि सुंदर	भूमिस्वामी	44	0.40	0.40	बेरी-3
23.	सुन्दरलाल पिता मुलु	भूमिस्वामी	45/1	0.53	0.53	बेरी-2
24.	दीनदयाल, भगवानदास, केशव, घूमन, पूरन पिता दुर्गा, प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा	भूमिस्वामी	45/2	0.23	0.23	बेरी-4
			47/1	1.29	1.29	बेरी-3
25.	पवन पिता बद्री प्रसाद घोषी	भूमिस्वामी	45/3	0.53	0.53	बेरी-2
			45/4	0.53	0.53	बेरी-2
26.	सुन्दरलाल, प्यारेलाल पिता मुलु, गिरजा पुत्री मुलु, हरीबाई बेबा हरीसींग, गनेशीबाई बेबा दुर्गा, दीनदयाल, भगवानदास, घूमन, केशव, पूरन पिता दुर्गा, प्यारीबाई, नोनीबाई पुत्री दुर्गा	भूमिस्वामी	46/1	0.33	0.33	बेरी-1
27.	अरविन्द बल्द मदनसींग	भूमिस्वामी	47/2	0.44	0.44	बेरी-3
28.	देवी ना.वा. पिता वा पा. मोहन	भूमिस्वामी	49	0.23	0.23	-

29.	भागचंद पिता मोहन	भूमिस्वामी	50	0.23	0.23	बेरी-3, बमूरा-1
30.	अनंतराम पिता मोहनलाल	भूमिस्वामी	51	0.16	0.16	बेरी-5, अमरुद-6 आवला-1
31.	रामरानी जोजे मोहन	भूमिस्वामी	53/1	0.78	0.78	बेरी-2
			54/2	0.76	0.76	बेरी-6, नीम-2
			53/2	0.40	0.40	बेरी-4, साज-2
			53/4	0.40	0.40	बेरी-2, साज-1, खैर-3
			54/1	1.60	1.60	बेरी-10, साज-1, खैर-1
32.	हेमलता पत्नि राजेन्द्र प्रसाद	भूमिस्वामी	61	0.40	0.40	बेरी-4, नीम-2, खैर-2, रंजा-1
			62	0.40	0.40	बेरी-3, बमूरा-2, रंजा-1
			63	4.10	3.00	बेरी-4, नीम-1, साज-1, पक्का मकान-1, टिनशेड-2
33.	कीरत प्रसाद पिता तुलसीराम	भूमिस्वामी	53/3	0.60	0.60	बेरी-4
34.	जगदीशसिंह पिता मोहन	भूमिस्वामी	55	1.33	1.33	आम-1
35.	राजेन्द्रसिंग उर्फ राजू अरविंदसिंग, अरुणसिंग पिता मदनसिंग, शीलाबाई बेमदनसिंग सा.गढ़ौली बलरामसिंग, जगदीशसिंग, बद्रीप्रसाद, माखनसिंग, धनीराम, प्राणसिंग पिता मोहनसिंग, जितेन्द्रसिंग, शैलेन्द्रसिंग पिता ओंकारसिंग	भूमिस्वामी	56	6.97	5.81	अमरुद-1, बेल-1 बेरी-10, रुसल्ला-1, साज-1, टिनशेड-1
36.	जितेन्द्रसिंह शैलेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंह उमा बेवा ओंकारसिंह	भूमिस्वामी	57	1.68	1.68	बेरी-6, रंजा-2
37.	बद्रीप्रसाद पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	58	1.71	1.07	रुसल्ला-1, बेरी-10
38.	रजनी पुत्री रामाधार कमला बेबा रामाधार	भूमिस्वामी	60/1	0.52	0.52	बेरी-8
39.	जयप्रकाश पिता गिरजाप्रसाद	भूमिस्वामी	60/2	0.80	0.23	आम-1, अमरुद-4 बेरी-10, बमूरा-2, खैर-2
40.	रजनी पुत्री रामाधर कमला बेबा रामाधार	भूमिस्वामी	64	0.38	0.38	बेरी-9
41.	रामचरन पिता नन्हेलाल	भूमिस्वामी	65	2.63	2.63	बेरी-4
	कुलयोग-		41	70.80	65.05	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 11/6/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दायों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 69अ-82-16-17-5771.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन न उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : निटरी
4. पट.ह.नं.- : 131
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.220 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शोभा बल्द हल्का पता साकिन सीगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	103	3.140	0.012	बांस-3 बबूल-3	सिंचित
2	माधव भूपत रामप्रसाद पिता हल्का पता सा. सीगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	104	2.600	0.124	रेंजा-2	सिंचित
		भूमिस्वामी	109	2.950	0.084	बेरी-1	सिंचित
योग:-			03 किता	8.690	0.220		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/06/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मामलों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 15 मई 2018

क्रमांक 63अ-82-16-17-5952.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : मढ़खेरा जागीर
 4. पट.ह.नं.- : 130
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 4.907 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रानी दुलैया बेवा हनुमत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	91	0.000	0.004	0	
2	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाधराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	92	1.060	0.003	0	
3	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/2	2.000	0.136	इमली-2 बबूल-4 शोबबूल-2 रेंजा-1	
4	रोहित नावालिग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95/3	2.900	0.136	खैर-1	
5	रामपालसींग नावा. बल्द अर्जुनसींग पूरनसींग नावा. बल्द गनेश सींग अजयपाल नावा. बल्द रूपसींग वली देवीसींग बल्द मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी.	भूमिस्वामी	97/1	1.910	0.012	0	
6	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	97/2	1.200	0.208	बबूल-1 खैर-1 रेंजा-1 गुरार-5	
7	रमेश पिता लखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	144	0.920	0.112	रेंजा-1 बबूल-2	
		भूमिस्वामी	145	1.320	0.012	रेंजा-3 बबूल-3 शोबबूल-2 बेरी-1	
8	कमलसींग राजेन्द्र सींग पिता लक्ष्मीप्रसाद साकिन सींगना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	147	0.290	0.071	0	
		भूमिस्वामी	148/1	1.910	0.128	रेंजा-8	

9	रगवीर पिता ग्याप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	148/2	3.820	0.128	रेंजा-4 बबूल-2 बेरी-2	
10	धूमन सिंह पिता रगवीर सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	150	0.520	0.103	0	
11	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	151	0.300	0.002	0	
12	कीरत सिंह पिता प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	159	0.650	0.109	रेंजा-11 महुआ-1	
		भूमिस्वामी	176/1	1.800	0.218	0	
13	नरान बल्द प्रहलाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160	1.660	0.029	रेंजा-2	
14	रोहित नावालिंग बल्द श्याम सिंह अनीताबाई बेवा श्याम सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	179	2.730	0.064	0	
		भूमिस्वामी	183/2	0.500	0.064	0	
		भूमिस्वामी	184/2	0.400	0.071	0	
15	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	181	1.200	0.122	0	
		भूमिस्वामी	210	0.550	0.013	बेरी-4	
16	रामसींग पिता प्रहलाद सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	182	0.240	0.026	0	
17	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183/1	2.020	0.064	पलाश-11 रेंजा-4	
18	बाबूसिंह पिता प्रहलादसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	184/1	1.870	0.071	पलाश-6 खेर-10 रेंजा-4 बेरी-2	
19	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/1	0.280	0.116	रेंजा-1 बेरी-8	
20	देवीसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	203/2	0.800	0.109	0	
21	आनंद पिता प्रानसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/2	0.610	0.128	0	
		भूमिस्वामी	206/7	1.000	0.045	0	
22	रामजीसिंह पिता दुरगसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/3	0.400	0.019	0	
23	प्रकाश बल्द दुरगसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	206/8	0.400	0.106	0	
24	भागीरथ पिता मठोला साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	223	0.190	0.029	बबूल-2 रेंजा-2	
25	देबेन्द्र सींग पिता जगतीसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/1	0.580	0.061	0	
26	हरीसींग पिता जगतसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	224/2	0.480	0.061	0	
		भूमिस्वामी	225	0.100	0.020	0	
27	मन्नू पिता छोटेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	226	0.610	0.090	कोहा-2 बबूल-3 रेंजा-1 बेरी-1 जामुन-1	
28	सुनील पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239	1.330	0.074	0	
29	प्यारेलाल पिता हीरा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240/1	0.700	0.093	0	
30	विन्दावन पिता आलमसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/1	2.130	0.064	0	
31	राजकुमार पिता हनमंत सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/1	0.230	0.028	0	
32	चेनसींग पिता हनमंत सिंह सविता बाई पति चैन सिंह रूपवती सचिन मोनिका अनुज ना.बा. बल्द चेन सींग वली मॉ सविताबाई पति चेनसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/2	0.080	0.028	0	
33	शांति बाई पति जगभान सिंह साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/3	0.240	0.028	0	

34	जानकी प्रसाद गोबन्दी साकिन बाघराज वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	996/4	0.230	0.028	0	
35	बालाप्रसाद पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	998	0.400	0.071	0	
36	रतन पिता हल्के साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1003	1.840	0.115	बिही-2 नीबू-2	
37	महेन्द्र कुमार पिता रामेश्वर साकिन रजवास भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	999/1	1.700	0.071	0	
38	शालकराम पिता पूरनलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1002	1.380	0.160	0	
39	राकेश सोमनाथ धरमदास दिलीप कुलदीप सावित्री, कौशल्या पिस. घसीटा रामरानी बेवा घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/1	1.550	0.102	0	
40	राकेश पिता घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1008/2	1.300	0.102	0	
41	सपना दुर्गा सुनीता संध्या हेमलता कल्लोबाई नावा. पुत्री माखन बली व खुद मां सोनाबाई बेवा माखन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/1	0.760	0.002	0	
42	सोमनाथ पिता घसीटा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1010/2	0.400	0.002	0	
43	सुशीलाबाई पति रविशंकर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1011	2.220	0.224	0	
44	राजकुमार पिता हनमत् सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1015	0.940	0.160	0	
45	अरविन्द पिता राजा सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1021/1	0.100	0.002	0	
46	काशीबाई वेवा मंगल सींग देवीसींग अर्जुन गनेश रूपसींग पिता मंगलसींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1026	0.350	0.102	कंजी-1 बबूल-1 बेरी-1 जामुन-1	
		भूमिस्वामी	1032	1.150	0.166	आम-1 बिही-1 नीबू-1	
		भूमिस्वामी	1027	0.200	0.004	0	
		भूमिस्वामी	1029	2.450	0.002	0	
		भूमिस्वामी	1039	0.890	0.013	रेजा-3	
		भूमिस्वामी	1030/1	0.150	0.032	0	
		भूमिस्वामी	1030/2	0.150	0.032	0	
47	राजासिंह पिता मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1031	1.000	0.102	0	
		भूमिस्वामी	1033	0.930	0.002	0	
		भूमिस्वामी	1034	0.540	0.038	0	
48	गोविन्द सिंह पिता राजासिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1037	1.600	0.067	आम-1 बिही-1 नीबू-1	
योग:-			65	64.560	4.633		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/6/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 17 मई 2018

क्र. 89अ-82-17-18-6072.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण—
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : चौका दमोह
 4. पट.ह.नं. : 105
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.599 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकबा हे. में	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	राधाबाई वेवा सुकई	भूमिस्वामी	83/1	1.80	0.052	शून्य
2	जितेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह,	भूमिस्वामी	83/2	0.29	0.030	शून्य
			106/1	0.38	0.013	
			106/2	0.23	0.013	
3	रामरानी पत्नि मोहनसिंह	भूमिस्वामी	83/3	1.80	0.100	शून्य
4	धर्मन्द्र सिंह वल्द मोहनसिंह	भूमिस्वामी	99	0.82	0.100	शून्य
			98	0.80	0.088	
5	सूरजसिंग पिता प्रहलादसिंग, रतनसिंह, रामजीसिंह पिता प्रीतम, हीराबाई कल्लोबाई पुत्री प्रीतमसिंह, मोहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्षमनसिंह, किरणबाई बेबा लक्षमनसिंह	भूमिस्वामी	112/1	0.97	0.078	शून्य
6	मोहित दीपक ना.बा. भागवलसिंह बलि माँ वा खुद लक्ष्मीबाई वेवा भागवलसिंह रतनसिंह, रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह, हीराबाई, कल्लोबाई, पुत्री प्रीतमसिंह, मोहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्षमनसिंह, किरणबाई बेबा लक्ष्मनसिंह	भूमिस्वामी	112/2	0.35	0.030	शून्य

7	शालकराम, नारायणसिंह पिसराम जबाहरसिंह सुमतरानी बेवा जबाहरसिंह, सूरतसिंह वल्द प्रहलादसिंह, मोहित दीपक ना.वा. भागवलसिंह वलि य खुद मों, लक्ष्मीबाई वेवा भागवलसिंह, रतनसिंह रामजीसिंह पिता प्रीतमसिंह, हीराबाई, कल्लोबाई पुत्री प्रीतमसिंह, मोहितसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मनसिंह, किरणबाई बेवा लक्ष्मनसिंह	भूमिस्वामी	112/3	0.37	0.040	शून्य
8	खेतसींग ब. भोपतसींग	भूमिस्वामी	113	0.53	0.044	शून्य
			114	0.68	0.084	शून्य
9	नरेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	115	0.05	0.009	शून्य
10	विनोद कुमार पिता गुलाबचंद, पन्नालाल पिता हरचंद	भूमिस्वामी	116	0.90	0.180	शून्य
			126	2.50	0.189	शून्य
11	मोहित, भूपेन्द्र, पिसरान लक्ष्मणसिंह किरणबाई वेवा लक्ष्मणसिंह	भूमिस्वामी	117/3	0.72	0.028	शून्य
12	शिखरचंद पिता राजधर, नरेन्द्र कुमार पिता राजेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल	भूमिस्वामी	111	0.59	0.028	शून्य
13	रतनसींग पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	118	0.49	0.091	शून्य
14	रामजी पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	117/2	0.72	0.056	शून्य
15	रतनसींग पिता प्रीतमसींग	भूमिस्वामी	117/1	0.72	0.044	शून्य
16	रामसींग पिता राजाराम, भगवानसींग वीरसींग अमरसींग चँदा त्रिवेणी उर्मिला पिसरान रामसींग अवधरानी बेवा रामसींग	भूमिस्वामी	121	0.46	0.103	शून्य
			74/1	2.75	0.100	शून्य
17	साहबसींग पिता राजाराम	भूमिस्वामी	74/2	2.00	0.099	शून्य
	कुलयोग:-		कुल17 किता	20.920	1.599	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/6/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 87अ-82-17-18-6073.—

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण**
- (2) भूमि का विवरण—
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : देवरी पथरिया
 4. पट.ह.नं. : 106
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.805 हेक्टे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	घनश्याम, श्याम सुन्दर, रमेश पिता नन्हेभाई, कमलरानी वेवा नन्हेभाई	भूमिस्वामी	70	1.08	0.060	शून्य
2	रामकिसन उर्फ जीवनलाल पिता शालकराम	भूमिस्वामी	64	1.090	0.072	शून्य
3	सुहागरानी वेवा शालकराम, लक्ष्मी, भोले, रामदेवी, सीता, गीता पुत्री शालकराम	भूमिस्वामी	63	1.090	0.068	शून्य
4	सुरेशसींग पिता करनसींग	भूमिस्वामी	77	1.540	0.112	शून्य
5	दुरगसिंह पिता मोहनसिंह	भूमिस्वामी	78	0.440	0.100	शून्य
6	रामप्रसाद पिता भैयालाल, राजकुमार, रूपनारायण, चंद्रभान, हृदेश कुमार, सुधीश, पिस. रामप्रसाद, त्रिवेणी, रामसखी, गीता, सविता, किरण पुत्री रामप्रसाद	भूमिस्वामी	82	1.390	0.088	शून्य
7	बिहारी, श्यामसुन्दर, विश्वनाथ पिस. प्रभुदयाल, पुष्पा, रचना पु. प्रभुदयाल, सूरजबाई बेबा प्रभुदयाल	भूमिस्वामी	62	0.440	0.020	शून्य
			60	1.610	0.154	शून्य
			59	1.750	0.028	शून्य
8	श्री देव राधा वल्लभ जी मो. हरिराम पिता भैयालाल, प्रबंधन कलेक्टर, सागर	भूमिस्वामी	61	2.100	0.028	शून्य
9	महादेव प्रसाद बल्द दयाराम, सीतारानी वेवा दयाराम	भूमिस्वामी	52	0.200	0.008	शून्य

10	उद्येत वल्द हल्काई	भूमिस्वामी	58 /2	0.520	0.066	शून्य
11	नरेश पिता आशाराम	भूमिस्वामी	48/1	0.930	0.126	शून्य
	बद्रीप्रसाद पिता आशाराम	भूमिस्वामी	48/2	0.68	0.126	शून्य
12	भुवानी बाई पुत्री बाबूसींग	भूमिस्वामी	46	0.610	0.032	शून्य
			47	0.610	0.100	
13	उजयारसिंह पिता सिरदार सींग	भूमिस्वामी	111	1.940	0.154	शून्य
14	मलखान, वृदांवन पिता कूरे	भूमिस्वामी	112	0.860	0.126	शून्य
15	गनपत, लल्लू पिता कूरा	भूमिस्वामी	113	0.830	0.126	शून्य
16	रामकेश, काशीराम बा. सुलील ना.बा. पिसरान शंकर बलि माँ इन्द्रानी पति शंकर	भूमिस्वामी	132/1	0.390	0.125	शून्य
			133/1	0.350	0.032	
17	प्रकाश, हल्लेभाई, राकेश, पिसरान शंकर	भूमिस्वामी	132/4	0.390	0.022	शून्य
			133/2	0.360	0.032	

पत्र (मुद्रणालय)

23 MAY 2018

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/6/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 18 मई 2018

क्र. 68अ-82-16-17-6125.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बिलहरा
 4. पट.ह.नं.— : 134
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 9.425 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री देव जानकी रमणमंदिर विन्द्रावन वाग सागर मुहत्तमकार महंत नरहरिदास चेला श्यामबिहारी दास साकिन सागर भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर सागर	भूमिस्वामी	645	3.820	0.039	निरंक	
2	हरिभगवान लखनसिंह पिता भैयालाल कुंवरबाई बेवा भैयालाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	648 679	0.290 2.600	0.005 0.168	निरंक नीम-1	
3	सियारानी बेवा गुलाब सींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	655	0.660	0.068	निरंक	
4	नरेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	656	1.090	0.152	निरंक	
5	बंसत कुमार पिता सतनारायण सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	657	0.500	0.080	निरंक	
6	डगारसिंह पि. गुलाबसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	658	0.590	0.096	रेंजा-1 बबूल-1 बेरी-2	
7	बिजेन्द्र सिंह वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	659/1	0.420	0.032	निरंक	
8	कृष्णसींग वल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	659/2	0.410	0.032	निरंक	

9	लछमनसींग नन्हेभाई पिता नन्हूसींग बड़ीबहू बेवा नन्हूसींग प्रहलादसींग सनमूरतसींग पिता भैयालाल पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	677	3.090	0.328	बबूल-3 रेंजा-3 साज-1 बेरी-1 केम-1
10	भीकम वल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	678/1	0.500	0.128	बबूल-2
11	निर्मयसींग वल्द जगन्नाथ साकिन पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	678/2	0.500	0.128	बबूल-2
12	बहीदन पति सुबराती साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	752	1.270	0.208	निरंक
13	मोहम्मद इलियाल बल्द खुमान पता साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	753	0.680	0.078	निरंक
14	मनीष पिता यशोदानंदन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	754/1	0.150	0.032	बबूल-1
		भूमिस्वामी	754/2	0.300	0.036	निरंक
		भूमिस्वामी	755	1.240	0.132	निरंक
15	आशीष बल्द यशोदानंदन सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	754/3	0.100	0.036	निरंक
16	विष्णु पिता पंचम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	764/1	2.050	0.012	निरंक
		भूमिस्वामी	765/2	0.150	0.048	निरंक
17	अमरसींग पिता चेतु साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	765/3	0.150	0.024	निरंक
18	बैनीप्रसाद पिता मुरलीधर ब्रजगोपाल पिता मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	766	1.830	0.128	निरंक
19	कमल क्रांती पत्नि संतोषकुमार पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	770	2.370	0.344	निरंक
20	श्री देव जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर बाके देह मुह. नरसिंहदास चेला महन्त रामदास जितेन्द्र कुमार चेला महंत रामदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता निवासी वेदान्ती पंतनगर वार्ड सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	783	9.240	0.685	निरंक
21	पुष्पेन्द्र, दीपेश नाबालिग वल्द व वली मनमोहन साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	803/1	1.560	0.096	निरंक
22	अभिषेक, हेमत वालिग वीरेन्द्र नाबालिग पिता व वली भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	803/2	0.060	0.040	निरंक
		भूमिस्वामी	804/2	1.500	0.096	निरंक
23	रामसेवक, आकाश नाबालिग पिता दामोदर वल्द व वली परमानंद साकिन सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	804/1	0.100	0.064	निरंक
		भूमिस्वामी	805	1.460	0.112	बेरी-1
24	भरत पिता पुरुषोत्तम पता सा. सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	806	1.280	0.092	सेमरा-1
25	हरीराम पिता प्यारेलाल दुलारी बेवा प्यारेलाल गनेश पिस. मुलू मगन पिता चूरामन पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1342	1.820	0.480	रेंजा-1 कनेर-1
26	राजकुमार वल्द प्रीतम साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1343/1	1.000	0.035	निरंक
27	रामबाई बेवा किशोरसींग कृष्णकुमार वल्द प्रीतमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	1343/2	0.230	0.034	निरंक
28	बाबूलाल पिता चन्द्रशेखर पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1344	1.000	0.217	बबूल-1 सागौन-2

29	सूरजबाई पत्नि बाबूलाल पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1345	0.930	0.360	निरंक
		भूमिस्वामी	1348	0.550	0.045	बेरी-1 रेंजा-2
30	फुलू पिता वट्टू पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1346	0.410	0.120	बेरी-1 बबूल-2 रेंजा-1
31	रामरानी पत्नि फुलू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1349	0.760	0.222	बबूल-2 सागीन-1 रेंजा-1
32	गनेश पि. टुन्डा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1357	0.270	0.008	निरंक
		भूमिस्वामी	1359	0.360	0.120	आम-2 रेंजा-1 पलाश-1 बबूल-1
33	सुन्दर भगवानदास पिता पंचू खरगोबाई पुत्री पंचू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1358/1	0.090	0.160	बबूल-2
34	रामरानी पति फुलू, राधारानी पति कन्हैयालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1358/2	0.600	0.164	बबूल-1
35	कृपाशंकर लज्जाशंकर पिता कुन्दनलाल सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1369/2	0.380	0.076	निरंक
36	रमेश उर्फ घनश्याम पिता रामरतन साकिन तिलीमाफी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1360	1.290	0.180	जामुन-1 आम-1 कटहल-2 बबूल-2 सागीन-1 मुनगा-1
37	छबरानी बिधवा छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1368	1.170	0.272	बेस-1 बबूल-1 नीम-1 रेंजा-1
38	बैजनाथ पिता भैयालाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1369/1	0.390	0.076	निरंक
39	लल्लूभाई मनोज नरेन्द्र पिस. बबू सियारानी बेवा बबू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1417	1.530	0.184	आम-1
40	रविशंकर पिता दीननाथ पता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1418	2.970	0.248	आम-1
41	काशीराम पिता भूरा केवलारी बारी बेवा भूरा पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1419	1.480	0.168	बबूल-2
42	मनोहर महेन्द्र नरेन्द्र पिता माधव साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1421	1.310	0.208	बबूल-2
		भूमिस्वामी	1422	1.510	0.288	बबूल-5
43	नर्मदाप्रसाद पिता कामता साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1423/1	0.660	0.152	निरंक
44	रुकमणी पत्नि देवीदयाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1423/2	1.800	0.112	निरंक
45	मृगेन्द्रदत्त वल्द धरनीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1425	0.350	0.006	निरंक
46	परमाबाई बेवा जगमोहन शांतिबाई, सावित्रीबाई, चिरई पिता जगमोहन साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1426	1.640	0.216	निरंक
47	राजेश कुमार बल्द धरनीधर पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1435	1.700	0.075	बबूल-2
48	ज्योतिबाई पुत्री मुरलीधर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1441/5	0.790	0.108	निरंक
49	गोदावरी बेवा अंबिकाप्रसाद कृष्णकुमार संजय पिता अंबिकाप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1441/4	0.460	0.108	निरंक
50	रामरानी पुत्री लक्ष्मीनारायण पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1442	0.960	0.122	बबूल-4

51	किशनलाल लक्ष्मीनारायण भैयालाल सुदामाप्रसाद पिता नन्हेलाल सीताराम भगवानदास पिता रामाप्रसाद उर्मिला सावित्री सरोज पुत्री रामाप्रसाद रूपरानी वेवा रामप्रसाद, देवेन्द्र, ओमकार, भगवतशरण, दिवेश पिता प्रभुदयाल, पुष्पा, रजनी पुत्री प्रभुदयाल, रामरतिबाई वेवा प्रभुदयाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1443	0.720	0.058	निरंक
52	राजेश राजा पिता आशाराम अन्नपूर्णा सुन्दरी नीलम पुत्री आशाराम विमला बेवा आशाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	1452 1456/2	0.130 0.080	0.002 0.032	निरंक निरंक
53	श्रीमति लता पति भगवतशरण साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1453	1.420	0.110	निरंक
54	हीरालाल बल्द मिहीलाल संतोषरानी पति बालमुकुन्द साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1456/1	0.050	0.032	निरंक
55	हीरालाल बालमुकुन्द पिता मिही लाल साकिन देह	भूमिस्वामी	1457	1.690	0.096	निरंक
56	जमना पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1458/1	0.290	0.043	निरंक
57	नर्मदा पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1458/2	0.290	0.043	निरंक
58	इन्द्राज पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1458/3	0.290	0.043	निरंक
59	मोहन पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1458/4	0.290	0.043	निरंक
60	पूरन दामोदर आशाराम पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1459/1	0.650	0.096	निरंक
61	जमना पिता नन्हा साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1459/2	0.640	0.096	निरंक
62	लक्ष्मन बल्द जवाहर सा. देह ममि स्वामी	भूमिस्वामी	1460/1	1.500	0.026	बिही-1 रेंजा-2 बरगद-2
63	साहाब सींग बल्द जवाहर सींग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1460/2	1.500	0.026	निरंक
64	कमल पिता उमराई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1467	0.190	0.003	निरंक
65	शारदाबाई पति जवाहर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	1468 1469	0.780 0.400	0.128 0.026	निरंक निरंक
66	कलू भागीरथ हीरालाल पिता बट्टे रेवा पिता मुरलीधर भगवत, हरमजन नाबालिग पिता परमलाल पालक माँ रामवती पति परमलाल, आशाराम पिता प्यारेलाल, बृजरानी वेवा दशोदा, कमलेश पिता दशोदा, ववीता, गुड्डन, अकती पुत्री दामोदर साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	1474	2.860	0.339	निरंक
67	गोकल पिता गफलू साकिन देह सेवाखातेदार	सेवा खातेदार	1434	0.420	0.100	बबूल-2
योग:-			79	82.560	9.425	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/6/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 88अ-82-17-18-6126.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : **भगवंतपुरा जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण**
 (2) भूमि का विवरण—
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पड़रिया
 4. पट.ह.नं. : 101
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.981 हेक्टे.
 ::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	भैयालाल पिता बाबू लुडकाबाई बेवा बाबू	भूमिस्वामी	1526/1	1.650	0.192	शून्य
2.	सोनू मोना पिता खुब्बा, अमोल, रानी वेवा खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/1	2.210	0.067	शून्य
3.	अमोल रानी वेवा खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/2	0.400	0.076	शून्य
4.	कलू पिता खुब्बा	भूमिस्वामी	1524/3	0.600	0.03	शून्य
5.	अब्दुल पिता रल्ली	भूमिस्वामी	1518	1.000	0.187	शून्य
6.	लतीप पिता अकबर, कल्लोबाई उर्फ गुलाब रानी वेवा अकबर	भूमिस्वामी	1515/1 1514/1	1.19 0.15	0.052 0.01	शून्य
7.	बहीद, शहीद जलील पिस. हल्काई बड़ीबिन्ना, मझली बिन्ना, हल्की बिन्ना, पु. हलकाई, साबरा पति हल्काई	भूमिस्वामी	1515/2 1514/2	1.30 0.14	0.053 0.01	शून्य
8.	चिन्नी बेगम पति शेखलाल	भूमिस्वामी	1512/2	0.17	0.033	शून्य
9.	शेखलाल पिता प्रसादी	भूमिस्वामी	1511/1	0.57	0.06	शून्य
10.	चिन्नी बेगम पति शेखलाल	भूमिस्वामी	1511/2	0.58	0.076	शून्य
11.	नजीर गुडडा नसीब, रहीम, पिस. पुट्टे खाँ, सबीना, अमीना पुत्री पुट्टे खाँ	भूमिस्वामी	1511/4	0.58	0.102	शून्य
12.	अनवर खाँ पिता परसादी	भूमिस्वामी	1511/5	0.58	0.033	शून्य
	योग:-		कुल 12किता	11.12	0.981	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/06/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 86अ-82-17-18-6129.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : भगवंतपुरा जलाशय योजनान्तर्गत नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण—
1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : डोंगीडहर
4. पट.ह.नं. : 105
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.329 हेक्टे.

::अनुसूची-1::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे.में	अर्जित रकवा (हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	छोटेसींग पिता दलीपसींग	भूमिस्वामी	1/2	1.170	0.057	शून्य
2	सूरतसींग पिता प्यारेलाल	भूमिस्वामी	7	0.880	0.043	शून्य
			8	1.160	0.067	शून्य
3	सिद्धराम पिता गजराजसींग, भुवानी गीता, ईशाबाई, केशरबाई, पार्वतीबाई पु. गजराज, सुरेशरानी बेवा गजराज, भगवानसींग ब. गुपाल, मुन्नी पुत्री धीरज	भूमिस्वामी	9	1.680	0.110	शून्य
4	मोहनसींग पि. जालमसींग, कुसुमबाई पुत्री जनकदुलारी	भूमिस्वामी	10/1	0.300	0.055	शून्य
5	रघुवीरसींग पिता मोहनसींग	भूमिस्वामी	10/2	0.200	0.055	शून्य
			12	0.350	0.081	शून्य
6	मोहनसींग पिता जालमसींग	भूमिस्वामी	11	0.350	0.081	शून्य
7	हरीराम, रामप्रसाद, दयाराम, राजाराम, प्रभुदयाल पिता भैयालाल, कोमलरानी बे. आशाराम, रामेश्वरप्रसाद, बट्टीप्रसाद, भूमिस्वामी राजेन्द्र उर्फ मुन्नालाल, कमलकुमार, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम, गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई, कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी आशाराम पता सा. देवरी पथरिया भूमिस्वामी, महादेव ब.दयाराम,	भूमिस्वामी	13	2.370	0.225	शून्य
			34	5.560	0.297	शून्य

	सीतारानी, बेबा दयाराम, बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस.प्रभूदयाल,डब्बो,रचना,पु.प्रभूदयाल, सूरजबाई, बे.प्रभूदयाल सा.देवरी पथरिया, भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल					
8	भानूदय नावा. पिता वलि, विश्वनाथ पिता प्रभूदयाल	भूमिस्वामी	31 / 1	1.00	0.064	शून्य
9	विश्वनाथ पिता प्रभूदयाल	भूमिस्वामी	31 / 2	0.800	0.065	शून्य
10	विनीत ब. बिहारीलाल अग्निहोत्री, राजुल ब. बिहारीलाल, अग्निहोत्री	भूमिस्वामी	32	1.130	0.087	शून्य
11	हरीराम, रामप्रसाद, दयाराम, राजाराम, प्रभूदयाल, भैयालाल,कोमलरानी बे.आशारानी, रामेश्वरप्रसाद, बद्रीप्रसाद, भूमिस्वामी, राजेन्द्र उर्फ मुन्नालाल, कमल, नरेन्द्रकुमार पिता आशाराम, गिरजाबाई, लीलाबाई, विमलाबाई, कमलाबाई पुत्री भूमिस्वामी, आशाराम पता सा.देवरी पथरिया भूमिस्वामी,महादेव ब.दयाराम, सीतारानी, बेबा दयाराम, बिहारी, श्यासुंदर, पप्पू पिस.प्रभूदयाल,डब्बो,रचना,पु. प्रभूदयाल, सूरजबाई, बे.प्रभूदयाल सा.देवरी पथरिया, भूमिस्वामी राजाराम पिता भैयालाल	भूमिस्वामी	33	0.910	0.042	शून्य
	योग:-		कुल 11 किता	17.860	1.329	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकोशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 18/6/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 22 मई 2018

क्र. 78अ-82-16-17-6249.—

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम :- बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण 1 जिला - सागर 2 तहसील - बण्डा
 3 ग्राम - नीमोन 4 प.ह.नं. - 15
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल - 1.580 हे.

स. क्र.	भू-धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित भूमि का विवरण		स्थायर परिसंपत्ति का विवरण
					सिंचित	असिंचित	
1	2		3	4	5	6	7
1	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पिता काशीराम साकिन देह	भूमिस्वामी	178	2.940	0.080	0.000	निरंक
2	कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह	भूमिस्वामी	177	1.210	0.000	0.060	निरंक
3	कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा	भूमिस्वामी	176	0.090	0.010	0.000	निरंक
			854/1	0.990	0.000	0.020	निरंक
4	उत्तमचंद पिता पन्नालाल साकिन देह	भूमिस्वामी	175	1.460	0.020	0.000	निरंक
			169/1	0.610	0.030	0.000	निरंक
5	राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया सा. देह	भूमिस्वामी	171	0.810	0.000	0.070	निरंक
6	गंधर्वसींग पिता जसरथ सींग राजपूत सा.देह	भूमिस्वामी	153	0.670	0.070	0.000	निरंक
7	धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी साकिन देह	भूमिस्वामी	114	0.350	0.000	0.020	निरंक
8	साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/1	3.080	0.030	0.000	निरंक
9	लोटनसींग पिता जसरथसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	107/2	3.090	0.160	0.000	निरंक
10	दम्पू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पिता व पालक लखन मनीषा रामदेवी पिता लखन गीता बेवा लखन साकिन देह	भूमिस्वामी	108/1	1.250	0.130	0.000	निरंक
11	कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	99	2.140	0.140	0.000	निरंक
12	छुट्टिया पिता दुल्ला साकिन देह	भूमिस्वामी	836/2	0.410	0.080	0.000	निरंक
13	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	838/1	0.810	0.000	0.060	निरंक
14	धनसींग पि गनेश साकिन देह	भूमिस्वामी	839	0.640	0.050	0.000	निरंक
			830	0.640	0.080	0.000	निरंक

15	रूपनारायण शिवनारायण पिता राजाराम मालतीबाई पिता राजाराम विश्नु महेश पिता हरीनारायण संतोषबाई पुत्री हरीनारायण सा. देह	भूमिस्वामी	840	2.450	0.130	0.000	निरंक
16	पवनकुमार पिता रूपनारायण साकिन देह	भूमिस्वामी	841/1	0.120	0.000	0.050	निरंक
17	वीरेन्द्रसींग पिता धीरज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	856	1.210	0.080	0.000	निरंक
18	हल्काई पिता हुकुमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	855/2	0.160	0.000	0.020	निरंक
19	प्रेमबाई बेवा फूलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	854/2	0.400	0.000	0.040	निरंक
20	सुरेन्द्र राजेन्द्र पिता जाहर सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	852	1.200	0.150	0.000	निरंक
योग-			23	26.730	1.240	0.340	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचाना किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है

अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितवद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05.06.2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार, जिला धार मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 17 मई 2018

क्र. 1466-भू-अर्जन-2018.—

प्ररूप-ख

(नियम-5 का उपनियम 2)

क्रमांक..... अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डी.एम.आई.सी. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक योजना अन्तर्गत पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना हेतु ग्राम सिलोटिया से उज्जैनी तक तेहसील धार जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना प्रस्तावित है और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी धार जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	कृषक का नाम	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	धार	धार	सिलोटिया(गबला)	अमीत पिता कैलाशचन्द्र गोथा	190/2/2	0.025
2				नितेश आशोक पिता मनोहर ललीताबाई बेवा मनोहर छीताबाई बेवा अम्बाराम	191/1	0.040
3				रामेश्वर रामचन्द्र पिता बटुकी छाती	191/2	0.035
				03	योग रकबा अ	0.100
4	धार	धार	धन्नाड़ खुर्द	संजय पिता रतनलाल जैन रामनगर इन्टीर	02 6/1	0.065 0.010
5				दिलीप नायक पिता कुंजबिहारी ब्राह्मण ८४ बी साईनाथ कालोनी इन्टीर	4/1 4/2	0.040
6				मुजस्यार पिता अजमेरी नायता	7/1	0.020
7				नाजराबी पति रमजान मुसलमान	7/2	0.050
8				गुलजी पिता तालजी नायता	13	0.090
9				सुलेमान पिता लालजी नायता	15	0.035
				06	योग रकबा ब	0.310
10	धार	धार	सागौर	जगदीश पिता केसरसिंह रघुवंशी	1045/3/2/1/1	0.030
11				मुन्नीबाई पति शंकरलाल रघुवंशी	1082/1d	0.075
12				धर्मेन्द्र पिता नरेन्द्र चौधरी	1082/1/ख/1	0.042
13				राधेश्याम पिता रूपनारायण नाई	1082/2/1	0.088
14				रविता पति समन्धरसिंह धाकंड	1082/2/2	0.030
15				राजपाल पिता रूपनारायण नाई	1082/3	0.117
16				कैलाश पिता रूपनारायण नाई	1082/4/1	0.058
17	धार	धार	सफरराज	फुलकुवरबाई पति बन्नीलाल राजपुत	52/1	0.010
18				कुन्ताबाई पति मदनलाल नि.पैसलाम तह.महु जिला इन्टीर	52/2 53/6/1	0.040 0.050
19				मदनलाल पिता जगन्नाथ नि.पैसलाम	53/1/2	0.013
20				रामकिशन पिता सीताराम कीर	53/1/1	0.050
21				गोरीबाई पति भंवरसिंह रघुवंशी नि.बरदरी	54	0.070
22				श्याम गोकुल संगीतबाई पिता करणसिंह आप्ताराम बैनसिंह पिता तोलाराम राजेन्द्र रावेंद्र राधाबाई पिता रामचन्द्र गीता बाई बेवा रामकन्द धीसीबाई बेवा दौला आति कीर भैरु पिता हरचंद लक्ष्मीबाई बेवा हरचंद गुलाब पिता पन्नालाल जाति घमार	19 20	0.010 0.040
23					41/1	0.010
24				धापुबाई बेवा पन्नालाल	41/2	0.010
25				नग्गा पिता शंकर बलाई	149/4	0.015
26				राजेन्द्र पिता बन्नीलाल राजपुत	161/1	0.025
27				धनश्याम उर्फ जितेन्द्र पिता रामरतन राजपुत	161/2	0.025
28				तोफनसिंह पिता निहालसिंह राजपुत	162/8	0.050
29				जगदीश पिता निहालसिंह राजपुत	162/1	0.065
				13	योग रकबा द	0.483
30	धार	धार	सिलोदा बुजुर्ग	रामेश्वर पिता बाबुलाल ब्राह्मण	48/2	0.035
31				छगन पिता काशीराम जाति घमार	51/4	0.030
32				गिरधारी पिता काशीराम जाति घमार	51/3	0.030
33				रामा पिता काशीराम जाति घमार	52	0.030
34				नरधु पिता विष्णुकंत जाति ब्राह्मण	53	0.035
35				बाबुसिंह पिता नन्दराम जाति राजपुत	56/1	0.083
36				छोटेराल पिता हबीबखो जाति मुसलमान नि. दिग्दान	164/1	0.041
37				अफिकखो पिता हबीबखो जाति मुसलमान नि. दिग्दान	164/2	0.050
38				बानुबाई पति छोटेराल जाति मुसलमान नि. दिग्दान	165/2	0.060
				09	योग रकबा ई	0.394
				महायोग - अ,ब,स,द,ई		1.727

शंकरलाल सिंघाड़े, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार दिनांक 18 मई 2018

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013)

प्र. क्र. 782-ए-2017-18.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में आँकारेश्वर परियोजना नहर चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम ननौदा तहसील कुक्षी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम :-ननौदा तहसील - कुक्षी

जिला धार (म.प्र.)

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3	0.075	—	0.075
	योग -	0.075	—	0.075

अनुसूची (2)

आँकारेश्वर नहर परियोजना चरण-3 के निर्माण अंतर्गत ग्राम ननौदा तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अश्विन पिता गेंदालाल जाति कुलमी निवासी ग्राम बशरह नं. 197	198	0.468	—	0.468	0.035	—	0.035
2	प्रभा पति नारायण जाति कुलमी निवासी ग्राम बशरह नं. 199	200	0.455	—	0.455	0.040	—	0.040
	योग -		0.923	—	0.923	0.075	—	0.075

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा दिनांक 15 मई 2018

क्र. 102-2017-एलए/7615-रा.प्र.क्र.-02-अ82-2017-18-रोशनी.—

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा की आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के बाँध निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम रोशनी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भू स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश क दिनों का छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/मकान का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खालवा, पटवारी हल्का नं. 62, ग्राम रोशनी राजस्व निरीक्षक मण्डल रोशनी। प्रभावित रकबा :- 8.454 हेक्टेयर

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शेख सबीर पिता शेख रहमान नावली गुलावती बेवा शेख रहीम नि.ग्राम.भूमि स्वामी	139/1	1.91	0.50	0.00	0.50	निरंक
2	शेख अनीस पिता शेख रहीम ना. व. वली गुलावती बेवा शेख रहीम नि.ग्राम.भूमि स्वामी	139/2	1.92	0.50	0.00	0.50	निरंक
		141	1.49	1.49	0.00	1.49	निरंक

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे. में	प्रभावित रकबा हे. में.	सिंचित रकबा हे. में	असिंचित रकबा हे. में	अन्य सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3	मंसू सुखराम पिता तुमला गोपली वाइलो, सामो कड़मी पिता तुमला, पुनई समाय सीटू पुत्री वाटू सालिकराम मंगल मालू शोभाराम चम्पा बंशी पिता सुक्कू पिन्दू चम्पू विधवा सुक्कू नि.ग्राम.भूमि स्वामी	142	2.88	2.88	0.00	2.88	निरंक
		143	1.71	0.626	0.00	0.626	निरंक
4	खानू सुखराम गंगाराम पिता नाना बुधिया सेटूबाई कालई पिता नाना नि.ग्राम.भूमि स्वामी	537	0.61	0.096	0.00	0.096	निरंक
5	शोभाराम पिता सालिकराम, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	540/1	0.74	0.40	0.00	0.40	निरंक
6	मोतीलाल पिता मंगल, शोभा पिता मंगल, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	540/2	0.35	0.10	0.00	0.10	निरंक
		540/2/2	0.38	0.10	0.00	0.10	निरंक
7	कालू पिता सालिकराम, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	545	0.64	0.015	0.00	0.015	निरंक
8	छोटेलाल कालू जोगीलाल पिता मोतीराम गुलबी मुन्नी पिता मोतीराम नि.ग्राम.भूमि स्वामी	541/1	1.066	1.066	0.00	1.066	निरंक
9	रोमो पिन्दू कालई पुत्री पुनिया, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	541/2	1.27	0.064	0.00	0.064	निरंक
10	आशाराम पिता सोमा, बानू सुकिया पुत्री सोमा, बुधिया विधवा सोमा, तुलसीराम, शंकर, सीताराम पिता झूनू मीराबाई रूपायं पुत्री झूनू नि.ग्राम.भूमि स्वामी	542	2.61	0.064	0.00	0.064	निरंक
11	गंगाराम पिता थाटया, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	543	1.17	0.540	0.00	0.540	निरंक
12	भैयालाल पिता घासीराम, नि.ग्राम.भूमि स्वामी	544/1	2.07	0.013	0.00	0.013	निरंक

अभिषेक सिंह, कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 2018

क्र. 04-अ-82-2017-18.—

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	भौरी	0.199	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेंद्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	भंवरलाल पुत्र धनलाल कुर्मी निवासी ग्राम-भौरी तहसील हुजूर जिला भोपाल	37/2	1.091	0.112
2.	हुकुमचंद पुत्र सुन्दरलाल राठौर निवासी ग्राम-भौरी तहसील हुजूर जिला भोपाल	40-42 43	3.096	0.087
		कुल कित्ता 2	4.187	0.199

चूंकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 06-अ-82-2017-18.—

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मुंगालियाहाट	7.454 हे०	डिप्टी चीफ इंजीनियर/ सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	घुडीलाल आ० सालिगराम	653/2/1/1मेंसे 660	0.520 0.920	0.153 0.093
		कुल-2 किता	1.440	0.246
2.	मेसर्स राजधानी एग्रो प्रोडक्ट्स लि० द्वारा दौलतराम दांगी आ० गंगाराम	653/2/1/2	0.202	0.196
3.	टेकचन्द आ० शीतलदास साबलानी	653/1/क	0.600	0.015
4.	नीलेश ,अमित,कीर्ति,राखी पिता दिलीप खण्डेलवाल, साजिन,हेमन्त, शेशल, राजेन्द्र आ० बृजमोहनखण्डेलवाल	654 655	0.180 0.820	0.143 0.382
		कुल-2 किता	1.000	0.525
5.	घीसीबाई वि० उमरावसिंह	663/6	0.160	0.002

6.	रामबाबू,जितेन्द्र, अरविन्द पुत्रगण दशरथलाल,सम्पतबाई बेवा दशरथलाल	675/1	0.815	0.044
7.	लीलाबाई वि० प्रभुलाल, भंवरजी, बैजनाथ,महेश सुमित्रा बाई, धनकुंवरबाई,रामकुंवरबाई विद्याबाई पुत्र पुत्रियां, भागीरथ,	658	1.310	0.004
		659	0.630	0.366
		कुल -2 किता	1.940	0.370
8.	प्रेमनारायण , कमलेश, सुगनबाई, आ० इमरतलाल, अजुदियाबाई वि० इमरतलाल,राधेश्याम पिता पन्नालाल	671	0.230	0.176
		673	1.010	0.024
		कुल-2 किता	1.240	0.200
9.	हरिओम आ० परमानन्द नि. ग्राम	706	0.070	0.060
		707	0.260	0.208
		कुल-2 किता	0.330	0.268
10.	हरगोविन्द आ० लक्ष्मीनारायण नि० ग्राम	703	0.730	0.212
		704	0.600	0.296
		705	0.180	0.141
		कुल 3 किता	1.510	0.649
11.	राधेकिशन आ० हीरालाल नि० ग्राम	722	0.150	0.070
		723	0.200	0.197
		724	0.750	0.510
		725	0.980	0.154
		726	0.350	0.233
		कुल-6	2.430	1.164
12.	शैतानबाई वि० सालिगराम, लक्ष्मीनारायण, परमानन्द, आ० सालिगराम नि० ग्राम	670	1.300	0.692
		727	0.440	0.094
		कुल-2 किता	1.740	0.786
13.	खुशीलाल आ० रामरतन नि. ग्राम	686	1.200	0.007
14.	लक्ष्मीनारायण आ० सालिगराम नि० ग्राम	687	0.160	0.024
		718	0.710	0.044
		कुल-2	0.870	0.068
15.	रघुवीरसिंह ,बद्रीप्रसाद, गोविन्दप्रसाद आ० बाबूलाल रामकुंवरबाई पति बाबूलाल	672	0.440	0.361

16.	हरिनारायण आ० देवीलाल साहू नि० ग्राम	700	1.520	0.580
		701/1	0.180	0.017
		702/1	0.520	0.404
		कुल 3 किता	2.220	1.001
17.	प्रभूलाल आ० देवीलाल साहू नि. ग्राम	702/2	0.520	0.080
18.	रामबाबू आ० झुन्नूलाल नि. ग्राम	695/1	0.870	0.380
19.	जमनाप्रसाद आ० झुन्नूलाल साहू नि. ग्राम	694	1.010	0.037
		695/2	1.290	0.410
		कुल-2किता	2.300	0.447
20.	यादवेन्द्र आ० राधाकिशन पाटीदार नि० ग्राम	765	1.300	0.470
21.	विकास अग्रवाल आ० रमेशचन्द्र	766	0.890	0.175
	कुल योग	किता-	24.017	7.454

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 06-अ-82-2017-18.—

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.मै)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	झिरनिया	6.449	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

कं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्रीमती मनी वोरा पत्नि महेन्द्र वोरा, महेन्द्र वोरा आ० चम्पालाल नि. भोपाल	632	1.380	0.730
2.	श्रीमती शायरा बानो पति मो० अय्यूब नि. भोपाल	635	0.480	0.215
		637	0.990	0.517
		639	0.370	0.201
		640	0.200	0.200
		641	0.690	0.261
		642	0.470	0.204
		643	0.760	0.461
	कुल 7		3.960	2.059
3.	अशोक कुमार आ० रामलाल यादव पता मुंगालियाहाट	645	0.710	0.289
		646	0.170	0.044
		647	0.220	0.102
		कुल 3	1.100	0.435
4.	कामताप्रसाद आ० रामलाल यादव पता मुंगालियाहाट	648	1.050	0.400
5.	रामलाल आ० कन्हैयालाल पता मुंगालियाहाट	649	1.770	0.659

6.	कैलाश नारायण आ० रामलाल यादव पता मुंगालियाहाट	651/1	1.020	0.026
7.	भंवरजी, रामनारायण, कैलाश आ० कनीराम, संपतबाई वि० कनीराम जाति धोबी पता मुंगालियाहाट	652	0.840	0.221
8.	रामप्रसाद आ० मूलचन्द जाति धोबी पता मुंगालियाहाट	654	0.560	0.510
9.	कालूराम आ० धनलाल जाति धोबी पता मुंगालियाहाट	656/1	0.400	0.227
10.	धनलाल आ० मूलचन्द जाति धोबी पता मुंगालियाहाट	656/34	0.200	0.200
11.	रामरतन आ० उमराव जाति धोबी पता मुंगालियाहाट	658/1/1	0.266	0.020
		659/1	0.410	0.273
		660/1	0.185	0.046
		कुल 3	0.861	0.339
12.	परमानन्द भाटी आ० रामलाल भाटी पता मुंगालियाहाट	769/1	0.554	0.270
		770/1	0.188	0.188
		कुल-2	0.742	0.458
13.	मो० नासिर अन्सारी आ० अ० जब्बार अन्सारी नि. भोपाल	771	0.370	0.171
		772	0.540	0.014
		कुल 2	0.910	0.185
		कुल योग		6.449

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 06-अ-82-2017-18.—

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मीरपुर वीरान	11.412 हे०	डिप्टी चीफ इंजीनियर/ सी-III, वेस्ट सेंट्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1	मो० असगर कुरैशी आ० खलील अहमद, पता 53 इब्राहिमपुरा भोपाल	5 12 15 17 किता-4	0.330 0.090 0.090 0.850 1.360	0.021 0.040 0.090 0.134 0.285
2	रमाकान्त गुप्ता आ० राधेश्याम गुप्ता पता नं. 57 कोतवाली रोड भोपाल	6/1 10/1 47 48/1 50/1 किता-5	1.152 0.300 0.360 0.691 0.034 2.537	0.481 0.008 0.170 0.392 0.034 1.085
3	लीलाकिशन , रूपसिंह आ० वंशीलाल कमरीबाई बेवा वंशीलाल, नन्नीबाई बेवा बटनलाल निवासी भौरी	13	0.200	0.140
4	नेहा चन्द्रवंशी पत्नि अमित चन्द्रवंशी हिस्सा 0.207 हे० श्रीमती फातमुज्जोहरा पत्नि सै० वाजिद अली हि. 0.015हे०	14/1 16 किता-2	0.222 0.330 0.552	0.222 0.113 0.335

5	अमन कुरैशी ,श्रीमती. चीना कुरैशी पुत्रपुत्री इफतेखार अली नि० ईदगाह हिल्स भोपाल	14 / 2	0.058	0.058
6	सन्नो पुत्री टमका जाति कोलाभूति नि. 133 आनंद नगर भोपाल	48 / 2	0.769	0.002
		50 / 2	0.176	0.009
		किता-2	0.945	0.011
7	रघुवीर प्रसाद ,रामस्वरूप,लखन, सुगनबाई,रूपाली बाई पुत्र/पुत्री दुलीचन्द्र निवासी ग्राम भौरी	49	0.100	0.083
8	रामस्वरूप आ० दुलीचन्द्र नि. भौरी	51 / 1 / 1	0.510	0.210
9	मनिन्दर जुनैजा आ० गुरुवचन सिंह जुनैजा पता 13 ईदगाह भोपाल	51 / 1 / 2	0.200	0.160
		51 / 1 / 3	0.130	0.079
		52 / 1 / 1	0.070	0.066
		किता-3	0.400	0.305
10	भैरव पाण्डे आ० डी०डी०पाण्डे	51 / 2	0.840	0.435
11	जगन्नाथ, फूलचंद,लालाराम, अशोक आ० चुन्नीलाल	52 / 2	0.062	0.062
12	रवि गुप्ता आ० के० सी० गुप्ता नि. नई दिल्ली	57	1.260	0.807
		65 / 1	1.810	0.359
		64	0.910	0.343
		63	0.690	0.526
		60	1.580	0.110
		62	0.620	0.181
		किता-6	6.870	2.326
13	इमरतलाल सुखराम, गोपाल प्रसाद, बट्टूलाल पुत्रगण हरचन्द्र नि० भौरी	137	3.600	0.532
		145	1.180	0.530
		144	0.600	0.358
		146	0.400	0.111
		किता-4	5.780	1.531
14	धनलाल, मदनलाल आ० रामसिंह निवासी बैरागढ कलां	237	0.390	0.037
15	हमीरसिंह आ० परसराम निवास- बैरागढकलां	243 / 2	0.120	0.041
		244 / 2 / 1	0.610	0.065
		किता-2	0.730	0.106

212

16	सुशिलाबाई पत्नि ओमप्रकाश नि. बैरागढकलां	244 / 2 / 2	0.150	0.150
		270 / 2	0.670	0.485
		271 / 2	0.030	0.030
		306 / 2	1.970	0.498
		किता-4	2.820	1.163
17	रामसिंह आ० परसराम नि. बैरागढकलां	306 / 3	1.000	0.444
		303	2.710	0.638
		301	0.170	0.107
		किता-3	3.880	1.189
18	हंसियाबाई बेवा मूलचंद, नर्बदा प्रसाद, प्रेमनारायण, रामस्वरूप आ० मूलचंद नि. भौरी	298 / 1	1.320	0.255
19	रामस्वरूप आ० मूलचंद नि. भौरी	300	0.800	0.392
20	कलाबाई बेवा लीलाकिशन, दौलतराम सावित्रीबाई, लक्ष्मीबाई, पुत्र / पुत्री लीलाकिशन नि. भैसाखेडी	302 / 1	0.395	0.210
21	सीताराम, सुरेश, आ० जगन्नाथ, राम गोपाल पुत्र जगराम, जसौदीबाई बेवा बटनलाल, कमलेश, दुलारीबाई आ० बटनलाल	354	0.750	0.098
22	अजय आ० रामसिंह सिसोदिया नि. बैरागढकलां	352	0.250	0.154
		369 / 2	1.030	0.441
		किता-2	1.280	0.595
23	अशोक आ० रामसिंह सिसोदिया नि. बैरागढकलां	369 / 3	1.000	0.273
24	कृष्णानाथ राजमलनाथ ओमप्रकाशनाथ दुलारीबाई पुत्र / पुत्री इमरतलाल हि.3 / 4 कालेखां आ. सरदारखां हि.1 / 4	299	0.110	0.079
25	भागीरथ आ० नर्मदाप्रसाद नि. भौरी	239	0.200	0.149
कुलयोग-		किता-51	33.889	11.412

कि रामगंज मण्डी-नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रसिद्ध किया गया है। जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की वेबसाइट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 06-अ-82-2017-18.—

यूके समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	बरखेडा बोंदर	16.480	डिप्टी चीफ इंजीनियर/ सी-111, वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

कं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्रीमती ममता गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता कुमारी प्राची वर्मा पुत्री एस0के0 वर्मा	36/1	0.845	0.240
2	सीताराम, लक्ष्मण, सीताबाई, तुलसाबाई हि.0.281 हे0 कमलसिंह आ0 मिदवलाल हि. 0.491 हे0 गंगाबाई बेवा हरिप्रसाद, प्रेमनारायण, अवधनारायण, जितेन्द्र कृष्णाबाई, आ0 हरिप्रसाद हि. 0.070 हे0	36/2	0.842	0.740
3	सीताराम, कमलसिंह, सीताबाई, तुलसाबाई हि.0.281 हे0 लक्ष्मण आ0 मिदवलाल हि. 0.491 हे0 गंगाबाई बेवा हरिप्रसाद, प्रेमनारायण, अवधनारायण, जितेन्द्र कृष्णाबाई, आ0 हरिप्रसाद हि. 0.070 हे0	36/3	0.842	0.140
4	कन्हैयालाल आ0 मगनलाल	616/35	0.595	0.390
5	श्रीमती कृष्णाबाई पत्नी प्रेमनारायण	34/1	3.640	0.350
6	रुमाबाई पुत्री जगलकिशोर	33	2.663	1.080
7	श्रीमती ग्यारसीबाई पत्नी अमृतलाल	27/1/1	0.513	0.030
8	श्रीमती ग्यारसीबाई पत्नी अमृतलाल	27/2	1.619	0.460
9	श्रीमती ग्यारसीबाई पत्नी अमृतलाल	28	0.275	0.200
10	श्रीमती ग्यारसीबाई पत्नी अमृतलाल	29/1	0.697	0.020
11	रामसिंह आ0 भंवरजी	59	3.428	0.780
12	संतोष, आ0 भगवानसिंह, गजेन्द्र आ0 रामसिंह	58/2	4.161	1.200
13	भगवानसिंह पिता भंवरजी	56	2.533	0.490
14	लक्ष्मीबाई पुत्री रामदयाल	547/2	3.642	0.200
15	दिनेश कुमार आ0 परमेश्वरदास	555/2/1	2.023	0.340
16	परमेश्वरदास आ0 काबूलसिंह	555/2/2/1/क	1.481	0.500
17	सरदार मोहनसिंह आ0 सरदार प्रतापसिंह (कृषि भिन्न आशय)	555/2/3/2	1.011	0.280
18	श्रीमती शशि विधवा राजू राईल, रोहन, सागर ऋतु ना0 बा0 पुत्र पुत्री राजू व सरं0 माता स्वयं मुन्नीबाई विधवा सोमंत	573/1	1.481	0.670
19	भगवानसिंह, रामसिंह आ0 भंवरजी	54/2	0.344	0.002
20	भगवानसिंह, रामसिंह आ0 भंवर जी	648/54/1/1	1.214	0.435
21	भगवानसिंह, रामसिंह आ0 भंवरजी	648/54/1/3	0.914	0.302
22	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी रामसिंह कुशवाह	648/54/1/2 648/54/1/4	0.991 0.121	0.594 0.121
23	लखनलाल आ. जगन्नाथ	648/54/1/5/ 953	0.081	0.035

24	रवि, कल्लू अजय ना0बा0 आ0 प्रेमनारायण, पुष्पाबाई वेवा प्रेमनारायण वा0 वि0 माता स्वयं	648/54/1/5क	1.202	0.254
25	टीकाराम आ0 जगन्नाथ	648/54/1/5/ख	0.263	0.213
26	लखनलाल आ0 जगन्नाथ	143/2/1/ख	0.809	0.600
27	केलाश आ0 जगन्नाथ	143/2/1/घ	0.931	0.420
28	लक्ष्मीनारायण आ0 अमरसिंह कलाबतीबाई विधवा अमरसिंह	143/2/2	3.157	0.500
29	रंजनी गुप्ता पत्नी रामप्रकाश, केप्टन अभिषेक शर्मा आ0 ए0के0शर्मा, चारु शर्मा पत्नी केप्टन अभिषेक शर्मा, रंजनी दुबे पत्नी ओ0एन0 दुबे हिस्सा 0.394 हे0 हिलवेज कंठकेशन कंपनी प्रा0 लिमि द्वारा डायरेक्टर अजय शर्मा आ0 मोहनलाल शर्मा हिस्सा 1.184	554/1/क, 555/1/1	1.578	0.570
30	कालूराम आ0 प्यारेलाल	554/1/ख, 555/1/1	1.610	0.270
31	इलेगन्स इनफेक्च प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर फरहना सिकन्दर आ0 सिकंदर हफीज खान	554/2/1	1.165	0.110
32	श्रीमती इंदरा सिद्धार्थ पत्नी सिद्धार्थ लाला भूदान स्वामी	554/2/2	2.023	0.630
33	रेखाबाई पुत्री मिश्रीलाल	550/1/1/1/2	0.443	0.235
34	राजवंतसिंह आ0 सरदार सुच्चासिंह	550/1/3/2	0.405	0.075
35	इलेगन्स इनफेक्च प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर फरहना सिकन्दर आ0 सिकंदर हफीज खान कृषि भिन्न आशय	550/2/3/2/1	0.410	0.170
36	इलेगन्स इनफेक्च प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर फरहना सिकन्दर आ0 सिकंदर हफीज खान कृषि भिन्न आशय	550/2/5,553/3	0.930	0.440
37	कन्हैयालाल आ0 मगनलाल	35/1/ख-1	1.607	0.860
38	हरीनाथ आ0 जुगला	35/2/1	1.813	0.250
39	पुनिया बाई पुत्री सुंदरलाल	35/2/2	1.817	0.100
40	विनोद आ0 रामभरोसे, सोनाबाई, सुमंत्रा बाई, भूरियाबाई पुत्रिया रामभरोसे चंद्राबाई वेवा रामभरोसे	569/2/1	1.000	0.600
41	श्रीमती सरवत अमान पत्नी अमान उल्ला खान पुत्री सेययद मोहम्मद हसन हिस्सा 0.328 हे0 मुनीखत इस्माईल आ0 मो0 अख्तर इस्माईल हिस्सा 0.165हे0	651/2/1/2,569	0.396	0.300
42	वीरेन्द्र आ0 कमललाल, ज्योति पुत्री कमललाल	651/569/1/2	0.299	0.170
43	भवानीसिंह आ. खुमानसिंह	651/659/1/2	0.405	0.114
		कुल -44 किता	58.219	16.480

चूंकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 08-अ-82-2017-18.—

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	दौलतपुर ठिकरिया	7.250	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नबाब मोहम्मद आ० अजीज मोहम्मद निवासी भोपाल	66	0.590	0.316
2.	नाजिया हेपतुल्ला, उजमा हुसैन पुत्रियां सै० युसुफ अली निवासी जिला भोपाल	67/2	0.770	0.341
3.	रामनारायण, मांगीलाल नवलसिंह, राजाराम, ओमप्रकाश आ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल, भागवतीबाई वि० रामफूल, कमलसिंह, शिवनारायण, आत्माराम आ० जगन्नाथ, चतरीबाई वि० जगन्नाथ, नि० ग्राम	89/2	3.630	0.060
		101	0.570	0.302
		102/2	0.790	0.267
		108/2	0.140	0.140
		109/2	0.320	0.270
		110	0.660	0.419
		111/1/2	0.390	0.002
	कुल	6.500	1.460	
4.	मांगीलाल, नवलसिंह, राजनारायण, ओम प्रकाश आ० रामफूल, पार्वती बाई पुत्री रामफूल, भागवती बाई बेवा रामफूल, रामनारायण पुत्र दौलतराम	88/1	5.300	0.650

5.	राधेश्याम, लखनलाल, तुलसीराम लालजीराम आ0 रामकिशन नि0 ग्राम	88/2/1	0.630	0.070
6.	रामकिशन आ0 दौलतराम नि0 ग्राम	88/2/2	0.900	0.470
7.	लखनलाल आ0 रामकिशन नि0 ग्राम	100/1/2	2.000	0.740
8.	शिव वाधवा आ0. गालाराम निवासी ग्राम	100/2/1	1.200	0.069
9.	कमल सिंह आ0 जी0 आर0 राजपूत नि0 ग्राम	108/1	0.910	0.249
		109/1	0.200	0.001
		कुल	1.110	0.250
10.	शशिकला पति कमलसिंह राजपूत निवास ग्राम	111/1/1	1.290	0.455
11.	नन्नीबाई पति लक्ष्मीनारायण, विद्याबाई पति परमानन्द नि0 ग्राम	158	1.070	0.642
12.	शैतानबाई वि0 शालिगराम लक्ष्मीनारायण परमानन्द आ0 शालिगराम नि0 ग्राम	164	1.350	0.249
		165	0.350	0.032
		166	0.730	0.001
			2.430	0.282
13.	ओमप्रकाश आ0 हरीदास मेघानी नि0 भोपाल	167	2.320	1.460
		168	0.350	0.045
		कुल	2.670	1.505
		कुल योग	26.460	7.250

चूंकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09-अ-82-2017-18.—

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	परवलिया सडक	24.620	डिप्टी चीफ इंजीनियर/ सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1	महेश, प्रमोद रेखा, ललिता पुत्र पुत्रिया कामता प्रसाद भगवती बाई बेवा कामताप्रसाद	1/1	0.405	0.002
2	प्रमोद कुमार आ० हेमराज ,कृष्णाबाई बेवा हेमराज	2/1, 3	0.809	0.580
3	मिश्रीलाल आ० रामलाल	1/2/ क	1.438	0.400
4	विनीत अग्रवाल आ० अरुण अग्रवाल श्रीमती अंशू अग्रवाल पत्नी सुलभ अग्रवाल भारत भूषण जौहरी आ० चंद्रमोहन जौहरी	1/2/ख/1	0.607	0.100
5	रेखा अग्रवाल विधवा अरुण अग्रवाल	1/3	1.437	0.460
6	शीला देवी सिंहल पत्नी कृष्ण मोहन सिंहल	7/1/1	1.971	0.090
7	श्रीमती आरती खले पत्नी विशाल खले	7/1/3/2/क	0.538	0.538
8	रेखा अग्रवाल विधवा अरुण अग्रवाल	7/1/3/2/ख	0.538	0.500
9	प्रीति अग्रवाल पत्नी भारतभूषण	7/1/3/2/ग	0.543	0.431
10	केशर पाटीदार पत्नी रामस्वरूप पाटीदार	7/1/3/1	1.214	0.201
11	मोहन पाटीदार आ० रामचरण पाटीदार	8/1/1,9, 10/1	0.404	0.390
12	गौरव पाटीदार आ० मोहन पाटीदार	8/1/3, 9,10/1	0.405	0.355
13	कमर अहमद आ० शफीक अहमद	11	0.902	0.100

14	रामेश्वर पाटीदार आ० कुंजीलाल पाटीदार	23/1/1/3/2	0.405	0.350
15	गोरधन आ० शंकरलाल	23/1/1/3/1	0.562	0.420
16	सुमनबाई पुत्री किशनलाल	23/2/क	3.481	0.780
17	गीतालाल, किशनलाल, गोरेलाल, लीलाबाई आत्मज शंकरलाल	21/1/1/1	1.274	0.680
18	सुमनबाई पत्नी के०एम० शर्मा	21/2	4.573	0.900
19	राजेन्द्र कुमार आ० रामनारायण	20/1	0.562	0.335
20	रेशमबाई आ० अमंतीबाई	20/2	0.405	0.255
21	मथुरी बाई पत्नी शोमामल	17/2 18 19	0.668' 0.291 0.129	0.150 0.220 0.110
		किता 3	1.088	0.480
22	अनन्या पुत्री सतीश सक्सेना	22/2	0.030	0.030
23	राहुल आ० रूपकुमार सक्सेना	22/3	0.030	0.030
24	अमित सिंह आ० प्रभाकर सिंह	22/4	0.030	0.030
25	प्रकाश सिंह आ० रघुराज सिंह	22/5	0.030	0.030
26	सरिता सिंह पुत्री स्व० जगदीश सिंह	22/6	0.030	0.030
27	श्रीमती नीलू साहू पत्नी अरविन्द कुमार प्रवीण कुमार आ० ऐनूराम	22/7	0.030	0.030
28	विमलेश्वर आ० रिखदेव, विवेक आ० कमलेश्वर पाण्डेय	22/8	0.030	0.030
29	देवेश आ० महेश मिश्रा	22/9	0.030	0.030
30	राजेश आ० रूपसिंह अहिरवार	22/11	0.030	0.030
31	संजय आ० राजाराम, विजयकुमार आ० लालजी	22/10	0.030	0.030
32	गिरजेन्द्र आ० केदारनारायण, श्रीमती स्वेता पत्नी गिरजेन्द्र	22/12	0.030	0.030
33	शिवम आ० रमेशकुमार खरे	22/13	0.030	0.030
34	सूरजसिंह आ० समरजीतसिंह	22/14	0.030	0.030
35	माधोसिंह आ० प्रीतमसिंह, आदित्य आ० पारसनाथ तिवारी	22/15	0.030	0.030
36	पार्वती पत्नी मंगलदेव	22/16	0.030	0.030
37	सजलसिंह आ० ज्ञानेन्द्रसिंह	22/17	0.030	0.030
38	आकांक्षसिंह पुत्री वी०के०सिंह	22/18	0.030	0.030
39	रामकृष्ण चौरसिया आ० छोटेलाल चौरसिया	22/19	0.030	0.030
40	आशुतोष सिंह आ० चन्द्रिकासिंह	22/20	0.030	0.030
41	गौरव आ० अशोक कुमार सक्सेना	22/21	0.030	0.030
42	प्रशांत आ० राजेन्द्र	22/22	0.030	0.030
43	सत्यमसिंह आ० प्रभातसिंह	22/23	0.030	0.030
44	अभिषेक आ० विभूतिनारायण चतुर्वेदी	22/24	0.030	0.030
45	विनोदकुमार आ० भूषणलाल	22/25	0.030	0.030
46	श्यामसिंह आ० कमलेन्द्रसिंह	22/26	0.030	0.030
47	हाकिमसिंह आ० भगवतप्रसाद	22/27	0.030	0.030
48	अश्विनी सिंह आ० रामनारायण	22/28	0.030	0.030
49	रीतू पत्नी विकमसिंह	22/30	0.030	0.030
50	वंदनासिंह पत्नी संजयसिंह	22/29	0.030	0.030
51	शशिकांत आ० तेजलाल शर्मा	22/31	0.030	0.030
52	श्रीवेन्द्रसिंह आ० भूपेन्द्रसिंह	22/32	0.111	0.111
53	नारायण आ० गोवर्धनदास, चन्द्रमोहन आ० किशनलाल	68/1/3	0.849	0.500
54	नारायण आ० गोवर्धनदास, चन्द्रमोहन आ० किशनलाल	69	1.838	1.100
55	हबीब अहमद आ० अब्दुल गफूर खां	74	0.304	0.150
56	हबीब अहमद आ० अब्दुल गफूर खां	72/6/2, 73, 75 77, 656/78	2.764	0.530

57	चित्तानंद गोयल आ० डी०सी०गोयल, रामदुलारी पत्नी सी०एल० गोयल	72/6/1, 73, 75 77, 656/78	3.064	0.880
58	भैवरजी आ० केवलराम	72/2/1, 73, 75 77, 656/78	1.797	0.375
59	बट्टूलाल आ० केवलराम	72/2/2, 73, 75 77, 656/78	1.797	0.375
60	श्यामलाल आ० केवलराम	72/2/3, 73, 75 77, 656/78 मे से	0.648	0.375
61	बाबूलाल आ० केवलराम	72/2/4, 73, 75 77, 656/78	1.797	0.375
62	अजानसिंह, लालसिंह, तारासिंह, भारतसिंह, आ० कुजीलाल अहस्तांतरणीय शा० पट्टेदार	83/1/1	1.214	0.580
63	फुल्लीबाई वेवा अमरसिंह, जीतमल, रमेश आ० अमरसिंह अहस्तांतरणीय	83/1/2/क	1.214	0.370
64	रामसिंह/धन्नालाल अहस्तांतरणीय	83/1/2/ख	1.214	0.350
65	शमीमबानो पत्नी शफीक मो०, फसलमो० आ० शरीफ मो०	553/2/1/2	0.671	0.065
66	से० वशीर अली आ० हसनअली	553/2/1/1	0.791	0.015
67	कू० तजीन फातमा ना०बा० पुत्री फहीम उल्ला खां सं० फहीम उल्ला	553/2/2	0.405	0.210
68	शमीम बानो पत्नी शफीक मोहम्मद	553/2/3	0.405	0.320
		556/2/1	0.235	0.100
		586/1	0.113	0.113
		586/2	0.089	0.089
		587/1	0.226	0.226
		587/2	0.162	0.114
	किता-6	1.230	0.962	
69	श्रीमती शमीमबानो पत्नी शफीक मो०, फसल मो० आ० शरीफ मो०	553/3	0.809	0.540
70	श्रीमती नाजफर पत्नी तनवीर मो० तनवीर मो० आ० शफीक मो०	645/553	1.784	0.460
71	शफीक मो० आ० उस्मान मो० शमीम बानो पत्नी शफीक मो०	550/2	1.672	0.040
72	तनवीर मो० आ० शफीक मो०	583/1	0.405	0.330
		588/1/1	0.457	0.210
		किता-2	0.862	0.540
73	भगवती वेवा लालजी, हेमराज, प्रेमनारायण, मनोहर, धनसिंह, सदाराम, कल्लू आ० लालजी, मोरबाई, वर्माबाई, बसंतीबाई, धनियाबाई, आत्मज लालजी	583/2/2	1.450	0.085
74	फूलबाई वेवा नन्नूलाल, कमलेश, अशोक, विनोद आ० नन्नूलाल, जसरथ, शिवप्रसाद, फूलसिंह आ० तुलसीराम, संतोष, रवि, बलवंत, रूपाबाई, गंताबाई, सुशीलाबाई आ० नारायणसिंह	583/2/1	0.670	0.235
75	श्रीमती मुस्कान चंदानी पत्नी आनंद चंदानी	585	0.146	0.020
76	राजकुमार पटेल आ० स्व० काशीराम पटेल	581/2	0.202	0.202
77	मेसर्स खिल्लाकालोनाईजर प्रायवेट लिमि० डायरेक्टर आनंद चंदनानी आ० खिल्लूमल चंदनानी	668/589/1	1.315	0.070
78	हरीप्रसाद आ० हीरालाल	579/2/1, 580	0.603	0.050
		589/1	1.631	0.110
			2.234	0.160

79	श्रीमती मुस्कान चंद्रानी पत्नी आनंद चंद्रानी	668/589/2	0.708	0.580
80	नंदकिशोर आ० बाबूलाल	589/2/3	0.834	0.200
81	महेन्द्र दीपक, किरण ना०बा० आ० कमलकिशोर सर० माता स्वयं व रामवती देवा कमलकिशोर	589/2/4	0.405	0.230
82	अचलसिंह आ० रामप्रसाद	600/2/1/क	0.809	0.310
83	छोटीबाई पत्नी अचलसिंह	600/2/2/ख	0.400	0.200
84	श्रीमती ज्योति उमरे पत्नी रविकांत उमरे	600/2/3	0.849	0.300
85	जगदीश सेनी आ० नन्नूलाल सेनी	602/1/1/ख	0.991	0.750
86	श्रीमती कल्पना सेनी पत्नी जगदीश सेनी	602/1/2	0.222	0.090
87	महेन्द्र मीना आ० भगवानसिंह मीना	602/2	2.680	0.040
88	मंसूर अली आ० सेयद मोहसिन अली	615/1/1	0.692	0.002
89	मुनब्वर अली आ० सेयद मोहसिन अली	615/1/3	0.639	0.231
		615/2/2	0.053	0.003
		किता-2	0.692	0.234
90	मुजफ्फर अली ना०बा० पु. मोहसिन अली सर० जेनुनिसा पत्नी मोहसिन अली	615/2/1	0.692	0.472
		615/4/2	0.911	0.060
		किता-2	1.603	0.532
91	मुनब्वर अली आ० सेयद मोहसिन अली	615/4/3	0.911	0.583
92	आहसीन अली आ० सेयद मोहसिन अली अहस्तांतरणीय भूमि	614/2	0.809	0.200
93	जमनाप्रसाद आ० राजाराम कुशवाह	581/3	0.202	0.202
94	रामावतार पाटकर आ० द्वारका प्रसाद पाटकर	581/4	0.202	0.202
95	हनुमान प्रसाद गुप्ता आ० रामबहोरी गुप्ता	581/5/2	0.145	0.145
		579/1/1/2,580	0.057	0.057
		किता-2	0.202	0.202
96	ज्ञानेन्द्र पटेल आ० भैयालाल पटेल	579/1/1/3,580	0.607	0.607
		किता-108	71.823	24.620

चूंकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09-अ-82-2017-18.—

चूक समुचित सरकार का यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	परवलिया सडक	24.620	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-III, वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1	महेश, प्रमोद, रेखा, ललिता पुत्र पुत्रियां कामता प्रसाद भगवती बाई बेवा कामताप्रसाद	1/1	0.405	0.002
2	प्रमोद कुमार आ० हेमराज, कृष्णाबाई बेवा हेमराज	2/1, 3	0.809	0.580
3	मिश्रीलाल आ० रामलाल	1/2/ क	1.438	0.400
4	विनीत अग्रवाल आ० अरुण अग्रवाल श्रीमती अंशू अग्रवाल पत्नी सुलभ अग्रवाल भारत भूषण जौहरी आ० चंद्रमोहन जौहरी	1/2/ख/1	0.607	0.100
5	रेखा अग्रवाल विधवा अरुण अग्रवाल	1/3	1.437	0.460
6	शीला देवी सिंहल पत्नी कृष्ण मोहन सिंहल	7/1/1	1.971	0.090
7	श्रीमती आरती खले पत्नी विशाल खले	7/1/3/2/क	0.538	0.538
8	रेखा अग्रवाल विधवा अरुण अग्रवाल	7/1/3/2/ख	0.538	0.500
9	प्रीति अग्रवाल पत्नी भारतभूषण	7/1/3/2/ग	0.543	0.431
10	केशर पाटीदार पत्नी रामस्वरूप पाटीदार	7/1/3/1	1.214	0.201
11	मोहन पाटीदार आ० रामचरण पाटीदार	8/1/1.9, 10/1	0.404	0.390
12	गौरव पाटीदार आ० मोहन पाटीदार	8/1/3, 9,10/1	0.405	0.355
13	कमर अहमद आ० शफीक अहमद	11	0.902	0.100

14	रामेश्वर पाटीदार आ0 कुंजीलाल पाटीदार	23/1/1/3/2	0.405	0.350
15	गोरखधन आ0 शंकरलाल	23/1/1/3/1	0.562	0.420
16	सुमनबाई पुत्री किशनलाल	23/2/क	3.481	0.780
17	गीतालाल, किशनलाल, गोरलाल, लीलाबाई आत्मज शंकरलाल	21/1/1/1	1.274	0.680
18	सुमनबाई पत्नी के0एम0 शर्मा	21/2	4.573	0.900
19	राजेन्द्र कुमार आ0 रामनारायण	20/1	0.562	0.335
20	रेशमबाई आ0 अमंतीबाई	20/2	0.405	0.255
21	मथुरी बाई पत्नी शोभामल	17/2	0.668	0.150
		18	0.291	0.220
		19	0.129	0.110
		किता 3	1.088	0.480
22	अनन्या पुत्री सतीश सकसेना	22/2	0.030	0.030
23	राहुल आ0 रूपकुमार सकसेना	22/3	0.030	0.030
24	अमित सिंह आ0 प्रभाकर सिंह	22/4	0.030	0.030
25	प्रकाश सिंह आ0 रघुराज सिंह	22/5	0.030	0.030
26	सरिता सिंह पुत्री स्व0 जगदीश सिंह	22/6	0.030	0.030
27	श्रीमती नीलू साहू पत्नी अरविन्द कुमार प्रवीण कुमार आ0 ऐनूराम	22/7	0.030	0.030
28	विमलेश्वर आ0 रिखदेव, विवेक आ0 कमलेश्वर पाण्डेय	22/8	0.030	0.030
29	देवेश आ0 महेश मिश्रा	22/9	0.030	0.030
30	राजेश आ0 रूपसिंह अहिरवार	22/11	0.030	0.030
31	संजय आ0 राजाराम, विजयकुमार आ0 लालजी	22/10	0.030	0.030
32	गिरजेन्द्र आ0 केदारनारायण, श्रीमती स्वता पत्नी गिरजेन्द्र	22/12	0.030	0.030
33	शिवम आ0 रमेशकुमार खरे	22/13	0.030	0.030
34	सूरजसिंह आ0 समरजीतसिंह	22/14	0.030	0.030
35	माधोसिंह आ0 प्रीतमसिंह, आदित्य आ0 पारसनाथ तिवारी	22/15	0.030	0.030
36	पार्वती पत्नी मंगलदेव	22/16	0.030	0.030
37	सजलसिंह आ0 ज्ञानेन्द्रसिंह	22/17	0.030	0.030
38	आकाशसिंह पुत्री वी0के0सिंह	22/18	0.030	0.030
39	रामकृष्ण चौरसिया आ0 छोटलाल चौरसिया	22/19	0.030	0.030
40	आशुतोष सिंह आ0 चन्द्रिकासिंह	22/20	0.030	0.030
41	गौरव आ0 अशोक कुमार सकसेना	22/21	0.030	0.030
42	प्रशांत आ0 राजेन्द्र	22/22	0.030	0.030
43	सत्यमसिंह आ0 प्रभातसिंह	22/23	0.030	0.030
44	अभिषेक आ0 विभूतिनारायण चतुर्वेदी	22/24	0.030	0.030
45	विनोदकुमार आ0 भूषणलाल	22/25	0.030	0.030
46	श्यामसिंह आ0 कमलेन्द्रसिंह	22/26	0.030	0.030
47	हाकिमसिंह आ0 भगवतप्रसाद	22/27	0.030	0.030
48	अश्विनी सिंह आ0 रामनारायण	22/28	0.030	0.030
49	रीतू पत्नी विक्रमसिंह	22/30	0.030	0.030
50	वंदनासिंह पत्नी संजयसिंह	22/29	0.030	0.030
51	शशिकांत आ0 तेजलाल शर्मा	22/31	0.030	0.030
52	शीवेन्द्रसिंह आ0 भूपेन्द्रसिंह	22/32	0.111	0.111
53	नारायण आ0 गोवर्धनदास, चन्द्रमोहन आ0 किशनलाल	68/1/3	0.849	0.500
54	नारायण आ0 गोवर्धनदास, चन्द्रमोहन आ0 किशनलाल	69	1.838	1.100
55	हबीब अहमद आ0 अब्दुल गफूर खां	74	0.304	0.150
56	हबीब अहमद आ0 अब्दुल गफूर खां	72/6/2, 73, 75 77, 656/78	2.764	0.530

57	चिंतानंद गोयल आ० जी०सी०गोयल, शमदुलारी पत्नी सी०एल० गोयल	72/6/1, 73, 75 77, 858/78	3.064	0.880
58	भंवरजी आ० केवलराम	72/2/1, 73, 75 77, 858/78	1.797	0.375
59	बटदलाल आ० केवलराम	72/2/2, 73, 75 77, 858/78	1.797	0.375
60	श्यामलाल आ० केवलराम	72/2/3, 73, 75 77, 858/78 मे से	0.648	0.375
61	बाबूलाल आ० केवलराम	72/2/4, 73, 75 77, 858/78	1.797	0.375
62	अजानसिंह, लालसिंह, तारासिंह, भारतसिंह, आ० कुंजीलाल अहस्तांतरणीय शा० पट्टेदार	83/1/1	1.214	0.580
63	फुल्लीबाई बेवा अमरसिंह, जीतमल, रमेश आ० अमरसिंह अहस्तांतरणीय	83/1/2/क	1.214	0.370
64	रामसिंह/धन्नालाल अहस्तांतरणीय	83/1/2/ख	1.214	0.350
65	शमीमबानो पत्नी शफीक मो० फेसलमो० आ० शरीफ मो०	553/2/1/2	0.671	0.065
66	सो वशीर अली आ० हसनअली	553/2/1/1	0.791	0.015
67	कू० तंजीन फातमा ना०बा० पुत्री फहीम उल्ला खां सो० फहीम उल्ला	553/2/2	0.405	0.210
68	शमीम बानो पत्नी शफीक मोहम्मद	553/2/3 556/2/1 586/1 586/2 587/1 587/2 किता-6	0.405 0.235 0.113 0.089 0.226 0.162 1.230	0.320 0.100 0.113 0.089 0.226 0.114 0.962
69	श्रीमती शमीमबानो पत्नी शफीक मो०, फेसल मो० आ० शरीफ मो०	553/3	0.809	0.540
70	श्रीमती नाजफर पत्नी तनवीर मो० तनवीर मो० आ० शफीक मो०	645/553	1.784	0.460
71	शफीक मो० आ० उस्मान मो० शमीम बानो पत्नी शफीक मो०	550/2	1.672	0.040
72	तनवीर मो० आ० शफीक मो०	583/1 588/1/1 किता-2	0.405 0.457 0.862	0.330 0.210 0.540
73	भंगवती बेवा लालजी, हेमराज, प्रेमनारायण, मनोहर, धनसिंह, सदाराम, कल्लू आ० लालजी, मोरबाई, वर्माबाई, बसंतीबाई, धनियाबाई, आत्मज लालजी	583/2/2	1.450	0.085
74	फूलबाई बेवा नन्लाल, कमलेश, अशोक, विनोद आ० नन्लाल, जसरथ, शिवप्रसाद, फूलसिंह आ० तुलसीराम, संतोष, रवि, बलवंत, रूपबाई, गंताबाई, सुशीलाबाई आ० नारायणसिंह	583/2/1	0.670	0.235
75	श्रीमती मुस्कान चंदानी पत्नी आनंद चंदानी	585	0.146	0.020
76	राजकुमार पटेल आ० स्व० काशीराम पटेल	581/2	0.202	0.202
77	मेसर्स खिल्लाकालोनाईजर प्रायवेट लिमि० डायरेक्टर आनंद चंदनानी आ० खिल्लूमल चंदनानी	688/589/1	1.315	0.070
78	हरीप्रसाद आ० हीरालाल	579/2/1, 580 589/1	0.603 1.631 2.234	0.050 0.110 0.160

79	श्रीमती मुस्कान चंडानी पत्नी आनंद चंदानी	688/589/2	0.708	0.580
80	नंदकिशोर आ0 बाबूलाल	589/2/3	0.834	0.200
81	महेन्द्र दीपक, किरण ना0बा0 आ0 कमलकिशोर सर0 माता स्वयं व रामवती वेवा कमलकिशोर	589/2/4	0.405	0.230
82	अचलसिंह आ0 रामप्रसाद	600/2/1/क	0.809	0.310
83	छोटीबाई पत्नी अचलसिंह	600/2/2/ख	0.400	0.200
84	श्रीमती ज्योति उमरे पत्नी रविकांत उमरे	600/2/3	0.849	0.300
85	जगदीश सेनी आ0 नन्नुलाल सेनी	602/1/1/ख	0.991	0.750
86	श्रीमती कल्पना सेनी पत्नी जगदीश सेनी	602/1/2	0.222	0.090
87	महेन्द्र मीना आ0 भगवानसिंह मीना	602/2	2.680	0.040
88	मंसूर अली आ0 सेयद मोहसिन अली	615/1/1	0.692	0.002
89	मुनब्वर अली आ0 सेयद मोहसिन अली	615/1/3 615/2/2 किता-2	0.639 0.053 0.692	0.231 0.003 0.234
90	मुजफ्फर अली ना0बा0 पु. मोहसिन अली सर0 जेनुनिसा पत्नी मोहसिन अली	615/2/1 615/4/2 किता-2	0.692 0.911 1.603	0.472 0.060 0.532
91	मुनब्वर अली आ0 सेयद मोहसिन अली	615/4/3	0.911	0.583
92	आहसीन अली आ0 सेयद मोहसिन अली अहस्तांतरणीय भूमि	614/2	0.809	0.200
93	जमनाप्रसाद आ0 राजाराम कुशवाह	581/3	0.202	0.202
94	रामावतार पाटकर आ0 द्वारका प्रसाद पाटकर	581/4	0.202	0.202
95	हनुमान प्रसाद गुप्ता आ0 रामबहोरी गुप्ता	581/5/2 579/1/1/2,580 किता-2	0.145 0.057 0.202	0.145 0.057 0.202
96	ज्ञानेन्द्र पटेल आ0 मैयालाल पटेल	579/1/1/3,580 किता-108	0.607 71.823	0.607 24.620

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 21 मई 2018

क्र. 1225-भू-अर्जन-2018-प्र.क्र.अ-82-2017-18.—

अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गड़ावदिया तालाब योजना तहसील रावटी जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों को निजी भूमि-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-12-2/2014/7/शा 2ए/20 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अघोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं.	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		परिस्पष्टता का विवरण
			सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6
1	नंदा पिता गोबा व काबुडी बेवा गोबा जाति भील डामर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101 102 131 144 138/1578	0.06 0.10 -- -- --	-- -- 0.03 0.03 0.03	
2	धनजी पिता जवरचंद जाति भील गामड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/1 128/1	0.49 --	-- 0.05	
3	कानजी पिता जवरचंद जाति भील गामड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/2 128/2	0.49 --	-- 0.05	
4	जवरचंद पिता रामा जाति गामड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129/3 135 153 128/3	-- 0.39 0.26 --	0.14 -- -- 0.05	

क्रं.	कृषक का नाम	सर्व क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6
5	भैरा पिता मोती जाति भील गामड निवासी ग्राम भूमि स्वामी	130	0.30	--	
		133	0.31	--	
		136	0.31	--	
		127	0.05	--	
		114	0.07	--	
6	हरचंद्र पिता रामा जाति भील गामड भूमि स्वामी	132	0.20	--	
		134	0.39	--	
		138	--	0.06	
		115	--	0.03	
7	दयाराम पिता कचरा 1/2 भाग भूमि स्वामी बडुडा पिता कनीराम जाति भील खराडी 1/2 भाग भूमि स्वामी	139	--	0.92	
		142	0.17	--	
		143	0.02	--	
8	दयाराम पिता कचरा जाति भील खराडी भूमि स्वामी	141	0.20	--	
9	रमेश कैलाश पिता कालू पार्वती बा गौरव नाबा पिता लूजा सर माता देवा बाई व देवा बाई देवा बे लुजा रामकन्या कांता रेखा ममता धापू सभी नाबा माता कालीबाई व काली बाई बेवा नाथू भील निवासी ग्राम	162	0.80	--	
10	भरतलाल पिता फूला जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	161	--	0.26	
		158	0.10	--	
11	नानूडी पिता पून्या जाति भील डामर निवासी भूमि स्वामी	117	0.07	--	
12	संतोषी पिता नानुराम जाति भील डामर निवासी भूमि स्वामी	76	--	0.02	
13	बददा पिता कालु, संतोष, लाहलिंग पिता थावरा व सोहनबाई बेवा थावरा जाति वसुन्या निवासी भूमि स्वामी	78	--	0.06	

क्रं.	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6
14	रामचंद्र पिता बाबर जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	62	--	0.13	
15	मानसिंह पिता बाबर जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	63	--	0.035	
16	अमर पिता बाबर जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	64	--	0.035	
17	जगदीश पिता बाबर जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	65	--	0.02	
18	दिनेश, पप्पू, देवीसिंग पिता हेमराज व नन्दी बेवा हेमराज जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	66	--	0.035	
19	वीरसिंग पिता सुखला व चपलीबाई बेवा सुखला जाति भील चारेल निवासी भूमि स्वामी	390	--	0.07	
20	बदुडी पिता हकरू जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	394	--	0.035	
21	भूरीबाई पिता हकरू जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	393	--	0.035	
22	हुरजी पिता धन्ना जाति भील निवासी भूमि स्वामी	392	--	0.07	
23	रूपा पिता नाथु, जालु पिता दूदा जाति भील निवासी भूमि स्वामी	433	--	0.07	
24	कालु पिता कानजी भील चारेल निवासी भूमि स्वामी	432	--	0.05	
25	हुरतान पिता गंगाराम जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	448/2	--	0.05	

..4..

क्रं.	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6
26	मंगली, नानुडी पिता बीजल निवासी भूमि स्वामी	446/2 459/2 460/2	-- -- --	0.05 0.01 0.10	
27	रामचंद्र पिता मांगु जाति भील गरवाल निवासी भूमि स्वामी	462	--	0.03	
28	बालकी बेवा होमला, भेरकी पिता होमला दत्तक पुत्र नंदिया पिता होमला	199	--	0.15	
29	राजु पिता गंगाराम जाति भील गरवाल	448/1 447	-- 0.05	0.02 --	
30	जवरा बाबुलाल पिता थावरा जाति भील	430	--	0.02	
31	कालु पिता कोदर जाति भील	295 316	-- --	0.15 0.10	
32	नानूराम पिता वरदा जाति भील	157	--	0.06	
33	तुलसीराम पिता कोदर जाति भील	156 154	0.20 --	-- 0.10	
34	मड़िया पिता गलिया, गंगा बेवा गलिया जाति भील	298	0.02	--	
	योग -		5.050	3.155	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 मई 2018

प्र. क्र. 3867-अ-82-2017-18

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम **झाबडी** के लिए जूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि :- ग्राम डाबडी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	देवराजसिंह, चैनसिंह, विजयसिंह पिता नारायणसिंह, रेशमकुंवर बैवा नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	323/3 357 348/2/2	0.084 0.645 0.087	0.084 ✓ 0.600 ✓ 0.035 ✓
	योग	3	0.816	0.719 ✓
2	विक्रमसिंह पिता दुरजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	255/2/2	0.227	0.060 ✓
	योग	1	0.227	0.060 ✓
3	प्रेमसिंह पिता दुरजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	255/2/3	0.227	0.140 ✓
	योग	2	0.227	0.140 ✓
4	यशवंतसिंह, धमेन्द्रसिंह पिता कृष्णपालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	268/1 278 279 282 283 351 350	1.265 0.240 0.354 0.696 0.784 0.582 0.531	0.380 ✓ 0.240 ✓ 0.354 ✓ 0.496 ✓ 0.024 ✓ 0.059 ✓ 0.186 ✓
	योग	7	4.452	1.739 ✓
5	कृष्णपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	268/2 273 274 275 281 333/2 337 344/1/1 347/2 335/1/1	1.542 0.620 0.164 0.164 0.126 1.074 0.759 0.052 0.316 1.007	0.463 ✓ 0.248 ✓ 0.140 ✓ 0.164 ✓ 0.126 ✓ 1.074 ✓ 0.759 ✓ 0.052 ✓ 0.316 ✓ 1.007 ✓
	योग	10	5.824	4.349

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
6	प्रभूनाथसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	269/1 335/1/2 340/1 345/1 353 334/384 343/1	2.528 0.276 0.139 0.064 0.063 0.681 0.075	2.528 ✓ 0.276 ✓ 0.139 ✓ 0.064 ✓ 0.005 ✓ 0.681 ✓ 0.075 ✓
	योग	7	3.826	3.768 ✓
7	देवराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	269/2 277 348/2/1	1.265 0.443 0.292	1.265 ✓ 0.443 ✓ 0.292 ✓
	योग	3	2.000	2.000 ✓
8	मूलकुंवर बैवा भगवानसिंह, सरकुंवर, लालीकुंवर पिता भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	271	0.076	0.049 ✓
	योग	2	0.076	0.049 ✓
9	लक्ष्मणसिंह पिता हमीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	312/1 329/2 341/1 269/388/2 325	0.046 0.085 0.251 0.046 0.379	0.046 ✓ 0.085 ✓ 0.251 ✓ 0.046 ✓ 0.379 ✓
	योग	5	0.807	0.807 ✓
10	अभयसिंह पिता हमीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	312/2 327 269/388/1 269/388/3 328/2	0.047 0.114 0.046 0.047 0.350	0.047 ✓ 0.114 ✓ 0.046 ✓ 0.047 ✓ 0.350 ✓
	योग	5	0.604	0.604 ✓
11	मनोहरसिंह पिता नाथूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	276/1 358/2/1	0.133 0.171	0.133 ✓ 0.171 ✓
	योग	2	0.304	0.304 ✓
12	चन्द्रसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	276/2 358/1 359/1	0.133 0.341 0.500	0.133 ✓ 0.341 ✓ 0.050 ✓
	योग	3	0.974	0.524 ✓
13	मेहरबानसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	280	0.291	0.291 ✓
	योग	1	0.291	0.291 ✓
14	जसरथसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	288/2 295/390	1.101 0.898	0.500 ✓ 0.898 ✓
	योग	2	1.999	1.398 ✓
15	बद्रीलाल पिता मुन्नालाल जाति रैबारी नि.ग्राम भू-स्वामी	294	0.493	0.099 ✓
	योग	1	0.493	0.099 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
16	अर्जुनसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	295/1 320/1	2.038 0.181	2.038' 0.181'
	योग	2	2.219	2.219'
17	महावीरसिंह, बलरामसिंह पिता सुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	295/2	1.041	1.041'
	योग	1	1.041	1.041'
18	धर्मेन्द्रसिंह, जितेन्द्रसिंह पिता जसरथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	295/3 320/3	0.048 0.181	0.048' 0.181'
	योग	2	0.229	0.229'
19	भंवरलाल पिता तंवरलाल, नन्दकुंवर बैवा तंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	296 302 309	0.316 0.190 0.291	0.158' 0.190' 0.291'
	योग	3	0.797	0.639'
20	नन्दलाल, गजराजसिंह, गोपालसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	299 310/1	0.481 0.105	0.481' 0.105'
	योग	2	0.586	0.586'
21	देवजी पिता पन्नालाल जाति रैबारी नि.ग्राम माथन्या भू-स्वामी	298	0.354	0.213'
	योग	1	0.354	0.213'
22	गोरधनसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	300/1 301/1 329/1/1	0.234 0.108 0.696	0.234' 0.108' 0.696'
	योग	3	1.038	1.038'
23	प्रतापसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	300/2 301/2	0.234 0.107	0.234' 0.107'
	योग	2	0.341	0.341'
24	गोकुलसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	303 304 306	0.089 0.190 0.266	0.089' 0.190' 0.266'
	योग	3	0.545	0.545'
25	रायसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	305	0.304	0.304'
	योग	1	0.304	0.304'
26	कुमेरसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	307/1 308/1	0.025 0.072	0.025' 0.072'
	योग	2	0.097	0.097'
27	बालूसिंह पिता बहादरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	307/2 308/2	0.025 0.072	0.025' 0.072'
	योग	2	0.097	0.097'
28	धीरपसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	307/3 308/3	0.026 0.071	0.026' 0.071'
	योग	2	0.097	0.097'

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
29	मूलसिंह, कालूसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. गाम भू-स्वामी	310/2	0.105	0.105
	योग	1	0.105	0.105
30	प्रभूनाथसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	310/3/1	0.053	0.053
	योग	1	0.053	0.053
31	धनसिंह पिता हमीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	312/3 326 329/4	0.046 0.304 0.160	0.046 0.304 0.160
	योग	3	0.510	0.510
32	देवराजसिंह पिता शिवराजसिंह नि.ग्राम भू-स्वामी	320/2	0.182	0.182
	योग	1	0.182	0.182
33	रघुराजसिंह पिता नन्दलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	313/1/2 314/2	0.126 0.159	0.126 0.159
	योग	2	0.285	0.285
34	सुरेन्द्रसिंह पिता तंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	313/2	0.126	0.126
	योग	1	0.126	0.126
35	विक्रमसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	313/3 342/3	0.127 0.320	0.127 0.320
	योग	2	0.447	0.447
36	मोहनसिंह पिता भंवरलाल, पानकुंवर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	313/4 342/2	0.127 0.320	0.127 0.320
	योग	2	0.447	0.447
37	शिवराजसिंह पिता नन्दलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	314/1 313/1/1	0.284 0.253	0.284 0.253
	योग	2	0.537	0.537
38	वृहताकार सोसायटी समिति सुस्तानी बांसखेड़ा भू-स्वामी	315 349	1.417 3.984	1.417 2.191
	योग	2	5.401	3.608
39	तंवरलाल पिता मानसिंह हि.1/4, प्रभूनाथसिंह, भारतसिंह पिता मानसिंह, कुमरसिंह, धीरपसिंह पिता उम्मेदसिंह, नन्दलाल, गजराजसिंह, गोपालसिंह पिता प्रह्लादसिंह, शंकरसिंह, कालूसिंह, मूलसिंह पिता मोतीसिंह, बालूसिंह पिता बहादुरसिंह हि.1/4 गोकुलसिंह, मेहरबानसिंह, रायसिंह पिता बनेसिंह हि.1/4 हेमकुंवर बेवा जगन्नाथसिंह हि.1/4 जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	316	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089
40	गोविन्दसिंह पिता अभयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	319 321/2 322 332 260/2	0.063 0.114 0.076 0.253 0.088	0.063 0.114 0.076 0.253 0.009
	योग	5	0.594	0.515

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
41	गजराजसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	321/1 328/1/2 329/3/2 330 341/2 347/3 331/1	0.164 0.310 0.313 0.190 0.177 0.144 0.063	0.164 ✓ 0.310 ✓ 0.313 ✓ 0.190 ✓ 0.177 ✓ 0.144 ✓ 0.063 ✓
	योग	7	1.361	1.361 ✓
42	विजयपालसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	323/1 324/1	0.988 1.012	0.988 ✓ 1.012 ✓
	योग	2	2.000	2.000 ✓
43	चेनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	323/2 324/2	0.989 1.011	0.989 ✓ 1.011 ✓
	योग	2	2.000	2.000 ✓
44	गुलाबसिंह, गजराजसिंह, लालीकुंवर पिता भगवानसिंह, भूलकुंवर बैवा भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	328/1/1	0.200	0.200 ✓
	योग	1	0.200	0.200 ✓
45	प्रतापसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	329/1/2	0.695	0.695 ✓
	योग	1	0.695	0.695 ✓
46	गुलाबसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	329/3/1 331/2	0.567 0.418	0.567 ✓ 0.418 ✓
	योग	2	0.985	0.985 ✓
47	कमलाकुंवर पति कमलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	333/1	0.759	0.759 ✓
	योग	1	0.759	0.759 ✓
48	बनेसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	334/1	0.729	0.729 ✓
	योग	1	0.729	0.729 ✓
49	नरेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	334/2	0.729	0.729 ✓
	योग	1	0.729	0.729 ✓
50	नारायणसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	334/3 369/4	0.729 1.692	0.729 ✓ 0.253 ✓
	योग	2	2.421	0.982 ✓
51	झूगरसिंह, कृष्णपालसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	335/2 369/1/1	0.500 2.023	0.500 ✓ 2.023 ✓
	योग	2	2.523	2.523 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
52	यशवन्तसिंह, धमेन्द्रसिंह पिता कृष्णपालसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	336 348/1	0.304 0.633	0.304 ✓ 0.633 ✓
	योग	2	0.937	0.937 ✓
53	भंवरलाल, राजेन्द्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह, रामकुंवर बैवा लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	338 347/1/3	0.443 0.366	0.443 ✓ 0.366 ✓
	योग	2	0.809	0.809 ✓
54	रामसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	339 347/1/1	0.291 0.371	0.291 ✓ 0.371 ✓
	योग	2	0.662	0.662 ✓
55	प्रभूनाथसिंह पिता घीसालाल, मोहनसिंह, कुशीराज ना. बा. पिता भगवानसिंह सरपरस्त प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	340/2 343/2 345/2 344/1/2	0.253 0.380 0.379 0.126	0.253 ✓ 0.380 ✓ 0.379 ✓ 0.126 ✓
	योग	4	1.138	1.138 ✓
56	रूपसिंह पिता तंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	342/1	0.321	0.321 ✓
	योग	1	0.321	0.321
57	हिम्मतसिंह, कृष्णपालसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह, धनकुंवर बैवा रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	344/2 347/1/2 329/375	0.126 0.371 0.367	0.126 ✓ 0.371 ✓ 0.367 ✓
	योग	3	0.864	0.864 ✓
58	विजयसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	346	0.202	0.202 ✓
	योग	1	0.202	0.202 ✓
59	प्रेमकुंवर पति भंवरलाल, तंवरलाल, सुरेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	358/2/2	0.170	0.170 ✓
	योग	1	0.170	0.170 ✓
60	विजयसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	362	0.240	0.012 ✓
	योग	1	0.240	0.012 ✓
61	जसरथसिंह पिता मिट्ठूलाल, रेशमबाई पति जसरथ जाति बिरजा नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/2/1	0.875	0.875 ✓
	योग	1	0.875	0.875 ✓
62	उमराव, शिवलाल, जगदीश पिता राधाकिशन जाति चमार नि.गाम भू-स्वामी	372/1/18	0.500	0.500 ✓
	योग	1	0.500	0.500 ✓
63	बापूलाल पिता बंशीलाल जाति चमार नि.गाम भू-स्वामी	372/1/19	0.500	0.500 ✓
	योग	1	0.500	0.500 ✓
64	बाबूलाल पिता नन्तूलाल, लाड़बाई पति बाबूलाल जाति चमार नि.गाम भू-स्वामी	372/1/20	0.500	0.150 ✓
	योग	1	0.500	0.150 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
65	शिवनारायण पिता राधाकिशन जाति चमार नि.गाम भू-स्वामी	228/1/2	0.125	0.070 ✓
	योग	1	0.125	0.070 ✓
66	भारतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	310/3/2	0.029	0.029 ✓
		311	0.025	0.025 ✓
	योग	2	0.054	0.054 ✓
67	भूर कुंवर पति प्रमुनाथ जाति राजपूत नि.गाम भू-स्वामी	369/1/2	2.301	2.301 ✓
	योग	1	2.301	2.301 ✓
68	धनकुंवर पति नारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/2/2	0.875	0.875 ✓
	योग	1	0.875	0.875 ✓
69	बल्देव पिता मोतीलाल, धापूबाई पति बल्देव जाति बरजा नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/9	0.750	0.100 ✓
	योग	1	0.750	0.100 ✓
70	पवन, अभिषेक पिता रामप्रसाद, शान्तिबाई पति रामप्रसाद जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/12	0.500	0.050 ✓
	योग	1	0.500	0.050 ✓
71	सौरमबाई बेवा रतनलाल, मोहन, कुसुमबाई, सुशीलाबाई ना.बा. रतनलाल स.मा. सौरमबाई जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/17	0.500	0.050 ✓
	योग	1	0.500	0.050 ✓
72	बीरम पिता देवचंद, कलाबाई पति बीरम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/16	0.500	0.100 ✓
	योग	1	0.500	0.100 ✓
73	अरुण पिता गोरधन, सुन्दरबाई बेवा प्रभुलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	372/1/13	0.500	0.050 ✓
	योग	1	0.500	0.050 ✓
74	रामसिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	288/1	1.264	0.506 ✓
	योग	1	1.264	0.506 ✓
75	राजेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह नि.ग्राम भू-स्वामी	260/1	0.064	0.006 ✓
	योग	1	0.064	0.006 ✓
	कुलयोग :-	158	68.994	55.466 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3871-अ-82-2017-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम **नाईहेड़ा** के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम नाईहेड़ा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ, भेरूसिंह, नारायणसिंह, गोरखनसिंह पिता नानूराम मु. पानीबाई बेवा नानूराम जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	647	0.151	0.050 ✓
	योग	1	0.151	0.050 ✓
2	रामसिंह पिता अमानसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	4/1/2/2	0.954	0.954
	योग	1	0.954	0.954 ✓
3	गंगा बाई पति छोटेलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	4/2	2.940	2.940
	योग	1	2.940	2.940 ✓
4	प्रभूलाल पिता स्वरूप जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	8	1.366	1.366
	योग	1	1.366	1.366 ✓
5	भूपेन्द्रसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	15	1.682	1.682
	योग	1	1.682	1.682 ✓
6	शिवनारायण, गोकुल पिता दुलीचन्द, गीताबाई बेवा दुलीचन्द जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	18/2 60 298/2	0.282 1.160 0.029	0.282 ✓ 1.160 ✓ 0.029 ✓
	योग	3	1.471	1.471 ✓
7	मांगीलाल पिता खुबा, गोकुल, कैलाश पिता भेरू, सिद्धनाथ पिता हरचन्द जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	19/1	0.266	0.023 ✓
	योग	1	0.266	0.023 ✓
8	कचनबाई पति प्रभूलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	22/2	0.016	0.016
	योग	1	0.016	0.016 ✓
9	रामप्रसाद पिता रूगनाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	23	0.036	0.036
	योग	1	0.036	0.036 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
10	श्रीराम जानकी मन्दिर व्यवस्थापक श्रीमान कलेक्टर महोदय. राजगढ़	25	0.911	0.911 ✓
		138	0.139	0.139 ✓
	योग	2	1.050	1.050 ✓
11	मांगीलाल पिता हीरालाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	27/3	0.819	0.037 ✓
		171	0.215	0.215 ✓
		586/3	0.304	0.152 ✓
	योग	3	1.338	0.404 ✓
12	रामसिंह पिता गोकुलसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	28/2	0.061	0.061 ✓
	योग	1	0.061	0.061 ✓
13	प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	29	0.506	0.506 ✓
		35/1	0.095	0.095 ✓
	योग	2	0.601	0.601 ✓
14	अमरसिंह, रायसिंह, पिता गोकुलसिंह, सोदरबाई, पिता गोकुलसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	35/2	0.095	0.095 ✓
		234	0.031	0.031 ✓
		235	0.258	0.258 ✓
		336	0.021	0.021 ✓
	योग	4	0.405	0.405 ✓
15	बापूलाल पिता घीसालाल, मांगीबाई पति बापूलाल जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	55/8	0.492	0.042 ✓
	योग	1	0.492	0.042 ✓
16	सिद्धनाथ पिता गुलाब, धापूबाई पति सिद्धनाथ जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	55/13	0.500	0.400 ✓
	योग	1	0.500	0.400 ✓
17	रायसिंह पिता गुलाब, नर्मदाबाई पति रामसिंह जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	125/1/5	0.014	0.014 ✓
	योग	1	0.014	0.014 ✓
18	अमरसिंह पिता रूगनाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	371/1	0.034	0.034 ✓
	योग	1	0.034	0.034 ✓
19	रामप्रसाद पिता रूगनाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	371/2	0.057	0.057 ✓
	योग	1	0.057	0.057 ✓
20	देवीलाल पिता हरिसिंह जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	58	0.910	0.101 ✓
	योग	1	0.910	0.101 ✓
21	दिनेश कुमार पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	62	0.836	0.836 ✓
		480	0.025	0.025 ✓
	योग	2	0.861	0.861 ✓
22	नरवरसिंह पिता गंगाधर जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	63/4	0.304	0.304 ✓
		590	1.581	1.581 ✓
	योग	2	1.885	1.885 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
23	हीरालाल पिता गंगाधर जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	63/5	0.727	0.727 ✓
	योग	1	0.727	0.727 ✓
24	हेमराज पिता हीरालाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	652/1	0.360	0.288 ✓
	योग	1	0.360	0.288 ✓
25	यशवंतसिंह पिता हरीसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	91 384 135	0.748 0.022 0.038	0.209 ✓ 0.022 ✓ 0.038 ✓
	योग	3	0.808	0.269 ✓
26	रामनाथसिंह पिता भागमल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	94/1	0.081	0.081 ✓
	योग	1	0.081	0.081 ✓
27	जानूराम पिम्बाबरू हरिसिंह प्रभूलाल विणेशिवजी विहारलाल रमेश सिंह पिंजालम रघुनाथ घोसा पिं कालू रामचंद्र पिता मेबाए राजेश रमेश पिं रोडजी माधुपिं हरलाल कमलाबाई पिता पन्नाए रोडजीए माधु पिता हरलाल शिवनाथ पिता हरचंदए मांगीलाल पिता पन्ना कमलाबाई पिता पन्नाए रोडजीए माधु पिता हरलाल शिवनाथ पिता हरचंदए मांगीलाल पिता पन्ना रमेश पिता खुबाए मांगीलाल पिता हरलाल हरकूबरी बेबा खीमा जाति चमार भूमि स्वामी	94/2/1	0.417	0.417 ✓
	योग	1	0.417	0.417 ✓
28	लाखनसिंह पिता भागमल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	96	0.512	0.512 ✓
	योग	1	0.512	0.512 ✓
29	डालूबाई, मंजूबाई पिता लक्ष्मण जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	97	0.727	0.727 ✓
	योग	1	0.727	0.727 ✓
30	रामनाथसिंह, लाखनसिंह पिता भागमल, दुर्गाबाई बेवा भागमल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	99 100 275 279 335 311	0.354 1.265 0.292 0.357 0.374 0.342	0.018 ✓ 0.063 ✓ 0.096 ✓ 0.079 ✓ 0.374 ✓ 0.342 ✓
	योग	6	2.984	0.972
31	मानसिंह पिता चैनसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	107/2	0.239	0.239 ✓
	योग	1	0.239	0.239 ✓
32	कमलाबाई पिता हरलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	108/2	0.167	0.167 ✓
	योग	1	0.167	0.167 ✓
33	चन्द्रसिंह पिता मोहनलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	108/3	0.238	0.238 ✓
	योग	1	0.238	0.238 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
34	सोदानसिंह पिता नन्दराम जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	115	0.064	0.064
	योग	1	0.064	0.064
35	प्रभूलाल पिता किशोर जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी	125/1/1	0.020	0.020
	योग	1	0.020	0.020
36	कालूराम पिता मदनलाल जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	125/1/2	0.050	0.050
	योग	1	0.050	0.050
37	शिवनारायण पिता गोरधन, सुगनबाई पति शिवनारायण जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	125/1/3	0.020	0.020
	योग	1	0.020	0.020
38	घीसालाल पिता बापूलाल, सन्तोषबाई पति घीसालाल जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	125/1/4	0.020	0.020
	योग	1	0.020	0.020
39	गुलाब पिता भीमा जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	143	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
40	सुखियाबाई पति मोड़सिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	276	0.341	0.171
	योग	1	0.341	0.171
41	सुमेरसिंह पिता दरियावसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/1/1/1	0.755	0.755
	योग	1	0.755	0.755
42	नारायण पिता नन्दराम जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/2/1	1.268	1.268
	योग	1	1.268	1.268
43	नारायण पिता नन्दराम, धापूबाई बेवा नन्दराम, हीरालाल, सूरज, सीताराम, संजूबाई, नानीबाई ना.बा. पिता भंवरलाल स.मा. शैतानबाई बेवा भंवरलाल पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/2/2	0.303	0.303
	योग	1	0.303	0.303
44	हीरालाल पिता भंवरलाल, सूरज, सीताराम, संजूबाई, नानीबाई पुत्री भंवरलाल जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/2/3	0.607	0.607
	योग	1	0.607	0.607
45	घीसालाल पिता नाथूलाल जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/8	0.010	0.010
	योग	1	0.010	0.010
46	नारायण पिता मोहनलाल, प्रेमबाई पति नारायण जाति पारदी नि.ग्राम भू-स्वामी	173/12/3	0.250	0.250
	योग	1	0.250	0.250
47	देवकरण, शिवराजसिंह पिता विष्णुप्रसाद, शारदाबाई, द्रोपदीबाई पिता विष्णुप्रसाद जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	182/2 183 184	0.095 0.116 1.964	0.095 0.116 1.964
	योग	3	2.175	2.175

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
48	रोड़जी, माधू पिता हरलाल, पार्वतीबाई बैवा हरलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	196	0.038	0.038 ✓
	योग	1	0.038	0.038 ✓
49	हरिसिंह पिता रामा जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	200/2 652/2	0.019 0.361	0.019 ✓ 0.181 ✓
	योग	2	0.380	0.200 ✓
50	गोपालसिंह दत्तक पुत्र देवचंद जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	202	0.114	0.114 ✓
	योग	1	0.114	0.114 ✓
51	भंवरसिंह, गीताबाई, जमनाबाई, रेखाबाई पिता गोरेलाल, घोसीबाई, कमलाबाई बैवा गोरेलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	217	0.025	0.025 ✓
	योग	1	0.025	0.025 ✓
52	गुलाबबाई, सूरजबाई पिता ईसर जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	586/2	0.304	0.152 ✓
	योग	1	0.304	0.152 ✓
53	भवानीसिंह पिता उम्मेदराम जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	233	0.202	0.202 ✓
	योग	1	0.202	0.202 ✓
54	दोलतसिंह पिता भावसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	240/1	0.173	0.173 ✓
	योग	1	0.173	0.173 ✓
55	धीसालाल, नन्दराम, चन्द्रसिंह पिता मोहनलाल, पानुबाई, मकू, जसूबाई पुत्रीयां मोहनलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	257 292 587	0.076 0.152 0.442	0.076 ✓ 0.152 ✓ 0.371 ✓
	योग	3	0.670	0.599 ✓
56	दिनेश कुमार पिता देवीलाल, प्रभूलाल पिता चन्द्रलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	273	0.519	0.073 ✓
	योग	1	0.519	0.073 ✓
57	विजयसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम सुरजखेड़ी	278/1	0.386	0.154 ✓
	योग	1	0.386	0.154 ✓
58	प्रभूलाल पिता श्रीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	585/2	1.328	0.250 ✓
	योग	1	1.328	0.250 ✓
59	बापूलाल पिता पूनाजी जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	286/2 287/3	0.190 0.009	0.190 ✓ 0.009 ✓
	योग	2	0.199	0.199 ✓
60	धीसालाल पिता दोलतसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	290 586/1	0.002 0.303	0.002 ✓ 0.152 ✓
	योग	2	0.305	0.154 ✓

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
61	रायसिंह पिता रामरतन जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	298/1	1.037	1.037 ✓
	योग	1	1.037	1.037 ✓
62	दरियावसिंह पिता पूना जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	298/3	0.038	0.038 ✓
	योग	1	0.038	0.038 ✓
63	जगदीशप्रसाद, रमेशचंद पिता प्रभूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	329 438	0.003 0.044	0.003 ✓ 0.044 ✓
	योग	2	0.047	0.047 ✓
64	रामचरण पिता मांगीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	332/2	0.025	0.025 ✓
	योग	1	0.025	0.025 ✓
65	समुन्दरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	334/1	0.049	0.049 ✓
	योग	1	0.049	0.049 ✓
66	जगदीशसिंह पिता रणजीतसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	334/2	0.049	0.049 ✓
	योग	1	0.049	0.049 ✓
67	नन्दराम पिता मोहनलाल जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	341 585/3	0.204 1.328	0.204 ✓ 0.105 ✓
	योग	2	1.532	0.309 ✓
68	श्रीमति शान्तिबाई पति श्री समन्दरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	342	0.178	0.178 ✓
	योग	1	0.178	0.178 ✓
69	जगदीशप्रसाद, रमेशचंद पिता प्रभूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	356	0.001	0.001 ✓
	योग	1	0.001	0.001 ✓
70	अनारबाई पिता पन्नालाल जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	361/3	0.063	0.063 ✓
	योग	1	0.063	0.063 ✓
71	भवानीसिंह, गोरीलाल पिता उम्मेदराम जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	367	0.152	0.152 ✓
	योग	1	0.152	0.152 ✓
72	जसवंतसिंह पिता सूरतसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	653 654/16	1.796 0.506	1.796 ✓ 0.506 ✓
	योग	2	2.302	2.302 ✓
73	सुगनबाई पति शिवनारायण, सीताराम, पिन्दू ना.बा. पिता शिवनारायण जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	395	0.204	0.204 ✓
	योग	1	0.204	0.204 ✓

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
74	जसवंतसिंह पिता हरिसिंह, नादाबाई बेवा हरिसिंह, रघुनाथ, माधोसिंह पिता गिरवरसिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	396 397 98	0.115 0.060 0.139	0.115 ✓ 0.060 ✓ 0.139 ✓
	योग	3	0.314	0.314 ✓
75	गोरेलाल पिता लक्ष्मण जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	401/1 596	0.038 0.544	0.038 ✓ 0.544 ✓
	योग	2	0.582	0.582 ✓
76	शांतिबाई पति रामप्रसाद जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	434/3	0.074	0.074 ✓
	योग	1	0.074	0.074 ✓
77	कैलाश नारायण पिता प्रभूलाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	475 476 477 478	0.101 0.013 0.013 0.089	0.051 ✓ 0.013 ✓ 0.013 ✓ 0.089 ✓
	योग	4	0.216	0.166 ✓
78	अमरसिंह पिता रुगनाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	479/1	0.082	0.082 ✓
	योग	1	0.082	0.082 ✓
79	रामप्रसाद पिता रुगनाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	479/2	0.082	0.082 ✓
	योग	1	0.082	0.082 ✓
80	दुर्गाप्रसाद, करणसिंह, राधेश्याम पिता जगन्नाथ, भंवरीबाई बेवा जगन्नाथ जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	482	0.025	0.025 ✓
	योग	1	0.025	0.025 ✓
81	प्रभूलाल पिता धूलजी जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी	483	0.139	0.139 ✓
	योग	1	0.139	0.139 ✓
82	रमेशचंद, देवकरण, रामचरण, रामदयाल पिता मांगीलाल, गोकुल पिता दुलीचंद मु.गीताबाई बेवा दुलीचंद जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी	497/1	0.127	0.127 ✓
	योग	1	0.127	0.127 ✓
83	भंवरलाल, रमेशचन्द्र, सूरजसिंह, चन्दरसिंह, पूनमचन्द पिता रामनारायण जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	531/1	0.051	0.020 ✓
	योग	1	0.051	0.020 ✓
84	भेरूसिंह, विजयसिंह पिता मांगीलाल, भगवतीबाई पुत्री मांगीलाल, गीताबाई बेवा मांगीलाल जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	531/2	0.051	0.020 ✓
	योग	1	0.051	0.020 ✓
85	धूलजी पिता कालूजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी	531/3	0.052	0.021 ✓
	योग	1	0.052	0.021 ✓
86	कमलसिंह पिता भवानी सिंह जाति घोसी नि.ग्राम भू-स्वामी	550	0.019	0.019 ✓
	योग	1	0.019	0.019 ✓
	कुलयोग :-	120	42.392	33.286 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 22 मई 2018

प्र. क्र. 3904-अ-82-2017-2018.—

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम झुमका के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम झुमका

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	देवीलाल, प्रेमनारायण पिता बापूलाल जाति रुवाला नि. ग्राम भूमि स्वामी	255 273 274 253	0.379 0.101 0.013 0.202	0.379 0.101 0.013 0.141
	योग	4	0.695	0.634
2	इन्दरसिंह पिता मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	5/1	1.531	1.531
	योग	1	1.531	1.531
3	बीरम पिता बदाजी जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	5/2	1.507	1.507
	योग	1	1.507	1.507
4	गोरखन पिता गंगाराम जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	5/3	1.522	0.162
	योग	1	1.522	0.162
5	काशीराम पिता गोपीलाल जाति रुवालाल नि.ग्राम भूमि स्वामी	13/3	0.503	0.503
	योग	1	0.503	0.503
6	जीतमल पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	31/1/1 32/1/1 35/4/1 36/1/1 39/1/3 38/1	0.169 0.038 0.046 0.007 0.108 0.038	0.028 0.038 0.046 0.007 0.054 0.036
	योग	6	0.406	0.209
7	रमेश पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	31/1/2 32/1/2 35/4/2 36/1/2 38/2 39/1/4 369/1	0.169 0.038 0.046 0.006 0.038 0.108 0.101	0.027 0.038 0.046 0.006 0.036 0.054 0.101
	योग	7	0.506	0.308

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
8	हरि पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	31/1/3 32/1/3 34/1/1 35/4/3 36/1/3 37/1 38/3 39/1/5 306/1	0.169 0.038 0.025 0.046 0.006 0.032 0.038 0.108 0.069	0.017 0.038 0.025 0.046 0.006 0.013 0.036 0.054 0.069
	योग	9	0.531	0.304
9	बाबूलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	31/1/4 32/1/4 34/1/2 35/4/4 36/1/4 37/2 38/4 39/1/6 306/2	0.169 0.038 0.026 0.046 0.006 0.031 0.038 0.108 0.070	0.017 0.038 0.026 0.046 0.006 0.013 0.036 0.054 0.070
	योग	9	0.532	0.306
10	घनश्याम, कमलसिंह पिता देवीलाल, अवंतीबाई पति देवीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	31/2 32/2 34/2 35/2 36/2 304 39/2 153 295	0.301 0.164 0.834 0.160 0.038 0.139 0.653 0.569 0.076	0.031 0.164 0.834 0.160 0.038 0.139 0.253 0.569 0.076
	योग	9	2.934	2.264
11	अमृतलाल पिता पन्नालाल जाति स्वाला नि.ग्राम भू स्वामी	31/3 32/3 33 35/3 150 300 369/2	0.579 0.038 0.278 0.270 0.354 0.101 0.101	0.159 0.038 0.278 0.270 0.354 0.101 0.101
	योग	7	1.721	1.301
12	छगनलाल पिता गोरीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	35/1/1 39/1/1 386/2 344	0.085 0.109 0.064 0.240	0.085 0.055 0.064 0.240
	योग	4	0.498	0.444

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
13	हीरालाल पिता गोरीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	35/1/2 39/1/2 384/1/2 386/1 371/3/2	0.085 0.109 0.044 0.202 0.031	0.085 0.055 0.033 0.202 0.031
	योग	5	0.471	0.406
14	भंवरलाल, रमेश, रामसिंह, देवीलाल, पिता अमान जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	299 307 308 310 425 426	0.228 0.202 0.240 0.013 0.430 0.025	0.228 0.202 0.240 0.013 0.430 0.025
	योग	6	1.138	1.138
15	बापूलाल पिता नानजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	46 97/2 98/2 126 347/3 349/3 382/3 487/3 320/3	0.582 0.206 0.173 0.632 0.012 0.118 0.099 0.471 0.025	0.482 0.033 0.148 0.609 0.012 0.118 0.099 0.382 0.013
	योग	9	2.318	1.896
16	जालमसिंह पिता नानजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	48 81 115 131/2 315/1 337/1 347/1 349/1 356/1 320/1 487/1	0.607 0.544 0.405 0.240 0.050 0.025 0.013 0.118 0.569 0.025 0.471	0.402 0.234 0.013 0.240 0.050 0.025 0.013 0.118 0.455 0.013 0.471
	योग	11	3.067	2.034
17	मांगीलाल पिता मुन्नालाल गंगाबाई पिता मुन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	235/1 353/4 438	0.200 0.014 0.544	0.200 0.014 0.544
	योग	3	0.758	0.758
18	अमृतलाल पिता गोपीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/1 348/2 372/1 246/3 245	0.329 0.085 0.228 0.467 0.063	0.329 0.085 0.228 0.133 0.006
	योग	5	1.172	0.781

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
19	हरिसिंह पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/2 348/1 372/2 246/2	0.367 0.084 0.228 0.532	0.367 0.084 0.228 0.266
	योग	4	1.211	0.945
20	कासीराम पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	75/3 246/1 348/3 372/3	0.354 0.532 0.084 0.227	0.354 0.266 0.084 0.227
	योग	4	1.197	0.931
21	करणसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	85/4 101/4 102/4 104/2 105/2 154 240/2 241 258/4 259/2 268/4 293/2 322/4 323/2 351/5 373/2 374/2 402/2 403/2 448/6 351/511/4	0.100 0.110 0.167 0.273 0.139 0.455 0.175 0.025 0.010 0.016 0.035 0.056 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.013 0.054 0.204 0.035	0.100 0.110 0.167 0.273 0.139 0.455 0.175 0.025 0.010 0.016 0.035 0.056 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.013 0.054 0.204 0.035
	योग	21	2.121	2.121
22	प्रभूलाल पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	88/1 135/2/1 285 287 326/2 329/2 407 408 423/2 489/2/2 488/2/2	0.405 0.171 0.076 0.013 0.133 0.012 0.076 0.038 0.127 0.626 0.733	0.405 0.171 0.076 0.013 0.133 0.012 0.076 0.030 0.127 0.188 0.733
	योग	11	2.410	1.964

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1			0.228	0.228
23	रतनसिंह पिता मुन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	123/2 131/1 157/2 319/1/1 326/1 327/1 329/1 336/1 428/1/1 446/1	0.241 0.126 0.031 0.133 0.019 0.013 0.044 0.149 0.518	0.241 0.126 0.016 0.133 0.019 0.013 0.044 0.149 0.518
	योग	10	1.502	1.487
24	छगनलाल पिता भंवरलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	156 474/1/3 475/1/2 476/1/2 477/1/2	0.291 0.049 0.210 0.142 0.168	0.291 0.020 0.170 0.021 0.075
	योग	5	0.860	0.577
25	करनसिंह, मधुरालाल, रतिराम पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	125/1	0.285	0.031
	योग	1	0.285	0.031
26	चतूरुलाल पिता हीरालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	128/1 134/1 324	0.291 0.575 0.139	0.291 0.575 0.139
	योग	3	1.005	1.005
27	बद्रीलाल पिता घौसालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	128/2 134/2 147 303 305 172/1/2	0.291 0.576 0.228 0.089 0.051 0.120	0.291 0.575 0.228 0.089 0.051 0.006
	योग	6	1.355	1.240
28	रामबाबू पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	129 223/1 224/1 226/3 270 278 282/3 294 314 318 351/1 352 354 374/7 375 376 480/3 322/1 228/3	0.519 0.118 0.021 0.118 0.089 0.202 0.021 0.038 0.063 0.190 0.246 0.051 0.810 0.074 0.025 0.455 0.170 0.248 0.114	0.519 0.118 0.021 0.118 0.089 0.202 0.021 0.038 0.063 0.190 0.246 0.051 0.810 0.074 0.025 0.455 0.170 0.248 0.074
	योग	19	3.828	3.532

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
29	भंवरीबाई पति गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	132 377 378 266 422	0.354 0.063 0.038 0.152 0.519	0.354 0.063 0.038 0.152 0.104
	योग	5	1.126	0.711
30	बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	133/1 136/1/1 288/2 316 474/1/1 475/1/1 476/1/3 477/1/1 133/508	0.180 0.066 0.038 0.076 0.050 0.211 0.142 0.169 0.152	0.180 0.066 0.038 0.076 0.025 0.170 0.021 0.076 0.152
	योग	9	1.084	0.804
31	रामप्रसाद पिता प्यारजी जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	133/3 136/3 137/3 301/1 332/3 474/3 475/3 476/3 477/3	0.332 0.196 0.259 0.038 0.047 0.149 0.632 0.427 0.506	0.332 0.196 0.259 0.038 0.047 0.069 0.455 0.064 0.228
	योग	9	2.586	1.688
32	अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	133/4 136/4 137/4 288/1 301/2 332/1 406 474/4 475/4 476/4 477/4	0.332 0.196 0.260 0.038 0.038 0.049 0.089 0.148 0.633 0.427 0.505	0.332 0.196 0.260 0.038 0.038 0.049 0.089 0.070 0.455 0.064 0.227
	योग	11	2.715	1.818
33	देवीलाल पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	135/1 157/3 319/1/2 350/1 428/1/2 157/1 446/2	0.341 0.190 0.032 0.145 0.275 0.038 0.519	0.341 0.190 0.016 0.145 0.275 0.038 0.519
	योग	7	1.540	1.524

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
34	नारानसिंह पिता लक्ष्मण जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	135/2/2 327/2 336/2 350/2 428/2 489/2/1 488/2/1	0.171 0.019 0.045 0.146 0.424 0.626 0.734	0.171 0.019 0.045 0.146 0.424 0.188 0.734
	योग	7	2.165	1.727
35	बहादुरसिंह पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	136/1/2 137/1 302/1 331/1 474/1/2 475/1/3 476/1/1 477/1/3	0.130 0.259 0.038 0.051 0.050 0.211 0.143 0.169	0.130 0.259 0.038 0.051 0.170 0.022 0.076
	योग	8	1.051	0.771
36	मांगीलाल, गंगाराम पिता मुन्नालाल, दिनेश पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	138/4 224/3 414	0.013 0.013 0.013	0.013 0.013 0.039
	योग	3	0.039	0.039
37	गंगाधर पिता कनीराम, हरिओम (ना.बा.) पिता बनेसिंह सर.माता बादामबाई बेवा बनेसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	148	0.455	0.455
	योग	1	0.455	0.455
38	रतनसिंह, देवीलाल पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	149 488/1 489/1	0.253 1.467 1.252	0.253 1.467 0.313
	योग	3	2.972	2.033
39	घीसालाल पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	151 275 366/512 368/514	0.367 0.063 0.304 0.025	0.367 0.063 0.304 0.025
	योग	4	0.759	0.759
40	नारानबाई पिता प्यारजी गोरेलाल पिता बदाजी मुकेश पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	152 345 346 182	0.544 0.228 0.025 1.012	0.544 0.228 0.025 0.810
	योग	4	1.809	1.607
41	घनश्याम, कमलसिंह पिता देवीलाल, अवन्तीबाई पति देवीलाल, छगनलाल, हिरालाल, जीतमल, रमेश, हरि बाबू पिता गोरीलाल, अमृतलाल पिता पन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	368/513	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
42	कैलाश पिता छोटेलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामीउया	158/1 159/3 183/1 452/2 453/2 454/2 456/1	0.161 0.033 0.135 0.150 0.900 0.311 0.684	0.161 0.033 0.068 0.150 0.900 0.120 0.137
	योग	7	2.239	1.569

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
43	बापूलाल पिता छोटेलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/2 159/2 183/2 452/3 453/3 456/3	0.160 0.034 0.135 0.224 0.707 1.304	0.160 0.034 0.068 0.224 0.707 0.261
	योग	6	2.564	1.454
44	प्रभूलाल पिता छोटेलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	158/3 159/1 183/3 452/1 453/1 453/4 452/4 454/1 456/2 456/4	0.160 0.034 0.135 0.100 0.400 0.244 0.070 0.650 0.590 0.180	0.160 0.034 0.135 0.100 0.400 0.244 0.070 0.300 0.118 0.036
	योग	10	2.563	1.597
45	छगनलाल, बद्रीलाल अमृतलाल पिता गोपीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	160 161 180	0.177 0.506 0.898	0.177 0.506 0.318
	योग	3	1.581	1.001
46	प्रभूलाल पिता बंशीलाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	162	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
47	बापूलाल, प्रभूलाल, बिहारी पिता बंशी, गंगाबाई बैवा बंशी हि.1/2, रोडमल, भगवानसिंह पिता जगन्नाथ, कंचनबाई बैवा जगन्नाथ हि.1/2 जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	163	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
48	गंगाराम देवचंद्र पिता दोला इन्दरसिंह राधेश्याम रामस्वरूप पिता मांगीलाल चमाबाई बैवा मांगीलाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	164	0.089	0.089
	योग	1	0.089	0.089
49	नारायणसिंह, रामधरण पिता मुन्नालाल हि. 1/2, नारायणसिंह रामधरण पिता मुन्नालाल पांचूबाई बैवा मुन्नालाल हि.1/2 जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	165	0.240	0.240
	योग	1	0.240	0.240
50	देवीसिंह पिता शम्भू, बदा, हजारी हरिसिंह पिता भंवरियाजी जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	166 173 283 284	0.367 0.101 0.013 0.063	0.367 0.050 0.013 0.063
	योग	3	0.544	0.493
51	रमेश, रामप्रसाद पिता मुन्नालाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भूमि स्वामी	178 262	0.076 0.225	0.010 0.225
	योग	2	0.301	0.235

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
52	शिवनारायण पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	222 227 234 269 439 440 231	0.367 0.076 0.025 0.329 0.126 0.974 0.215	0.184 0.011 0.025 0.329 0.126 0.487 0.215
	योग	7	2.112	1.377
53	दिनेश पिता जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	223/2 224/2 226/2 282/2 228/2	0.118 0.021 0.118 0.021 0.114	0.118 0.021 0.118 0.021 0.074
	योग	5	0.392	0.352
54	गंगाराम पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	223/3 224/4 226/1 282/1 228/1	0.118 0.021 0.118 0.021 0.114	0.118 0.021 0.118 0.021 0.074
	योग	5	0.392	0.352
55	किशन पिता देवीसिंह जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	225 229 261 429/2 437/4	0.405 0.291 0.038 0.177 0.038	0.405 0.291 0.038 0.177 0.038
	योग	5	0.949	0.949
56	प्यारजी पिता गंगाराम मथरीबाई रूकमणीबाई नानूबाई पिता गंगा राम जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	232/1 233/1 260/1 277/1 430/1 437/1 486/1	0.057 0.028 0.032 0.023 0.143 0.067 0.155	0.057 0.028 0.032 0.023 0.143 0.067 0.070
	योग	7	0.505	0.420
57	दुदारसिंह पिता जगन्नाथ केशरबाई बैवा जगन्नाथ जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	232/2 233/2 260/2 277/2 430/2 434 437/2 443/3 486/2	0.057 0.029 0.031 0.028 0.144 0.468 0.068 0.639 0.155	0.057 0.029 0.031 0.028 0.144 0.468 0.068 0.224 0.070
	योग	9	1.619	1.119

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
58	घीसालाल पिता बदा जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	232/3 233/3 260/3 277/3 429/1 430/3 437/3 443/1 486/3	0.114 0.057 0.063 0.057 0.177 0.143 0.131 0.319 0.310	0.114 0.057 0.063 0.057 0.177 0.143 0.131 0.319 0.140
	योग	9	1.371	1.201
59	देवनारायण पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	235/2 353/2 421/2 238/2	0.052 0.240 0.070 0.235	0.052 0.240 0.004 0.135
	योग	4	0.597	0.431
60	लखन पिता भंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	235/3 353/3 421/1 238/3	0.052 0.240 0.335 0.235	0.052 0.240 0.017 0.135
	योग	4	0.862	0.444
61	सिद्धनाथ पिता कंवरलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	236 435 436 64/517/1	0.228 0.557 0.784 0.494	0.228 0.557 0.784 0.494
	योग	4	2.063	2.063
62	शिवनारायण पिता भागमल सिद्धनाथ पिता कंवरलाल हि.1/4 मांगीलाल पिता मुन्नालाल गंगबाई पिता मुन्नालाल हि.1/4 प्यारजी दुधारसिंह पिता जगन्नाथ केशरबाई देवा जगन्नाथ घीसालाल पिता नंदा किशन पिता देव्या हि.1/2 जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	237	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.164
63	रमेश पिता कनीराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	239 185/1 240/1 259/1 268/5 322/7 323/1 351/6 373/1 374/1 448/7 351/511/5	0.164 0.506 0.095 0.045 0.035 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.204 0.035	0.164 0.101 0.095 0.045 0.035 0.057 0.088 0.014 0.065 0.015 0.122 0.035
	योग	12	1.338	0.836

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
64	बापूलाल पिता कनीराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	240/3 258/2 259/4 268/2 291/2 322/6 323/4 351/3 373/4 374/4 403/4 448/3 351/511/2	0.175 0.022 0.005 0.036 0.060 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.053 0.216 0.036	0.175 0.022 0.005 0.036 0.030 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.020 0.130 0.036
	योग	13	0.857	0.708
65	भारतसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	240/4 258/3 259/3 268/3 291/1 322/3 323/3 351/4 373/3 374/3 448/5 351/511/3	0.175 0.016 0.010 0.035 0.060 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.214 0.035	0.175 0.016 0.010 0.035 0.030 0.057 0.088 0.014 0.065 0.015 0.128 0.035
	योग	12	0.799	0.668
66	कमलसिंह पिता बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	242 243 244 238/1	0.089 0.228 0.152 0.921	0.089 0.228 0.152 0.421
	योग	4	1.390	0.890
67	देवीलाल प्रेमनारायण पिता बापूलाल हि.1/2 जगदीश पिता गणेशराम छगनलाल दुधारसिंह पिता गोरेलाल नानूबाई बेवा गोरेलाल हि.1/2 जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	256	0.063	0.063
	योग	1	0.063	0.063
68	छगनलाल, दुदारसिंह पिता गोरेलाल नानूबाई बेवा गोरेलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	257/1 271/1 410 478/2 479/1 254/2	0.222 0.057 0.101 0.057 0.582 0.133	0.222 0.057 0.071 0.031 0.291 0.053
	योग	6	1.152	0.725
69	जगदीश पिता गणेशराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू स्वामी	257/2 271/2 479/2	0.221 0.057 0.620	0.221 0.057 0.310
	योग	3	0.898	0.588

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
70	देवीलाल पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	258/1 268/1 291/3 293/1 322/5 323/5 351/2 373/5 374/5 448/4 351/511/1	0.028 0.036 0.032 0.037 0.072 0.088 0.014 0.065 0.015 0.214 0.036	0.028' 0.036' 0.032' 0.037' 0.072' 0.088' 0.014' 0.065' 0.015' 0.128' 0.036'
	योग	11	0.637	0.551'
71	करणसिंह पिता बद्रीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	263 267 353/1	0.101 0.228 0.480	0.101' 0.228' 0.480'
	योग	3	0.809	0.809'
72	दयाराम पिता घीसालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	264 297	0.025 0.051	0.025' 0.051'
	योग	2	0.076	0.076'
73	देवचंद्र जगन्नाथ पिता कालू पारीबाई पिता कालू जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	265 298 309 312 424	0.076 0.063 0.076 0.063 0.202	0.076' 0.063' 0.076' 0.063' 0.202'
	योग	5	0.480	0.480'
74	मांगीलाल शेतानबाई पिता शम्भू बालीबाई बेया शंभू मुन्नालाल पिता चेना जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	281	0.038	0.038'
	योग	1	0.038	0.038'
75	रमेश पिता दयाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू स्वामी	290/2 335/1	0.082 0.082	0.082' 0.082'
	योग	2	0.164	0.164'
76	नंदरलाल रामसिंह, रमेश, देवीलाल, पिता अमान हि.3/4 देवचंद्र जगन्नाथ पिता कालू पारीबाई पिता कालू दयाराम पिता घीसा रुकमणीबाई पिता घीसा हि.1/4 जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	311	0.101	0.101'
	योग	1	0.101	0.101'
77	रामप्रसाद पिता मुन्नालाल जाति कुम्हार नि.ग्राम भूमि स्वामी	313	0.063	0.063'
	योग	1	0.063	0.063'
78	रामप्रसाद पिता नानजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	315/2 320/4 333 337/2 334 356/6 487/4	0.102 0.026 0.013 0.051 0.013 0.023 0.471	0.102' 0.013' 0.013' 0.051' 0.013' 0.023' 0.471'
	योग	7	0.699	0.686'

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
79	भंवरलाल कालू बिहारी पिता भागमल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	317 322/2 323/6 373/6 374/6 448/2	0.101 0.088 0.230 0.092 0.015 0.215	0.101 0.067 0.230 0.092 0.015 0.129
	योग	6	0.741	0.634
80	मांगीलाल पिता नानजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	347/2 349/2 487/2 320/2	0.013 0.118 0.471 0.025	0.013 0.118 0.471 0.013
	योग	4	0.627	0.615
81	रत्नसिंह देवीलाल पिता मन्नालाल करनसिंह नारनसिंह प्रभुलाल पिता लक्ष्मण जालनसिंह मांगीलाल बापूलाल रामप्रसाद पिता नानजी हि:2/3 छगनलाल बहादरसिंह बद्रीलाल पिता भंवरलाल रतीराम मधुलाल करनसिंह पिता जगन्नाथ रामप्रसाद, प्यारजी, गुलाबबाई, घोसीबाई, स्वामबाई पिता प्यारजी अमृतलाल पिता बंशीलाल हि:1/8 भतरलाल पिता हीरालाल बापू बंदी पिता घोसा हि:1/3 जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	328	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
82	छगनलाल, बहादरसिंह, बद्रीलाल पिता भंवरलाल, करणसिंह, मधुलाल, रतीराम पिता जगन्नाथ, रामप्रसाद पिता प्यारजी अमृतलाल पिता बंशीलाल भतरलाल पिता हीरालाल बापूलाल बंदी पिता घोसा जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	330	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
83	कालू पिता प्यारजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	409	0.126	0.013
	योग	1	0.126	0.013
84	बापूलाल देवीलाल भारतसिंह करणसिंह रमेश पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	432 433 447	0.089 0.810 1.278	0.089 0.810 1.278
	योग	3	2.177	2.177
85	भंवरलाल कालू जीतमल पिता प्यारजी जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	444 445 443/2	0.759 0.417 0.320	0.228 0.417 0.320
	योग	3	1.496	0.965
86	रामबाबू पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	448/1	1.225	0.735
	योग	1	1.225	0.735
87	जीवनलाल पिता बद्रीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी	64/517/2	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
88	भंवरलाल, रामसिंह, रमेश, देवरलाल पिता अमल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	427	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
89	बापूलाल प्रभुलाल बिहारी पिता बंशी गंगाबाई बेवा बंशी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	458/1/1/1	1.000	1.000
	योग	1	1.000	1.000
90	बापूलाल, छगनलाल, होकमसिंह, कलाबाई पिता भंवरलाल, केशरबाई बेवा भंवरलाल, करनसिंह, दुधारसिंह, कुमरसिंह पिता पन्नालाल, पार्वतीबाई बेवा पन्नालाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	155/1 362/2	0.133 0.145	0.133 0.010
	योग	2	0.278	0.143
91	रमेश पिता दयाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	485/2	0.904	0.722
	योग	1	0.904	0.722
92	नारायणसिंह, प्रभुलाल पिता लक्ष्मण जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	319/2	0.063	0.031
	योग	1	0.063	0.031

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
93	रतीराम पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	125/2 136/2/3 475/2/3	0.285 0.065 0.190	0.256' 0.065' 0.127'
	योग	3	0.540	0.448'
94	करणसिंह पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	133/2 136/2/1 474/2/1 292	0.332 0.066 0.074 0.126	0.332' 0.066' 0.014' 0.126'
	योग	4	0.598	0.538'
95	मथरालाल पिता जगन्नाथ जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	136/2/2 137/2 302/2 332/2 476/2 331/2	0.065 0.259 0.038 0.018 0.427 0.025	0.065' 0.259' 0.038' 0.018' 0.064' 0.025'
	योग	6	0.832	0.469'
96	प्रेमबाई, जमनाबाई बेवा मांगीलाल, कौशल्याबाई पिता मांगीलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	355	1.314	1.314'
	योग	1	1.314	1.314'
97	गंगा, प्रेम, सरदार, सुगन पुत्री दयाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	171	0.354	0.070'
	योग	1	0.354	0.070'
98	रामसिंह पिता दयाराम जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	335/2 290/1	0.082 0.082	0.082' 0.058'
	योग	2	0.164	0.140'
99	नारायण पिता मुन्ना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	458/1/1/8	1.000	1.000'
	योग	1	1.000	1.000'
100	रोडमल, भगवानसिंह पिता जगन्नाथ, कंचनबाई बेवा जगन्नाथ जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	458/1/1/2	0.700	0.700'
	योग	1	0.700	0.700'
101	प्रभुलाल पिता बंशीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	458/1/1/4	1.254	1.254'
	योग	1	1.254	1.254'
102	दयाराम पिता घीसा रूकमीबाई पिता घीसा जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी	296	0.013	0.013'
	योग	1	0.013	0.013'
	कुलयोग :-	481	102.608	80.838'

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्र. 176-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (त) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

“अनुसूची”

1. भूमि का विवरण

- (क) जिला :- सीधी
(ख) तहसील का नाम :- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम :- झांझ
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 2.095 हे०

स.क्रं.	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	34/2	0.15	मधुदीप कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा०
2	34/3	0.075	किरण पिता राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा०
3.	41	0.080	बद्री जगदीश पिता अगानु लोनिया जाति लोनिया
4.	43	0.062	प्रेमलाल पिता परदेशी जाति लोनिया
5.	64	0.025	रामखेलावन, रामदेव, रामकुमार, पिता गिरधारी जाति लोनिया
6.	65	0.062	सुरेश कुमार, मुकेश कुमार पिता चन्द्रभान जाति ब्रा०
7.	67	0.075	केमला, चन्द्रभान, जग्यभान, राजभान पिता परमेश्वर जाति लोनिया ज्योती पुत्री परदेशी लाल साकेत
8.	81	0.062	शान्ती पति गोगल सिंह, गुजरतिया पति प्रेमलाल सिंह गोड, सुरेश, मुन्ना, विजय, पुत्र प्रेमलाल सिंह श्यामलाल, केमला, रामशरण, रामकरण पिता गोगल सिंह जाति गोड
9.	82	0.025	श्रीमती रामबाई पति चन्द्रभान जाति ब्रा०

10.	83	0.050	श्रीमती रामबाई पति चन्द्रभान जाति ब्रा0
11.	87	0.100	रमेश, दिनेश, महेश पिता राजमणि प्रसाद जाति ब्रा0
12.	113	0.080	श्रीमती चौरसिया पत्नी बृजभान सिंह गोड जाति गोड
13.	114	0.043	रामजियावन, जयराम पिता भगवानदीन, रामावतार, पन्नालाल, बाबूलाल, पिता रामाधार शिवकुमार पिता हनुमानदीन मु0 फूलमती बेबा जागेश्वर, राजभान चन्द्रभान पिता जागेश्वर जाति गोड
14.	115	0.062	रामजियावन, जयराम पिता भगवानदीन, रामावतार, पन्नालाल, बाबूलाल, पिता रामाधार शिवकुमार पिता हनुमानदीन मु0 फूलमती बेबा जागेश्वर, राजभान चन्द्रभान पिता जागेश्वर जाति गोड
15.	118	0.020	सुखलाल पिता रामदीन सिंह जाति गोड
16.	119	0.044	मु0 परगिया बेवा ललिया सिंह रामराज देवराज संजय पिता ललिया सिंह नाबालिक बलिमा मु0 परगिया जाति गोड
17.	120	0.012	बजेराम सिंह पिता रामदीन सिंह जाति गोड
18.	124	0.025	छगु सिंह पिता रामदीन जाति गोड
19.	125	0.100	बजेराम सिंह पिता रामदीन सिंह जाति गोड
20.	126	0.062	मु0 परगिया बेवा ललिया सिंह रामराज देवराज संजय पिता ललिया सिंह नाबालिक बलिमा मु0 परगिया जाति गोड
21.	127	0.006	सुखलाल पिता रामदीन सिंह जाति गोड
22.	1412	0.045	कुबारे पिता छोटे जाति गोड
23.	1413	0.037	कुबारे पिता छोटे जाति गोड
24.	1417	0.012	कुबारे पिता छोटे जाति गोड
25.	1418	0.075	कुबारे पिता छोटे जाति गोड
26.	1419	0.037	सरदार सिंह तनय रघुराई जाति गोड
27.	1421	0.012	रामजियावन, जयराम पिता भगवानदीन, रामावतार, पन्नालाल, बाबूलाल, पिता रामाधार शिवकुमार पिता हनुमानदीन मु0 फूलमती बेबा जागेश्वर, राजभान चन्द्रभान पिता जागेश्वर जाति गोड
28.	1511	0.012	शान्ती पति गोगल सिंह, गुजरतिया पति प्रेमलाल सिंह गोड, सुरेश, मुन्ना, विजय, पुत्र प्रेमलाल सिंह श्यामलाल, केमला, रामशरण, रामकरण पिता गोगल सिंह जाति गोड
29.	1512	0.062	सिरदार पिता परमेश्वर जाति गोड
30.	1513	0.081	सिरदार पिता परमेश्वर जाति गोड
31.	1516	0.062	रामजियावन, जयराम पिता भगवानदीन, रामावतार, पन्नालाल, बाबूलाल, पिता रामाधार शिवकुमार पिता हनुमानदीन मु0 फूलमती बेबा जागेश्वर, राजभान चन्द्रभान पिता जागेश्वर जाति गोड
32.	1518	0.043	सिरदार पिता परमेश्वर जाति गोड
33.	1556	0.025	शिवकुमार पिता हनुमानदीन सिंह गोड जाति गोड

34.	1557	0.175	पन्नेलाल पिता रामाधार सिंह, रामावतार पिता रामाधार सिंह बाबूलाल पिता रामाधार सिंह गोंड जाति गोड
35.	1559	0.012	गंगा प्रसाद पिता मुन्नालाल जाति सोनी
36.	1560	0.018	गंगा प्रसाद पिता मुन्नालाल जाति सोनी
37.	1561	0.070	ज्ञानेन्द्र प्रसाद राजेश कुमार पिता गिरजा प्रसाद जाति ब्रा०, रामनिवास पिता विन्द्रावनराम जाति ब्रा०
38.	1567	0.027	गंगा प्रसाद पिता मुन्नालाल जाति सोनी
39.	1568	0.070	रामजियावन जयराम पिता भगवान दीन गोड जाति गोंड
39 कित्ता		2.095 हे०	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - डांडीटोला माइनर निर्माण हेतु ।
- भूमि का नक्शा (प्लान) :- उपखण्ड कार्यालय/भू-अर्जन कार्यालय चुरहट/रामपुर नैकिन में देख जा सकता है ।

क्र. 180-भू-अर्जन-2018.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (त) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

“अनुसूची”

- भूमि का विवरण

(क) जिला	:- सीधी
(ख) तहसील का नाम	:- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम	:- मुर्तला कोठार
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- रकबा 0.645 हे०

स.क्र.	खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे)	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	50	0.029	महावीर सिंह तनय विशाले सिंह बरगाही
2	51	0.012	रामनिवास सिंह पिता बालक सिंह बरगाही

3.	59/1/1	0.060	मानवती सिंह पिता रामपियारे सिंह वगै० बरगाही
4.	59/1/2		श्रीमती रामरती सिंह पत्नी राम सिंह बरगाही
5.	68	0.012	भुवनेश्वर, गंगा, रामायण प्रसाद, पिता गया प्रसाद मिश्र ब्रा०
6.	69	0.012	भुवनेश्वर, गंगा, रामायण प्रसाद, पिता गया प्रसाद मिश्र ब्रा०
7.	73	0.021	भुवनेश्वर, गंगा, रामायण प्रसाद, पिता गया प्रसाद मिश्र ब्रा०
8.	74	0.028	श्रीमती मुन्नी सिंह पत्नी सूर्यभान सिंह बरगाही
9.	75	0.030	सुरेन्द्र सिंह पिता पन्नालाल सिंह बरगाही
10.	76	0.075	सूर्यभान सिंह पिता मोतीलाल सिंह उर्फ बट्टी सिंह बरगाही
11.	77	0.012	महावीर सिंह पिता विशाले सिंह बरगाही
12.	104/1	0.036	चन्द्रिका प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद पिता रामकुमार ब्रा०
13.	104/2		राजेन्द्र प्रसाद पिता संकर्षण प्रसाद पाण्डेय ब्रा०
14.	105	0.024	उधव प्रसाद पिता तीरथ प्रसाद मिश्रा ब्रा०
15.	106/1	0.085	बेवा भगवतिया पति गयादीन विश्वकर्मा
16.	106/2		शुभकरण पिता गयादीन विश्वकर्मा
17.	109/1	0.040	तीरथ प्रसाद पिता गया प्रसाद ब्रा०
18.	109/2		उधव प्रसाद पिता तीरथ प्रसाद मिश्रा, ब्रा०
19.	110/1	0.067	तीरथ प्रसाद पिता गया प्रसाद ब्रा०
20.	110/2		उधव प्रसाद पिता तीरथ प्रसाद मिश्रा ब्रा०
21.	117	0.015	सीताराम बसरा तनय गजाधर जाति लोहार
22.	506	0.048	रामायण प्रसाद तनय गया प्रसाद
23.	548	0.039	रज्जू देवी बेवा रोशनलाल, शारदा प्रसाद पिता रोशनलाल, सुभाष पिता रोशन लाल ब्रा०
23 किता कुल		0.645	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - मुर्तला माइनर विस्तार हेतु ।
- भूमि का नक्शा (प्लान) :- उपखण्ड कार्यालय/भू-अर्जन कार्यालय चुरहट/रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है ।

क्र. 180-भू-अर्जन-2018.—

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के (त) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अं भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

“अनुसूची”

3. भूमि का विवरण

- (क) जिला :- सीधी
 (ख) तहसील का नाम :- रामपुर नैकिन
 (ग) नगर/ग्राम :- बेलकसरी
 (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 0.222 हे०

स.क्र.	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	115/1	0.053	मु० कुइसी बेवा रामप्रकाश, बैजनाथ, शिवशारी, शिवप्रसाद, सुदर्शन पिता रामप्रकाश जाति तेली
2.	115/2	0.082	छोटेलाल पिता सुखदेव जाति तेली
3.	116/1	0.063	छोटेलाल पिता सुखदेव जाति तेली
4.	432	0.024	श्यामलाल पिता कंकण
04 किता कुल रकबा		0.222	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - मुर्तला माइनर विस्तार हेतु।
 3. भूमि का नक्शा (प्लान) :- उपखण्ड कार्यालय/भू-अर्जन कार्यालय चुरहट/रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 मई 2018

प्र. क्र. 2502-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील लखनादौन/ रा.नि.मं. लखनादौन.	मलखेडा ब.न. 549 प.ह.नं. 89	1.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्र-1 सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत नहर कार्य निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2503-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील घंसौर/ रा.नि.मं. कहानी.	कहानी. ब.न. 61 प.ह.नं. 31	0.39	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्र-1 सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2511-जि.भू.अ.-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील धनोरा/ रा.नि.म. धनोरा.	खमारिया ब.न. 113 प.ह.नं. 01	1.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग क्रं-1 सिवनी, जिला सिवनी.	मुंडा जलाशय के अंतर्गत दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 मई 2018

क्र. 150.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	निजामपुर	3	0.07	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मडीखेड़ा जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय फीडर नहर के निर्माण कार्य.
			11	0.28		
			4	0.08		
			12	0.34		
			5	0.04		
			10	0.57		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			14	0.22		
			15	0.18		
			24	0.02		
			25	0.02		
			26	0.04		
			27	0.09		
			28	0.12		
			52	0.02		
			60/2	1.05		
			64	0.06		
			72	0.02		
			76/2	0.14		
			89	0.09		
			91	0.15		
			97	0.02		
			92/1	0.26		
			96/1	0.01		
			92/2	0.12		
			96/2	0.01		
			92/3	0.08		
			96/3	0.02		
			93/2/1	0.63		
			योग . .	4.75		

क्र. 151.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				रकबा (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	कैरूआ	173	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मडीखेड़ा जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय फीडर नहर के निर्माण कार्य.
			174	0.08		
			247	0.33		
			249	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			250	0.01		
			305	0.01		
			306	0.07		
			308	0.08		
			309	0.07		
			310	0.01		
			397	0.01		
			398	0.12		
			416	0.03		
			418	0.03		
			419	0.04		
			420	0.08		
			430	0.13		
			432	0.07		
			549	0.04		
			550	0.05		
			551/1	0.06		
			563/1	0.02		
			563/2	0.19		
			563/3	0.37		
			563/4	0.63		
			563/8/1	0.34		
			563/8/2	0.30		
			563/8/3	0.24		
			563/8/4	0.25		
			563/8/6	0.27		
			563/8/7	0.32		
			563/8/8	0.46		
			563/8/9	0.23		
			563/8/10	0.08		
			564/2	0.01		
			582	0.26		
			583	1.25		
			584/1	0.53		
			584/2	0.70		
			596	0.01		
			597	0.42		
			598	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			599	0.25		
			604/1	0.27		
			605	0.20		
			606	0.10		
			608	0.30		
			609	0.04		
			610	0.12		
			613	0.03		
			615	0.05		
			616	0.01		
			योग	9.69		

क्र. 152.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का विवरण					अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	गढौला	8	0.35	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मडीखेड़ा जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय फीडर नहर के निर्माण कार्य.
			9	0.06		
			10	0.02		
			27/1	0.12		
			27/2	0.32		
			28	0.07		
			30	0.23		
			31	0.43		
			43/2	0.87		
			43/1	0.04		
			44	0.26		
			55/1	0.62		
			55/2/1	0.33		
			55/2/2	0.33		
			55/2/3	0.22		
			59	0.49		
60/1	0.14					
60/2	0.08					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			60/3	0.28		
			61/1	0.02		
			61/2	0.02		
			62/1	0.02		
			62/2	0.04		
			79/1	0.04		
			83	0.23		
			84/1	0.02		
			84/2	0.02		
			योग . .	5.67		

क्र. 153.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार संलग्न किया जा रहा है: —

अनुसूची

भूमि का विवरण					अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	जजादेही	57/4	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग मडीखेड़ा जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय फीडर नहर के निर्माण कार्य.
			57/5	0.20		
			योग . .	0.21		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 मई 2018

क्र. भू-अर्जन-2504-0007 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर
(ग) ग्राम—लिमतरा, प.ह.नं.-27, रा.नि.म. कहानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.74 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित अर्जित
	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)

ग्राम—लिमतरा (निजी भूमि)

148	0.60
194/3	0.41
198/2	0.24
194/4	0.37
198/3	0.24
194/5	0.37
198/1	0.07
197/2	0.17
195	0.82
196/2	1.00
200	0.47
196/3	1.20
197/1	0.51
199	0.80
202	0.53

(1)	(2)
203	0.35
206	2.46
222	0.13
207	0.10
211	0.40
212/1	0.40
212/2	0.92
213/1	0.51
213/2	0.17
213/3	0.30
220/1	0.80
220/2	1.27
221	0.77
223	1.17
228	2.26
232	0.54
231	1.36
230	1.03

योग (निजी भूमि) . . . 22.74

कुल योग . . . 22.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—सरोरा जलाशय परियोजना (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2505-0006 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर

(ग)	ग्राम—तिनसरा, प.ह.नं.-38, रा.नि.म. घंसौर	(1)	(2)
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—26.67 हेक्टेयर.	20	0.11
	खसरा भू-अर्जन हेतु	21/2	0.22
	नम्बर प्रस्तावित अर्जित	23	0.15
	रकबा (हे. में.)	26/2	0.75
(1)	(2)	28	0.02
		38	0.54
	ग्राम—तिनसरा (निजी भूमि)	49/1	0.46
3 ब	1.97	39	0.56
5/1	0.57	42	0.52
5/2	0.44	47	0.83
11/5	0.13	41	2.02
7	0.04	43	1.35
36	0.14	46	1.20
40	0.16	50	1.00
8/1	0.12	44	1.11
16/1	0.22	45	0.69
17/1	0.31	51	1.50
19	0.26	72/1	0.10
48	0.20	72/2	0.10
8/2	0.12	योग (निजी भूमि) . .	26.67
16/2	0.23	कुल योग . .	26.67
17/2	0.31		
8/3	0.12	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—सरोरा जलाशय परियोजना (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.	
16/3	0.23	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.	
17/3	0.31		
8/4	0.13		
16/4	0.22		
17/4	0.31		
9/1	0.32		
9/2	0.32		
9/3	0.31		
15/1	0.17		
10/1	0.18		
10/2	0.17		
10/3	0.2		
11/1	0.30		
11/2	0.57		
11/3	0.57		
11/4	0.57		
13	1.17		
27	0.12		
151/1	1.00		
14.	0.83		
18	0.10		

क्र. भू-अर्जन-2506-0005 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—लखनादौन

(ग)	ग्राम—मलखेडा, प.ह.नं.-89, रा.नि.म. लखनादौन	(1)	(2)
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—29.65 हेक्टेयर.	68/1	2.00
खसरा	भू-अर्जन हेतु	68/2	1.00
नम्बर	प्रस्तावित अर्जित	70	0.78
	रकबा (हे. में.)	69	3.14
(1)	(2)	92/3	0.41
	ग्राम—मलखेडा (निजी भूमि)	71/1	0.38
16/2	0.45	71/2	0.17
47/2	0.90	72	0.20
16/3	0.05	74	0.85
47/3	0.86	86/4	0.08
35/2	0.80	94	0.11
37/1	0.28	89/2	0.08
44/1	0.42	90/1	0.60
37/2	0.30	90/2	0.25
44/2	0.32	90/7	0.15
42/1	0.95	90/3	0.15
42/2	0.94	90/5	0.50
43	0.38	90/4	0.46
64	0.16	92/2	0.31
67	0.16	90/6	0.30
66/3	1.20	92/1	0.30
45	0.48	98	0.13
66/2	2.05		
47/1	0.47	योग (निजी भूमि) . .	29.65
47/4	0.90	कुल योग . .	29.65
16/1	0.45	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक	
48/3	0.05	है—मुंडा जलाशय परियोजना (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.	
48/4	0.68	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर,	
48/5	0.45	भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी	
57/1	0.05	लखनादौन, जिला सिवनी में किया जा सकता है.	
57/2	0.30		
58/1	0.15	क्र. भू-अर्जन-2509-0004 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य	
58/2	0.10	शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी	
63/1	0.93	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	
63/2	1.27	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु	
66/1	0.80	सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना	
		है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना	

सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर
(ग) ग्राम—मेहता, प.ह.नं.-28, रा.नि.म. कहानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.32 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित अर्जित
	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)

ग्राम—मेहता (निजी भूमि)

143	0.32
योग (निजी भूमि) . .	0.32
कुल योग . .	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—सरोरा जलाशय परियोजना (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2510-0005 (अ-82) 2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई योजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—घंसौर

- (ग) ग्राम—सरोरा, प.ह.नं.-27, रा.नि.म. कहानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.52 हेक्टेयर.

खसरा	भू-अर्जन हेतु
नम्बर	प्रस्तावित अर्जित
	रकबा (हे. में.)

(1) (2)

ग्राम—सरोरा (निजी भूमि)

142	0.76
143	0.05
171	0.06
168/2	0.40
173/2	0.25

योग (निजी भूमि) . . 1.52

कुल योग . . 1.52

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये आवश्यक है—सरोरा जलाशय परियोजना (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपालचन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 मई 2018

क्र. 5462-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोहगांव, प.ह.नं. 41, ब.नं. 490, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.013 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
खसरा नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510/1	0.348

(1)	(2)
230/5	0.400
483/4	0.083
483/1	0.182

योग . . 01.013 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5463-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीलदू, ब. नं-118 प.ह.नं.-45 रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.869 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

208/1	0.100
205/2	0.100
213/1	0.260
214	0.140
224/1	0.125
229/1	0.047
230/1	0.097

योग . . 0.869 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5464-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-राजाखोह, प.ह.नं.-37, ब.नं.-503, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.476 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
498/1	0.250
497/1	0.016
411/3	0.900
498/4	0.100
502/5	0.142
497/2	0.005
498/3	0.240
498/2	0.060
498/5	0.090
498/6	0.160
493/1	0.100
496/1	0.060
483/1	0.153
484/1	0.200

योग . . 02.476 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन

परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5465-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-काराघाट, प.ह.नं.-46, ब.नं.-55, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.696 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
144/8	0.230
144/3	0.430
143/3	0.200
143/4	0.350
144/4	0.081
15/1	0.405
16/2	मकान कच्चा-1

योग . . 01.696 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1)	(2)
	394/2	0.084
	500/1	0.270
	374/2	0.056
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	368/2	02.351
	368/1	01.280
	217/1	0.127
	217/2	0.063
	217/3	0.160
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	219/2	0.050
	227/2	0.100
	63/2	0.380
	200/1	0.066
क्र. 5466-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	200/2	0.064
	199/1	0.096
	197/1	0.500
	179/1	0.200
	150/1	0.255
	63/1	0.113
	45/2	0.040
	45/1	0.040
	61/1	0.375
(1) भूमि का वर्णन—	64/2	0.441
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	64/1	0.399
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा	62/2	0.320
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवर्धा, प.ह.नं.-46, ब.नं.-273, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.	62/1	0.385
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—22.933 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	58/1	0.170
	59/1	0.090
	60/1	0.230
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
384/1	0.010	0.120
390	0.802	0.347
391/2	0.097	0.100
391/3	0.100	0.040
391/7	0.040	0.040
391/4	0.174	0.040
391/5	0.178	0.020
391/6	0.174	0.909
392/1	0.300	0.300
393/1	0.041	0.105
394/1	0.154	0.120
380/1	0.200	0.120
393/2	0.157	0.120

(1)	(2)
21/4	0.120
22/2	0.048
35/1	0.048
23/1	0.321
35/3	0.084
25/1	0.200
28/5	0.040
32/2	0.400
34/1	0.493
43	0.142
44/1	0.130
32/1	0.163
32/3	0.217
34/2	0.263
34/3	0.263
33/1, 33/5	0.902
33/2	0.600
33/3	0.395
33/7	0.129
33/8	0.500
33/4	0.169
33/9	0.190
33/10	0.190
28/3	0.249
28/6	0.120
20/2	0.140
18/3	0.247
20/1	0.100
18/1	0.123
18/2	0.819
14/1	01.000
151/1	0.024
63/3	0.320
174/2	0.021
372/3	0.040

योग . . . 22.933 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5467-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चौसरा, ब.नं.-170, प.ह.नं.-40, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.250
78/2	0.205
80/1	0.164
80/3	0.146
80/2	0.134

(1)	(2)	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.203 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
80/4	0.100		(1)	(2)
80/5	0.050		203/1	0.240
	योग . . 01.049	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	387/1	0.110
(2)		अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	25/1	0.120
			26	0.120
			23	0.510
			121	0.100
(3)		अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	126/2	0.121
			123/2	0.076
			126/1	0.081
			219/1	0.100
(4)		अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	422	0.140
			424	0.140
			423/1	0.925
			427	0.100
(5)		अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	204/1	0.110
			209/3	0.100
			18/13	0.019
			18/15	0.030
(6)		अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वतन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	18/27	0.061
			योग . . 03.203	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

क्र. 5468-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-करवेपिपरिया, प. ह. ल. 39
 ब.नं.-47, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा 1.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1) 332/2 334/3 333/3 330/1	(2) 0.165 0.330 0.405 0.080
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	333/1 332/1 334/6 334/5 334/2 372 373/1 388/1 378/2 379/1 393/1 391/2 390	0.080 0.150 0.265 0.190 01.043 0.560 0.300 0.320 0.405 0.110 0.202 0.310 0.060

क्र. 5469-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा
(ख) तहसील—छिंदवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जमुनिया, प.ह.नं.-36, ब.नं.-191, रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा 1.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
287/2/1	0.015
287/2/2	0.015
287/2/3	0.010
294/1	0.300
294/2	0.172
295/1	0.342
296/1	0.206
299/3	0.275
299/6	0.200
299/1	0.060
302/2	0.110
302/3	0.170
306/1	0.100
331/4	0.365

योग . . . 07.315 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5470-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बारहबरयारी, प.ह.नं.-13, ब.नं.-203, रा.नि.मं.-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—26.580 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
		176/2-6	0.130
		176/5	0.074
		176/8	0.050
		176/11	0.076
		140/1, 182/1	1.300
		140/2, 182/2	0.812
		56/2	0.615
		56/3	0.741
		60/2, 62/2, 63/2	0.590
		60/3, 62/3, 63/3	0.560
		59/1, 60/1, 61/1,	2.980
		62/1, 63/1	
		57/2	0.272
		58/1	0.600
		58/2-3	0.200
141/1, 142/4, 143/2,	0.180	58/4	0.455
144/3.		58/5	0.455
142/2, 144/1, 152/3	0.490	58/6	0.456
152/1, 153, 154/2	0.250	58/7	0.485
141/2, 142/3, 143/1,	0.650	53/3	0.700
144/2, 152/4		53/4	1.173
154/1.	0.230	52/1	0.473
142/1, 152/2, 154/3	0.210	21/4	0.450
158/1, 159/1	0.200	48/1	0.130
156/1, 157/1, 173/2	0.583	51/4	0.021
156/1, 171/1, 172/1, 173/3	0.304	51/5	0.267
156/2, 173/1	0.534	21/2	0.213
156/4, 157/2	0.356	21/3	0.524
156/5, 171/3, 172/3, 173/4	0.546	56/4/1	0.220
156/6, 157/3, 173/5	0.546	42/1, 80/1, 81/1	0.400
171/2, 172/2	0.324	42/2, 80/2, 81/2	0.160
53/2	0.300	43/1, 46/4	0.300
174	01.150	96/1, 97/1, 98/1, 100/1	0.574
177/1, 178/2	0.280	97/2, 99/1, 125/3	0.593
175	0.789	131/1	0.143
176/1	0.090	76/2, 77/2	0.410

(1)	(2)	(ग)	नगर/ग्राम—ग्राम-हिवरखेडी, प.ह.नं.-01, ब.नं.-316, रा.नि.मं.-चौरई.
77/1	0.553	(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—31.885 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
546/3	0.413		
	योग . . 26.580		
			हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.		
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.		
			क्र. 5471-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
			अनुसूची
(1)	भूमि का वर्णन—		
(क)	जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख)	तहसील—चौरई		
			प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
			प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
			1024 0.652
			1010/1 0.591
			1010/2 0.300
			1022/2 0.405
			1009/3 0.526
			995/6 0.135
			995/10 0.198
			995/22 0.135
			995/15 0.215
			1009/2 0.098
			997/3 0.052
			995/5, 997/5, 998/3 0.700
			993/3 0.471
			994/3 0.028
			995/4, 997/4, 998/2 0.100
			997/9 0.376
			995/17 0.016
			991/2 0.550
			991/1 0.150
			989/1 0.965
			983 0.102
			980, 981, 982, 984 0.600
			979/5 1.263
			979/4 0.495
			933/1 0.129
			961/1-2, 962/1-2 0.238
			963/3 0.132
			934/2 0.151
			965/1 0.096
			933/2 0.380
			933/3, 933/4 0.600
			928 0.024
			547/5, 548/1 0.102

(1)	(2)	(1)	(2)
549/5	0.250	560/1	0.388
550/1	0.121	927	0.005
550/2	0.113	560/1, 561, 562	0.344
523/1	0.149	560/2, 560/4	0.405
524/1	0.677	929	0.020
525/1	1.154	569	0.016
533	0.162	570/4, 578	0.178
505/2	0.300	547/1	0.299
535/2	0.260	548/2	0.014
535/3	0.100	570/5	0.081
535/4	0.050	570/6	0.182
505/1	0.020	571	0.061
503/1	0.186	553	0.053
496/1-2	1.204	923	0.020
381/1	0.253	924	0.020
377/2	0.925	925	0.020
373/3	0.227	926	0.028
378/1, 378/2	0.215	930	0.016
376/1, 377/1	0.786	363	0.030
375/1	0.526	योग . . .	31.885 हेक्टर एवं
372/3	0.210		प्रस्तावित
369/1	0.454		क्षेत्रफल पर
374/1	0.201		आने वाली
372/4	1.788		संपत्तियां.
371/1, 372/1	0.612	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
371/3, 372/5	0.541	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
373/1	1.108	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
570/3	0.178	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
357/1	0.405		
357/2	0.854		
356/1	0.808		
356/2	0.809		
356/3	0.769		
356/4	0.809		
356/5	0.405		
555/1, 558/1	0.231		
558/3, 558/8	0.180		
367/2, 368/1	0.350		
558/6, 559	0.340		

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 2, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 5478-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—जटलापुर, प.ह.नं.-52, ब.न.-183, रा.नि.मं.-छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.357 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
62/2	0.201
56/2	0.465
83/1	0.040
83/3	0.076
86	0.575

योग . . 01.357 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन

परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1, सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 मई 2018

पत्र क्र. 188-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। चूंकि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना गुड़ जिला रीवा का कार्य चल रहा है, जिसके लिए भूमि (रकबा) अधिग्रहित किया जाना है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीन का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुड़
(ग) ग्राम—रामनगर पहाड़-551-112
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
203	0.600	निजी/असिंचित
320	0.260	निजी/असिंचित
योग . .	0.860	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमि. परियोजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुड़ एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 9 मई 2018

क्र. 2248-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—बँधवाटोला, पटवारी हल्का क्र. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.455 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
456/3	0.809
456/2/क	1.214
456/4	0.865
456/5	0.405
457/1	0.210
457/2	0.360
457/3	0.180
457/4	0.360
457/470	0.310
219	0.192
430	0.040
455/1	0.260
455/2	0.260
455/3	0.260
455/4	0.130
455/5	0.130
455/6	0.130
455/7	0.130
419/1	0.040
455/8	0.130
419/2	0.040
योग . . .	6.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चंगेरा जलाशय सिंचाई योजना, तहसील नौरोजाबाद के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2249-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—ईशनपुरा, पटवारी हल्का क्र. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.300 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
102	0.192
85	0.240
95	0.190
45	0.105
96/2	0.072
82/1/क	0.080
82/1/ख	0.080
82/2/क/1क	0.080
82/2/क/2	0.030
82/2/क/3	0.060
77	0.171
योग . . .	1.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खोह जलाशय सिंचाई योजना, तहसील नौरोजाबाद के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2249-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—टकटई, पटवारी हल्का क्र. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.785 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
107/3	0.120
103/1	0.435
103/3	0.090
102/3	0.120
102/2	0.090
108/3	0.210
108/4	0.192
110/2/ख	0.092
110/2/ग	0.092
110/3	0.144
110/4	0.080
110/5	0.060
110/5	0.060

योग . . . 1.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खोह जलाशय सिंचाई योजना, तहसील नौरोजाबाद के नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2249-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित भूमि के रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया

- (ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—झीमा, पटवारी हल्का क्र. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.500 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
37/2	0.180
37/3	0.180
37/6	0.210
37/7	0.040
37/8	0.040
37/9क	0.040
35/2	0.090
37/9/ख	0.120
37/13	0.120
37/14	0.180
36	0.290
35/1	0.090
33/1	0.080
33/2	0.130
31/1	0.060
39/1	0.090
31/2	0.060
39/2	0.090
31/3	0.080
39/3	0.090
23/3	0.072
23/4	0.036
23/5	0.105
23/6	0.096
23/7	0.102
24	0.320
16	0.156
25/1	0.090
25/2	0.060
25/3	0.060
17/1	0.084
17/2	0.059

योग . . . 3.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खोह जलाशय सिंचाई योजना, तहसील नौरोजाबाद के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2018

क्र. A-1318-दो-2-34-2018.—कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 7 से 9 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर कु. नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1322-दो-2-33-2015.—श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 27 अप्रैल से 3 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1322-दो-2-58-2017.—श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 23 अप्रैल से 5 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1324-दो-2-25-2015.—श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1326-दो-2-51-2017.—श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1328-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 28 मई से 2 जून 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मई 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1330-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2018 तक छह दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1332-दो-3-34-2013.—श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2018 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 26 अप्रैल 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-2446-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 5 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 अप्रैल 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्र. B-2966-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 28 मई से 11 जून 2018 तक पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 12 से 15 जून 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3463-दो-2-6-12.—श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से दिनांक 30 जून 2018 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-3465-दो-2-42-18-इक्कीस.—श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक

12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-3467-दो-2-6-2012.—श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-3469-दो-2-50-17.—श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 3 से दिनांक 4 मई 2018 तक दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 मई 2018

क्र. A-1441-दो-2-114-2017.—श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से दिनांक 26 मई 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 मई 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1447-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 1 से 5 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1449-दो-2-51-2017.—श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2018 तक तीन दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28 अप्रैल 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1451-दो-2-52-2016.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 1 से 9 मई 2018 तक नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3018-दो-2-33-2015.—श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 5 से 10 अप्रैल 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3020-दो-2-40-2017.—श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 9 से 11 मई 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3023-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दिनांक 10 से 12 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3026-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दिनांक 2 से 3 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 मई 2018

क्र. D-3499-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 4 से 11 मई 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3501-दो-2-92-2017.—श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3503-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली का दिनांक 7 से 9 मई 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2018

क्र. B-2978-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 26 जून 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, सदस्य सचिव, एस. सी. एम. एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सदस्य सचिव एन. सी. एम. एस. के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, dated 16th May 2018

No. B-2736-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Varindra Kumar Tiwari, IInd ASJ; Anuppur for the speedy trial

of offences of Rape, Ganga-rape, Murder with rape and all other offences relating thereto and POSCO Act, of the District Headquarter Anuppur.

No. B-2735-III-6-4-13.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section-9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officer shown in the Column NO. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court to deal with the cases relating to offence registered by Cyber and Hi-Technique crimes Police Station Bhopal for the Zone specified in column NO. (3) for the Districts shown in Column NO. (4) of the said TABLE :—

TABLE

S. No.	Name and Designation of Judicial Officer	Zone	Distrcits to which the jurisdiction of the Zonal Courts Shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Ayaz Mohammad Khan, XVIIIth ASJ, Jabalpur.	Jabalpur	Anuppur, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Jabalpur, Katni, Mandla, Narsinghpur, Rewa, Satna, Seoni, Shahdol, Sidhi, Singrauli and Umaria.

This Notification is being issued in supersession of previous Notification in this regard in respect of Jabalpur Zone.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वरुण पुनासे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).